



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

निष्पादन प्रतिवेदन 2020-21

◀◀◀◀



भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
Indian Audit and Accounts Department



पटल से

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

मुझे वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग (आईएएंडएडी) के निष्पादन प्रतिवेदन को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है जो विभाग द्वारा वार्षिक रूप से तैयार किए गए प्रतिवेदनों की श्रृंखला में से एक है एवं इस विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों से हमारे सभी हितधारकों को अवगत कराया गया है।

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था है और यह भारत के संविधान के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को दिए गए प्राधिकार और अधिदेश तथा विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार कार्य करता है। अपने लेखापरीक्षा कार्यों के अलावा अधिकतर राज्यों के लिए लेखाकरण एवं हकदारी कार्य भी भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के पास निहित हैं।

इस वर्ष हमें कोविड-19 महामारी के कारण सामने आई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हमने ऑफिस फाइलों के संसाधनों के लिए ई-ऑफिस एप्लिकेशन के उपयोग, ई-ऑफिस एप्लिकेशन की दूरस्थ पहुंच के लिए वीपीएन लाइसेंस प्रदान करने, दूरस्थ स्थानों से पहुंच योग्य लेखा एवं हकदारी एप्लिकेशन (जैसे वीएलसी, पेंशन, राजपत्रित हकदारी) तैयार करने, विडियो कॉन्फ्रेंस को सुगम बनाने के लिए वर्चुअल बैठक प्लेटफार्मों के व्यापक उपयोग, ऑनलाइन

प्रशिक्षण करने और लाइव कार्यक्रमों/वेबिनारों के आयोजनों जैसी विविध पहलों के माध्यम से अपने कार्य बल और कार्य पद्धति में समायोजन किया जिससे कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए दूरस्थ स्थानों से कार्य करने में सहायता मिली। इसके परिणामस्वरूप, हमारे कर्मचारियों और कार्यक्रमों पर कोविड-19 के व्यापक प्रभाव के बावजूद हम अपनी नीतिगत प्राथमिकताओं पर पर्याप्त प्रगति करने में सक्षम रहे।

कार्यक्षेत्र के विशेषज्ञों और पणधारकों के साथ संपर्क पर हमारा फोकस इस वर्ष के दौरान भी जारी रहा। हमने तीन अखिल भारतीय निष्पादन लेखापरीक्षाएं नामतः आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना और दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना शुरू की थी। हमने संसद में विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे जिनमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, दिल्ली पुलिस में श्रमबल एवं लॉजिस्टिक प्रबंधन, सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों के निर्धारण, आयकर विभाग में तलाशी एवं अभिग्रहण निर्धारण, इंडिया स्कीम से उत्पाद निर्यात और इंडिया स्कीम से सेवा निर्यात, भारतीय रेल में लोकोमोटिव के निर्धारण एवं उपयोग तथा लिंक हाफमन बुश (एलएचबी) कोचों का उत्पादन एवं रख-रखाव, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा विद्यालयों में शौचालयों के निर्माण पर प्रतिवेदन शामिल हैं।

राज्यों में, उच्च शिक्षा, सतही सिंचाई और जिला अस्पतालों आदि पर परिणाम लेखापरीक्षा इस वर्ष के दौरान भी जारी रही। विभिन्न राज्य विधायिकाओं में प्रस्तुत पर्यावरणीय विषयों अर्थात् जल निकायों का संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा का विकास और प्रचालन, वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग का कार्यचालन, सीवेज प्रबंधन, चयनित शहरी निकायों में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, खदान एवं भूविज्ञान निदेशालय आदि की कार्यप्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सतत विकास के साथ पर्यावरणीय शासन को बढ़ाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता के उदाहरण हैं।

हमने वर्ष के दौरान संसद और राज्य विधायिका में प्रस्तुत करने हेतु 123 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार किए थे जिसमें से 18 संसद में और 105 राज्य विधायिकाओं में प्रस्तुत किए गए थे। 2020-21 के दौरान संसद में कुल 20 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और राज्य विधायिकाओं में 89 प्रस्तुत किए गए थे। अपने कार्यों के माध्यम से भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के प्रभाव के महत्व को इस तथ्य द्वारा आसानी से समझा जा सकता है कि हमारे प्रतिवेदनों में 1,748 लेखापरीक्षा सिफारिशें शामिल की गई थी, जिसमें से 711 स्वीकार कर ली गई हैं।

लेखापरीक्षण कार्यप्रणालियों और व्यावसायिक प्रथाओं में सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस वर्ष हमने लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमावली 2007 में संशोधन किया और इसे लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमावली (संशोधन) 2020 से प्रतिस्थापित कर दिया। अद्यतित विनियमावली में आईटी परिवेश में लेखापरीक्षण पर और आईटी साधनों के साथ लेखापरीक्षण पर नवीकृत फोकस, इलेक्ट्रॉनिक डेटा और संबंधित प्रणालियों तक पहुंच शामिल है।

हमारी उपलब्धियां हमारे कर्मचारियों के समर्पित कार्य को दर्शाती हैं जिन्होंने संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया है। हमने क्षमता निर्माण को उच्च

प्राथमिकता देते हुए उनके व्यावसायिक विकास में पर्याप्त निवेश किया है। इस वर्ष भी अपनी लेखापरीक्षा पद्धतियों और कार्यप्रणालियों में सुधार करने के प्रति प्रगति करने का अपना प्रयास हमने जारी रखा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अंतर्राष्ट्रीय उत्तम पद्धतियों के अनुरूप हैं। अपने कर्मचारियों और हितधारकों दोनों को लाभ पहुंचाने के लिए हमारे विभाग के संरक्षण में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। नोएडा और जयपुर में स्थित हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिभागियों दोनों के लिए क्रमशः आईटी और पर्यावरणीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इन केंद्रों पर 337 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए छः अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (चार ऑनलाइन सहित) आयोजित किए गए थे।

हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के एशियायी संगठन के कार्यकलापों में अग्रसक्रियता से भाग ले रहे हैं। वर्ष 2020 में बाह्य लेखापरीक्षकों के संयुक्त राष्ट्र के पैनल के अध्यक्ष के रूप में हमारी नियुक्ति वर्ष 2021 के लिए भी जारी रही। हमें अंतर्राष्ट्रीय निकायों जैसे संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (2020-2025), विश्व स्वास्थ्य संगठन (2020-2023) और अंतर संसदीय संघ (2020-2022) के लेखापरीक्षण की जिम्मेदारी भी दी गई है। हमारी नियुक्ति हमारी व्यावसायिकता, उच्च मानदंडों, वैश्विक लेखापरीक्षा अनुभव और सुदृढ़ राष्ट्रीय साख के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के मध्य हमारी स्थिति की पहचान है।

मुझे आशा है कि यह निष्पादन प्रतिवेदन विभाग के कार्य पद्धति और गतिविधियों के बारे में समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने में नीति निर्माताओं, कार्यकारियों, शिक्षाविदों और जनता के सदस्यों सहित हमारे हितधारकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मैं अपने सभी हितधारकों को उनके सहयोग और योगदान के लिए धन्यवाद देता हूँ।



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

25 फरवरी, 2022

विषय सूची

अध्याय	सामग्री	पृष्ठ
	प्राक्कथन	vii
1	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के बारे में	1-14
2	लेखापरीक्षा में मुख्य परिणाम एवं उपलब्धियाँ	15-20
3	लेखा और हकदारी में महत्वपूर्ण परिणाम और उपलब्धियाँ	21-30
4	प्रमुख पणधारकों के साथ हमारा संपर्क	31-34
5	व्यावसायिक मानक और गुणवत्ता प्रबंधन	35-42
6	प्रौद्योगिकी-चलित भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के लिए विजन के प्रति	43-46
7	हम अपने संसाधनों का प्रबंध कैसे करते हैं	47-52
8	भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में क्षमता निर्माण	53-58
9	हमारी अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी और योगदान	59-72



प्राक्कथन

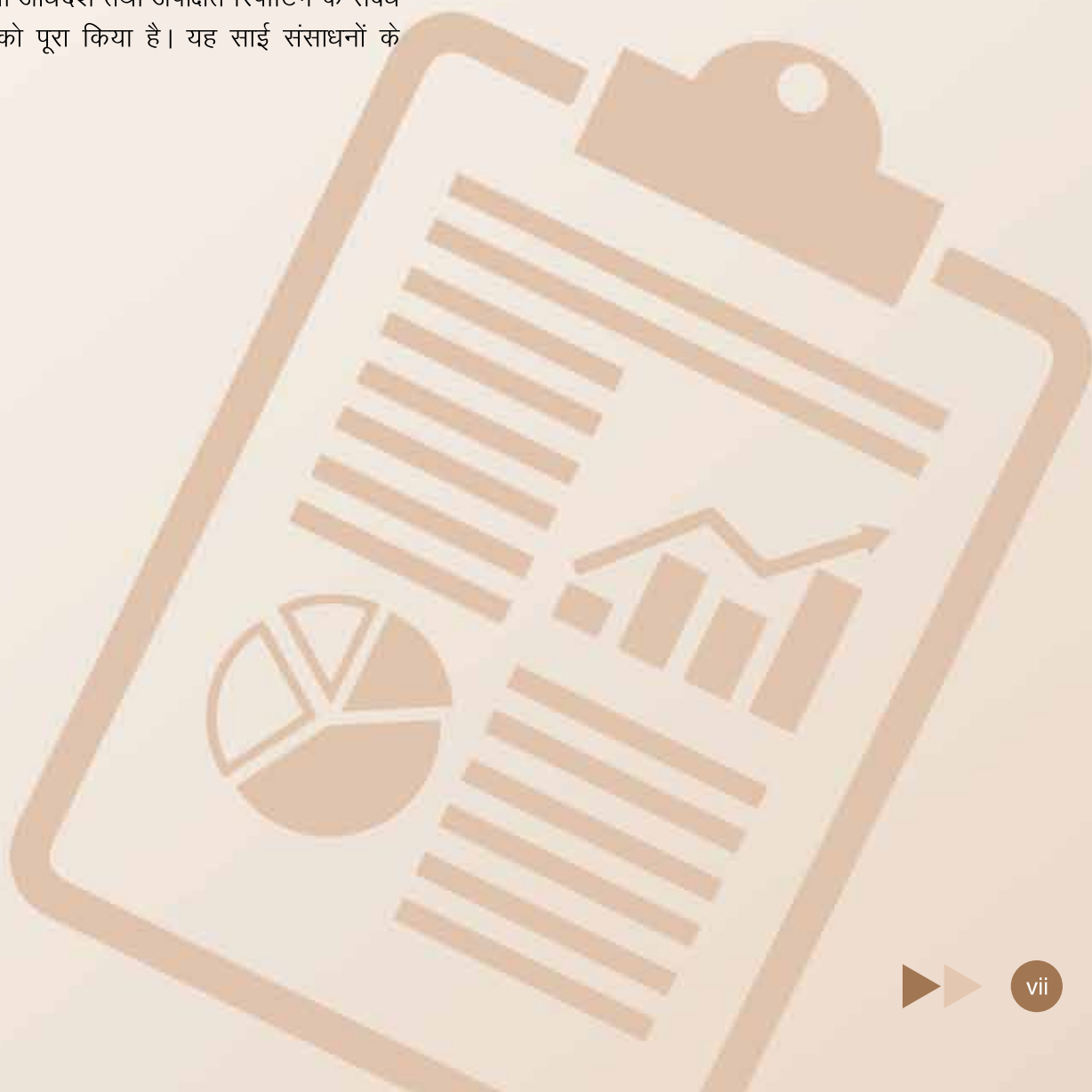
इस निष्पादन प्रतिवेदन के बारे में

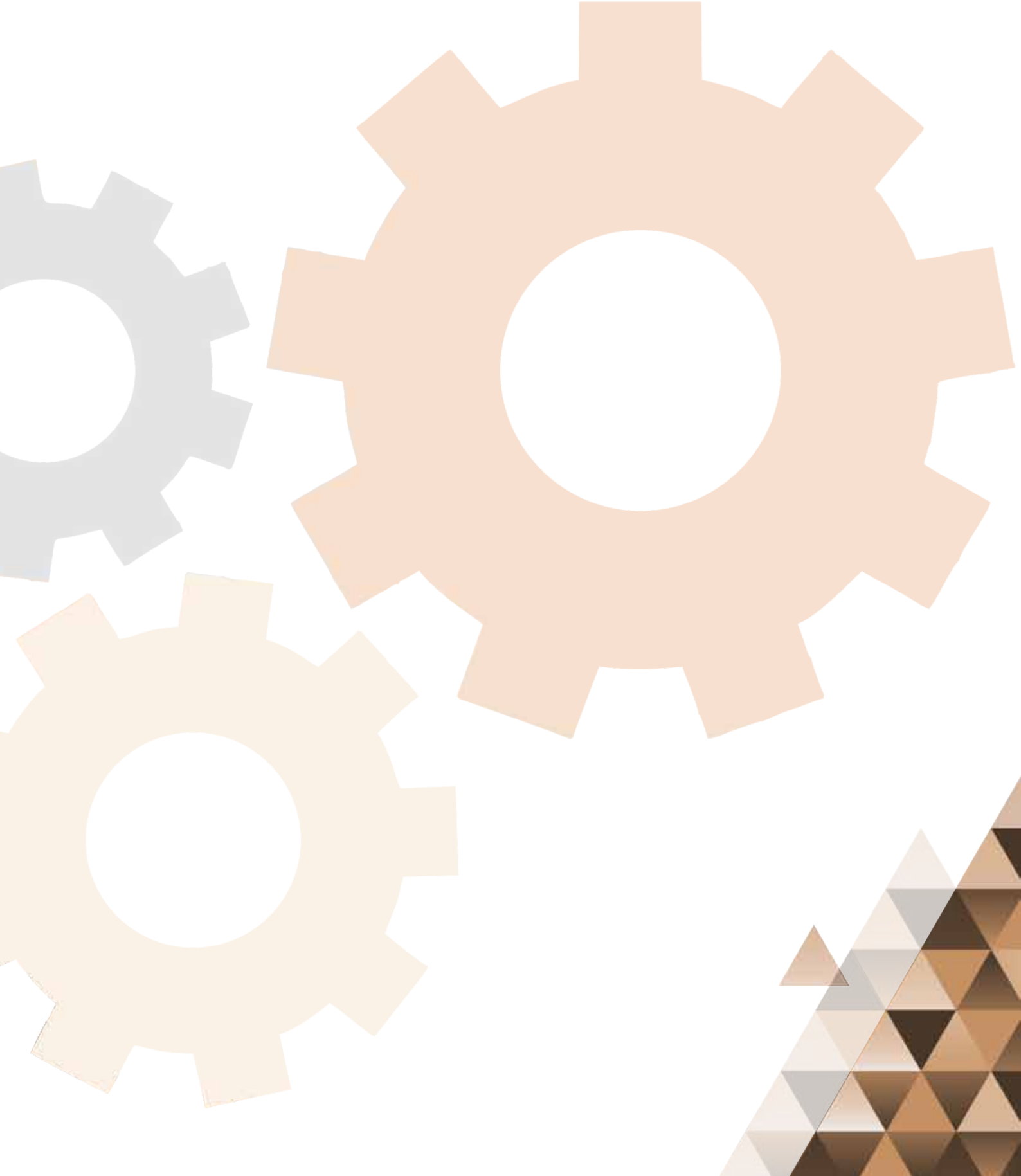
भारत के संविधान द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) को संघ और राज्यों और अन्य सत्त्वों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था (साई) है और इससे लेखापरीक्षित सत्त्वों की वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की अपेक्षा की जाती है।

इस प्रतिवेदन का लक्ष्य उस सीमा तक रिपोर्टिंग के द्वारा जवाबदेही अपेक्षाओं को पूरा करना है जिस तक साई इंडिया ने अपने लेखापरीक्षा अधिदेश तथा अपेक्षित रिपोर्टिंग के संबंध में अपने कर्तव्यों को पूरा किया है। यह साई संसाधनों के

उपयोग में नियमितता तथा दक्षता और हमारी लेखापरीक्षा का प्रभाव भी दर्शाती है।

इस प्रतिवेदन में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग की भूमिका एवं कार्यों के बारे में जागरूकता और समझ पैदा करने, हमारे ग्राहकों और पणधारकों, आन्तरिक एवं बाह्य दोनों को हमारे प्रमुख परिणामों और उपलब्धियों के बारे में सूचित करने का प्रयास किया गया है। साथ ही इसका लक्ष्य हमारे संगठन में नव प्रवर्तन के बारे में सूचना साझा करना है।





अध्याय 1

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के बारे में

1.1 हमारे बारे में

भारत के संविधान के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) तथा उसके अधीन कार्य करने वाला भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग (आईएएडी) संघीय ढाँचे में एक एकीकृत लेखापरीक्षा तंत्र प्रदान करता है। संसदीय लोकतंत्र में जाँच और संतुलन की सांविधिक योजना में इस तंत्र को विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। लेखापरीक्षा नियामक प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है जिसका उद्देश्य लोक वित्त के विवेकपूर्ण प्रबंधन के स्वीकृत मानदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। राज्यों में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिनिधित्व करने वाले साई इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारियों को प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार कहा जाता है।

संसद/राज्य विधानमंडल वार्षिक बजट और अनुपूरक विनियोजनों का अनुमोदन करता है और सरकार को कर एकत्र करने का प्राधिकार देता है। लोक-निधियों के प्रबंधन में औचित्य, नियमितता और सत्यनिष्ठा के मानदण्ड सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय नियमावली है। सरकारी विभागों तथा अन्य सार्वजनिक निकायों से इन नियमों का अनुसरण और उनमें निर्धारित ढाँचे का पालन करने की अपेक्षा की जाती है, जब वे लोक-धन को प्राप्त और खर्च करते हैं। व्यय करने वाले

विभाग अपने द्वारा किए गए व्यय की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के लिए संसद और राज्य विधानमण्डलों के प्रति जवाबदेह हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में सरकारी विभागों की वैधानिक जवाबदेही को लागू करने के लिए संसद की सहायता करने में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए विशिष्ट भूमिका निर्धारित की गई हैं। सीएजी केंद्र एवं राज्य सरकारों दोनों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करता है और राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन भी करता है।

हमारे संघीय बहुदलीय लोकतंत्र के दृष्टिगत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की भूमिका का बहुत महत्व है जहां केंद्र और राज्य दोनों सरकारें बड़ी संख्या में योजनाओं के प्रतिपादन और कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं जिनमें बड़े सार्वजनिक संसाधन शामिल हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना का उपयोग करके सरकारी वितरण प्रणाली में एक आदर्श परिवर्तन हुआ है जिसे भारत सरकार द्वारा सूचना/निधियों के सरल और तेज प्रवाह के लिए कल्याणकारी योजनाओं में मौजूदा प्रक्रिया को फिर से तैयार करने और लाभार्थियों के सटीक लक्ष्यीकरण, डी-डुप्लीकेशन और धोखाधड़ी को कम करने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। लेखापरीक्षा प्रक्रिया में सिविल सोसायटी भी प्रमुख पणधारक के रूप में सामने आ रही है।

1.2 हमारी दूरदृष्टि, उद्देश्य और नैतिक मूल्य



हमारी दूरदृष्टि यह दर्शाती है कि हम क्या बनना चाहते हैं: हम विश्व में अग्रणी बनने और सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षण और लेखाकरण में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों के आरम्भकर्ता और सार्वजनिक वित्त और अभिशासन पर स्वतंत्र, विश्वसनीय, संतुलित और समय रिपोर्टिंग के लिए मान्य होने का प्रयास करते हैं।



हमारा उद्देश्य हमारी वर्तमान भूमिका को प्रस्तुत करता है और आज हम क्या कर रहे हैं, इस का वर्णन करता है: भारत के संविधान द्वारा अधिदेशित हम उच्च गुणवत्ता लेखापरीक्षण एवं लेखाकरण के माध्यम से जवाबदेही, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देते हैं और अपने पणधारकों, विधान मंडल, कार्यकारिणी और जनता को स्वतंत्र आश्वासन मुहैया कराते हैं कि लोक निधियों का दक्षता और अपेक्षित उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है।



हमारे नैतिक मूल्य उन सभी के लिए मार्गदर्शक स्तम्भ हैं जो कुछ हम करते हैं और हमारे निष्पादन का निर्धारण करने के लिए हमारे बेंचमार्क हैं: स्वतंत्रता, वस्तुनिष्ठता, सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता, व्यावसायिक उत्कृष्टता, पारदर्शिता तथा सकारात्मक दृष्टिकोण देते हैं।

1.3 साई की स्वतंत्रता

भारत के संविधान में भारत सरकार और राज्यों की कार्यकारी शाखा से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की स्वतंत्रता का निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 149 और 150 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 151 में प्रावधान है कि केंद्र तथा राज्य से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद अथवा राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भारत के राष्ट्रपति/राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी है जो न तो कार्यपालिका और न ही विधायिका का भाग है।

संविधान में निम्नलिखित के प्रावधान से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से लेखापरीक्षा के लिए सक्षम बनाया गया है:

- भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की नियुक्ति;

- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को हटाने की विशेष प्रक्रिया जैसा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लागू है;
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वेतन और खर्चे संसद के मत के अधीन नहीं हैं; तथा
- सेवा-काल की समाप्ति के पश्चात् किसी अन्य सरकारी कार्यालय का पद लेने में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अपात्रता।

संविधान में यह भी प्रावधान है कि भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों की सेवा की शर्तें और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां वे होंगी जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों से निर्धारित की जाएं।

1.4 हमारा लेखा अधिदेश¹

भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में घोषित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (सीएजी का डीपीसी अधिनियम 1971) में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य सरकार के लेखाओं के संकलन का प्रावधान है। लेखाओं के संकलन के अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक लेखाओं को तैयार करने और उन्हें राष्ट्रपति को, राज्यों के राज्यपालों को और विधानसभा वाले केंद्र शासित क्षेत्रों (यूटी) के प्रशासकों को प्रस्तुत करने के लिए

उत्तरदायी है। वह लेखाओं को तैयार करने से संबंधित मांगी गई सूचना देता है और सहायता भी प्रदान करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कोषागारों और राज्य सरकारों के अन्य अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत सहायक लेखाओं से राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन करता है। यदि प्राधिकरण से अधिक धनराशि आहरित की जा रही हैं, तो हम सचेत करते हैं। हम व्यय के स्वरूप की सक्रिय रूप से निगरानी करते हैं और निधियों के आधिक्य, अभ्यर्पण और व्ययगत राशि पर परामर्श देते हैं।

¹भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 10, 11 और 12

1.5 हमारा लेखापरीक्षा अधिदेश

1.5.1 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का डीपीसी अधिनियम

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा अधिदेश को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के डीपीसी अधिनियम, 1971 और संसद द्वारा बनाए गए कुछ अन्य कानूनों में परिभाषित किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को निम्नलिखित की लेखापरीक्षा एवं रिपोर्ट करने के अधिदेश है:

- केंद्र एवं राज्य सरकारों की समेकित निधि में से सभी प्राप्तियाँ और व्यय;
- आम बजट से बाहर आपातकाल में सभी वित्तीय लेन-देन (जिसे आकस्मिक निधि कहा जाता है);
- केंद्र के साथ-साथ राज्य स्तरों पर न्यासी या बैंकर के रूप में सरकार द्वारा धारित जनता के निजी धन की आवाजाही (जिसे लोक लेखा कहा जाता है);
- किसी भी सरकारी विभाग में रखे गए समस्त व्यापार, विनिर्माण, लाभ हानि लेखे, तुलना-पत्र एवं अन्य सहायक लेखे;
- सभी सरकारी कार्यालयों और विभागों के समस्त भण्डार और स्टॉक लेखे;
- सभी सरकारी कम्पनियों और किसी अन्य कंपनी के लेखे जैसा कंपनी अधिनियम 2013 में परिभाषित है;
- सभी विनियामक निकायों और अन्य सांविधिक प्राधिकरणों/निगमों के लेखे, जिनमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा उनकी लेखापरीक्षा का शासी विधियों में प्रावधान है;
- सरकारी राजकोष से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित सभी स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों के लेखे;
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के डीपीसी अधिनियम, 1971 के समर्थकारी प्रावधानों के अन्तर्गत राष्ट्रपति/राज्यपाल/उप राज्यपाल द्वारा लोकहित में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा हेतु विशिष्ट रूप से सौंपे गए किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखे।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को निम्नलिखित विशेष उत्तरदायित्व भी सौंपे गए हैं:

- क्रमिक केंद्रीय वित्त आयोगों की सिफारिशों पर, राज्यों ने सीएजी के डीपीसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत, राज्य सरकारों के स्थानीय फंड ऑडिट विंग, जो स्थानीय निकाय (एलबी) के प्राथमिक लेखापरीक्षक हैं, को तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता (टीजीएस) प्रदान करने की भूमिका सौंपी है। टीजीएस के घटकों में अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा मानकों की स्थापना, लेखापरीक्षा योजना, बेहतर लेखापरीक्षा पद्धतियों को अपनाने और क्षमता निर्माण के लिए प्राथमिक लेखापरीक्षकों का समर्थन और सहयोग शामिल है। इसके अलावा, केंद्र/राज्य सरकारों से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त धन के उपयोग और स्थानीय निकायों द्वारा केंद्र/राज्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी लेखापरीक्षा की जाती है। इसके अलावा, उन स्थानीय निकायों की सभी प्राप्तियों और व्ययों की लेखापरीक्षा की जाती है जिन्हें या तो भारत/राज्यों की संचित निधि से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है या जहां ऐसी लेखापरीक्षा राज्य सरकारों द्वारा सौंपी गई है।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के अन्तर्गत संघ सरकार की अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में निष्पादन की समीक्षा करना।
- केंद्रीय करों/शुल्कों की निवल प्राप्तियों को प्रमाणित करना जो राज्यों के साथ सहभाजन योग्य है।

1.5.2 न्यायिक घोषणा के माध्यम से अधिदेश

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पास उन निजी कम्पनी के लेखाओं की लेखापरीक्षा का भी अधिकार है, जो सामान्यतया भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा अधिदेश में नहीं है, यदि कम्पनी को लाइसेंस की शर्तों के अन्तर्गत दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति दी गई है, जिसमें अपेक्षित है कि कम्पनी इस प्रकार अर्जित राजस्व के एक भाग को सरकार के साथ सहभाजित करेगी। इस प्राधिकार को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 17 अप्रैल 2014 के उनके निर्णय द्वारा टेलिकाम सेवाएं प्रदान करने वाली कम्पनियों के संबंध में समर्थन दिया गया था।

1.6 हमारी शक्तियाँ

1.6.1 लेखापरीक्षा करने की शक्तियाँ

ऊपर उल्लिखित कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पास निम्नलिखित शक्तियाँ हैं:

- अपनी लेखापरीक्षा के अध्यक्षीन किसी कार्यालय अथवा संगठन का निरीक्षण;
- किसी लेखापरीक्षित सत्त्व से किन्हीं अभिलेखों, कागजातों, दस्तावेजों को मँगाना;
- लेखापरीक्षा की सीमा और तरीके का निर्णय लेना;
- सभी लेन-देनों की जाँच करना और कार्यपालिका से प्रश्न करना; और
- जब परिस्थितियाँ ऐसी हों, तो किसी लेखे अथवा लेन-देनों के वर्ग की विस्तृत लेखापरीक्षा के किसी भाग को छोड़ना और ऐसे लेखाओं अथवा लेन-देनों के संबंध में ऐसी सीमित जाँच करना जैसा कि वह अवधारित करें।

1.6.2 प्रत्यायोजन की शक्तियाँ

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के डीपीसी अधिनियम 1971 अथवा किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत अपने विभाग के किसी अधिकारी को अपनी शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जा सकती हैं, इस अपवाद के साथ कि जब तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक छुट्टी अथवा अन्य किसी कारण से अनुपस्थित न हो तब तक कोई अधिकारी उनकी ओर से राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता।

1.6.3 विनियम बनाने की शक्तियाँ

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के डीपीसी अधिनियम 1971 के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए विनियम बनाए जा सकते हैं, जहाँ तक कि वे लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र और सीमा से संबंधित हैं, जिनमें सरकारी विभागों के मार्गदर्शन, सरकारी लेखाकरण के सामान्य सिद्धान्तों और प्राप्तियों एवं व्यय की लेखापरीक्षा के संबंध में विस्तृत सिद्धान्तों को निर्धारित किया गया है।

पर्यावरण में महत्वपूर्ण विकास को ध्यान में रखते हुए जिसमें सार्वजनिक लेखापरीक्षक कार्य करते हैं जैसे शासन प्रतिमान, सरकारी प्राथमिकताओं में परिवर्तन, सरकार की सेवा वितरण और डेटा वातावरण में आईटी उपकरणों की व्यापक तैनाती, संस्थागत व्यवस्थाओं का नया स्वरूप, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिदेश की न्यायिक व्याख्या, सार्वजनिक लेखापरीक्षा प्रावधानों का दायरा और प्रयोज्यता आदि, उपर्युक्त शक्तियों के तहत 2007 में जारी किए गए 'लेखापरीक्षा तथा लेखा विनियमों' की समीक्षा की गई थी और उन्हें लेखापरीक्षा लेखा विनियम (संशोधन) 2020 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

1.6.4 नियम बनाने की शक्तियाँ

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से परामर्श के उपरान्त केंद्र सरकार लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों को लेखे सौंपने वाले कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रारंभिक एवं सहायक लेखाओं को रखने के तरीके सहित संघ तथा राज्य सरकार के विभागों द्वारा लेखाओं के रखरखाव हेतु नियम बनाने के लिये प्राधिकृत है।

²भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 18, 21, 22, 23 और 24

1.7 हम विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षा करते हैं

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की शक्तियां किसी लेखापरीक्षा के किए जाने में अपनाए जाने वाले कार्यक्षेत्र, सीमा, पद्धति तथा उपागम तक विस्तारित हैं। हम वित्तीय लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा और निष्पादन लेखापरीक्षा या इस प्रकार की लेखापरीक्षाओं के किसी संयोजन का आयोजन इससे संबंधित, हमारे अधिदेश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार करते हैं।

1.7.1 अनुपालन लेखापरीक्षा

अनुपालन लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र निर्धारण है कि क्या कोई दी गई विषय वस्तु (एक गतिविधि, वित्तीय या गैर-वित्तीय लेनदेन, एक सत्त्व या सत्त्वों के एक समूह के संबंध में जानकारी) लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, स्थापित आदि और सुदृढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और सार्वजनिक कर्मचारियों के आचरण को शासित करने वाले सामान्य सिद्धांतों के साथ सभी भौतिक संबंधों का अनुपालन करता है।

1.7.2 वित्तीय लेखापरीक्षा

वित्तीय लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने से संबंधित है कि क्या किसी सत्त्व के वित्तीय विवरण और जानकारी ठीक से तैयार की गई है, सभी तरह से पूर्ण है और निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग और नियामक ढांचे के अनुसार पर्याप्त प्रकटीकरण के साथ प्रस्तुत की गयी हैं; और लेखापरीक्षक को उस एक राय को व्यक्त करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त साक्ष्य

प्राप्त करके पूरा किया गया है कि क्या वित्तीय विवरण और जानकारी सत्त्व की वित्तीय स्थिति के एक सच्चे और निष्पक्ष दृष्टिकोण की द्योतक है और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण प्रत्यक्ष गलत बयानी से मुक्त है। इसमें निम्न शामिल हैं:

- वित्तीय अभिलेखों की जाँच और मूल्यांकन तथा वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना;
- लागू संविधियों और विनियमों जो लेखाकरण अभिलेखों की यथार्थता और पूर्णता को प्रभावित करते हैं, के अनुपालन के मूल्यांकन सहित वित्तीय प्रणालियों और संव्यवहारों की लेखापरीक्षा; और
- आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की लेखापरीक्षा जो परिसम्पत्तियों और संसाधनों की रक्षा में सहायता करते हैं और लेखाकरण अभिलेखों की यथार्थता और पूर्णता सुनिश्चित करते हैं।

1.7.3 निष्पादन लेखापरीक्षा

निष्पादन लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय जांच है कि क्या सरकारी सत्त्व, संस्थाएं, प्रचालन, कार्यक्रम, निधियां, कार्यकलाप (उनके इनपुट, प्रक्रियाओं, आउटपुट, परिणामों और प्रभावों के साथ) मितव्ययिता और प्रभावशीलता के सिद्धांतों के अनुसार कार्य कर रही हैं और क्या सुधार के लिए जगह है।

1.8 हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया

साई स्तर पर और पृथक लेखापरीक्षा कार्यालय स्तर पर लेखापरीक्षा प्रक्रिया चरणों का अनुसरण करती है, जैसा कि निम्नलिखित चित्र में दर्शाया गया है:



प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विकसित वार्षिक लेखापरीक्षा योजनाओं में वार्षिक लेखापरीक्षा चक्र के दौरान निष्पादन हेतु योजनाबद्ध अलग-अलग लेखापरीक्षाओं का विवरण होता है। वार्षिक योजना कार्य में मामले या यूनिट और मानव संसाधन के महत्व सहित लेखापरीक्षा अधिदेश; जोखिम निर्धारण; और अन्य प्रासंगिक मापदण्डों द्वारा यथा अवधारित लेखापरीक्षा की आवधिकता को भी ध्यान में रखा जाता है। निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए विषयों का चयन जोखिम मूल्यांकन, भौतिकता और महत्व, विषय की दृश्यता, पिछली लेखापरीक्षा, अनुमानित प्रभाव, कवरेज और कार्यक्रम के विकास के चरण आदि जैसे विभिन्न विचारों द्वारा निर्देशित होता है।

हम तैनात किए जाने वाले लेखापरीक्षा दलों, आवंटित समय और लेखापरीक्षा की वास्तविक तारीखों का वर्णन करते हुए विस्तृत लेखापरीक्षा कार्यक्रम भी बनाते हैं। लेखापरीक्षा दल अपने लेखापरीक्षा निष्कर्षों के समर्थन में विश्वसनीय, सक्षम और पर्याप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के संग्रहण के लिए तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित लेखापरीक्षा प्रतिमानों के आधार पर लेखापरीक्षा करते हैं। उनका मार्गदर्शन साई इण्डिया के लेखापरीक्षण मानकों तथा समय-समय पर जारी किये गये अन्य अनुदेशों द्वारा किया जाता है।

लेखापरीक्षा के समापन पर लेखापरीक्षित सत्त्व को एक निरीक्षण रिपोर्ट जारी की जाती है। उच्च मूल्य वाले लेखापरीक्षा निष्कर्ष या वह जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता

है, जिनको संघ तथा राज्य स्तर पर संसद/विधान मंडल में प्रस्तुत करने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए आगे संसाधित किया जाता है।

लेखापरीक्षित सत्त्वों से लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बतायी गई त्रुटियों और की गई सिफारिशों के आधार पर कार्यवाही करने की आशा की जाती है और उनको लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल की गयी लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर की गई कार्यवाही टिप्पणियाँ भेजना अपेक्षित है। संघ और राज्य स्तरों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर संबंधित लोक लेखा समितियों (पीएसी) और लोक उपक्रम समितियों (सीओपीयू) द्वारा चर्चा की जाती है। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों तथा सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की भी जाँच की जाती है और उन्हें बाद की लेखापरीक्षाओं के दौरान सूचित किया जाता है।

लेखापरीक्षित सत्त्वों द्वारा गठित लेखापरीक्षा समितियाँ लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिये एक तंत्र है। लेखापरीक्षित सत्त्व और भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारियों से बनी लेखापरीक्षा समितियाँ, अनुवर्ती प्रक्रिया की मानीटरिंग करती हैं ताकि, अनुबोध अंतराल को कम किया जा सके और बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर चर्चा करने एवं उनका निपटान करने के अतिरिक्त संप्रेषण के स्तर को बढ़ाया जा सके।

1.9 वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2020-21 की मुख्य बातें

वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2020-21 ने वित्तीय प्रमाणन लेखापरीक्षा से संबंधित कार्यों को पहली प्राथमिकता दी थी जिनमें लेखाओं के प्रमाणीकरण और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की प्रमाणन लेखापरीक्षा शामिल हैं। अनुपालन तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं की हमारी कवरेज लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की गुणवत्ता और समयबद्धता पर बल देने के साथ, जोखिम निर्धारण और हमारे शेष संसाधनों के ईष्टतम उपयोग द्वारा मार्गदर्शित थी।

पणधारकों और विशेषज्ञों के साथ पारस्परिक विचार-विमर्श करने के बाद, वर्ष के दौरान तीन अखिल भारतीय निष्पादन लेखापरीक्षाएं शुरू की गईं अर्थात् आयुष्मान भारत-

पीएमजेएवाई (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना), पीएम किसान सम्मान निधि योजना और दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)। इन विषयों के अलावा, हमने लेखापरीक्षाओं में ध्यान केंद्रित करने के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रभावकारिता की लेखापरीक्षा, राज्य भर में सरकारी चिकित्सा संस्थाओं में औषधियों और उपकरणों की उपलब्धता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, कामकाजी महिलाओं के छात्रावासों की पर्याप्तता, डिस्कॉम का निष्पाद-पूर्व और पश्च उदय, शहरी क्षेत्रों/स्मार्ट सिटी में अपशिष्ट प्रबंधन, और अवैध खनन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राज्यों में क्रॉस कटिंग लेखापरीक्षा के लिए योजना बनाई।

1.10 संगठन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग के माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। विभाग में लगभग 43,000 कर्मचारी हैं। नई दिल्ली स्थित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग का मुख्यालय है। 2020-21 के दौरान, 138 क्षेत्रीय कार्यालयों (पूरे भारत में फैले 133 कार्यालय और विदेश में स्थित पांच कार्यालय) द्वारा यह समर्थित हैं।



*सिविल लेखापरीक्षा (13) रक्षा लेखापरीक्षा (6) वित्त एवं दूरसंचार लेखापरीक्षा (1) रेलवे लेखापरीक्षा (18) वाणिज्यिक लेखापरीक्षा (11) विदेश स्थित लेखापरीक्षा (3)

**राष्ट्रीय अकादमी (1) अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान (2) क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (10) क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र (2)

1.11 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली में स्थित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के लेखापरीक्षा, लेखा एवं हकदारी कार्यों से संबंधित सभी कार्यकलापों का निर्देश, अनुश्रवण और नियंत्रण करता है। यह साई इंडिया की दीर्घकालिक संकल्पना, उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करता है। यह नीतियों, लेखापरीक्षण मानकों और प्रणालियों को निर्धारित करता है और सभी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अंतिम प्रसंस्करण और अनुमोदन करता है। इन उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए लेखा एवं हकदारी, सिविल लेखापरीक्षा, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, रक्षा लेखापरीक्षा, रेलवे लेखापरीक्षा, राजस्व लेखापरीक्षा, राज्य सरकारी

लेखापरीक्षा, व्यावसायिक प्रथाएं, नीतिगत प्रबंधन, कार्मिक प्रशासन, प्रशिक्षण, संचार, क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण, बिग डेटा मैनेजमेंट इत्यादि के कार्य करने वाले पृथक डिविजन हैं। इन डिविजनों के प्रमुख उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक / अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक हैं जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को रिपोर्ट करते हैं। उनकी सहायता महानिदेशक, प्रधान निदेशक, निदेशक और उप निदेशक करते हैं जो सभी वरिष्ठ स्तर के प्रबन्धक हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय का संगठन चार्ट <https://cag.gov.in/content/organisation-chart> पर उपलब्ध है।



1.12 भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में क्षेत्रीय कार्यालय

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय में कार्यात्मक विंग देश के विभिन्न भागों में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समर्थित हैं। ये कार्यालय भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा और लेखा अधिदेश को पूरा करने के लिए उत्तरदायी हैं। विभाग में क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रकार नीचे वर्णित हैं।

- **महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय राजस्व) का कार्यालय** संघ सरकार के राजस्व की लेखापरीक्षा संभालता है।
- **महानिदेशक लेखापरीक्षा (रक्षा सेवाएं), प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (वायु सेना) और प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (नौ सेना) के कार्यालय** सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, उनके अधीन संबद्ध कार्यालयों सहित रक्षा मंत्रालय/विभागों की लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी हैं।
- **महानिदेशक लेखापरीक्षा (रेलवे बोर्ड), दिल्ली, महानिदेशक (रेल वाणिज्यिक), दिल्ली का कार्यालय और देश भर में रेलवे जोन के अनुसार गठित लेखापरीक्षा कार्यालय** सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों और उनके अधीन संबद्ध कार्यालयों सहित रेल मंत्रालय की लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी हैं।
- **महानिदेशक/प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (संघीय मंत्रालयों/विभागों) के कार्यालय:** उपर्युक्त कार्यालयों के अलावा, दिल्ली और बाहर 24 लेखापरीक्षा कार्यालय हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों और उनके अधीन संबद्ध कार्यालयों सहित शेष संघीय मंत्रालयों/विभागों की प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी हैं। इन कार्यालयों को मुख्य रूप से मंत्रालयों की लेखापरीक्षा सौंपी गई है, जिन्हें आज के

शासन, कार्यक्रम और सेवा वितरण परिदृश्य और भविष्य के लिए कार्यनीतियों को देखते हुए सबसे अधिक अन्तर्सम्बद्ध परिणाम और लिंकेज माना जाता है।

- **विदेश स्थित लेखापरीक्षा कार्यालय,** वाशिंगटन, लंदन और कुआलालम्पुर, लेखापरीक्षा दूतावास और उनके क्षेत्राधिकार में अन्य सरकारी संस्थापन के अध्यक्ष प्रधान निदेशक होते हैं।
- **बाह्य लेखापरीक्षा कार्यालय-रोम और जिनेवा में बाह्य लेखापरीक्षा के निदेशकों की अध्यक्षता में खाद्य और कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन की लेखापरीक्षा।**
- **प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय प्रत्येक राज्य में** उनको आबंटित सभी विभागीय समूहों की लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी हैं।
- **प्रत्येक राज्य में प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय,** उन्हें आबंटित सभी विभागीय समूहों की लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं।
- **प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार लेखा एवं हकदारी (ले. एवं हक.) कार्यालय** राज्य सरकारों के लेखाओं के संकलन और उनके कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि और पेंशन भुगतानों को प्राधिकृत करने में लगे हैं।
- **प्रशिक्षण संस्थान-तीन अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर की केन्द्रीय संस्थाएं, 10 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान तथा दो क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग में अधिकारियों एवं स्टाफ के क्षमता निर्माण में लगे हैं।**

1.13 भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग का संगठनात्मक ढाँचा

मुख्यालय में भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के संगठनात्मक ढाँचों को संक्षिप्त रूप में नीचे दर्शाया गया है:

प्रभार	क्षेत्र
संघ सरकार की लेखापरीक्षा	
उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (डीएआई) – केन्द्रीय राजस्व लेखापरीक्षा	संघ सरकार के राजस्व (आयकर, माल और सेवा कर और सीमा शुल्क) की शीर्ष लेखापरीक्षण के अध्यक्ष है
उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (डीएआई) – वाणिज्यिक	15 आर्थिक मंत्रालयों और संघ सरकार के 3 विभागों और उनके अधीन वाणिज्यिक उपक्रमों और स्वायत्त निकायों की शीर्ष लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी अध्यक्ष है।
उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (डीएआई) – समन्वय, संचार और सूचना प्रणाली	वाणिज्यिक उपक्रमों और उनके अधीन स्वायत्त निकायों सहित वित्त, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों/विभाग की लेखापरीक्षा के शीर्ष अध्यक्ष है। इसके अलावा डेटा विश्लेषिकी और आईटी प्रणालियों की लेखापरीक्षा और नीतिगत प्रबंधन और नीति निर्माण और केंद्र/राज्य सरकारों की लेखापरीक्षा से संबंधित मुद्दों का समन्वय करने वाले अध्यक्ष है। डीएआई को अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (व्यावसायिक प्रथा समूह, नीतिगत प्रबंधन इकाई और स्थानीय निकाय) और अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (वित्त और संचार) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (डीएआई) – रक्षा एवं रेलवे	वाणिज्यिक उपक्रमों और उनके अधीन स्वायत्त निकायों सहित रक्षा और रेलवे के मंत्रालयों की लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी अध्यक्ष है।
उप नियंत्रक महालेखापरीक्षक (डीएआई) – रिपोर्ट केन्द्रीय	आर्थिक, रक्षा, वित्त, संचार और जिसमें उनके अधीन वाणिज्यिक उपक्रम और स्वायत्त निकाय शामिल हैं, के अलावा सभी संघीय मंत्रालयों/विभागों की शीर्ष लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी अध्यक्ष है।

प्रभार	क्षेत्र
राज्य सरकारों की लेखापरीक्षा	
अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (एडीएआई) – मध्य क्षेत्र	आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में मंत्रालयों/विभागों की उनके अधीन वाणिज्यिक उपक्रमों और स्वायत्त निकायों सहित शीर्ष लेखापरीक्षण के अध्यक्ष हैं।
अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (एडीएआई) – पूर्वी क्षेत्र	बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों में मंत्रालयों/विभागों की उनके अधीन वाणिज्यिक उपक्रमों और स्वायत्त निकायों सहित शीर्ष लेखापरीक्षण के अध्यक्ष हैं।
अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (एडीएआई) – उत्तरी क्षेत्र	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित क्षेत्र, लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र और पंजाब राज्यों में मंत्रालयों/विभागों की उनके अधीन वाणिज्यिक उपक्रमों स्वायत्त निकायों सहित शीर्ष लेखापरीक्षण के अध्यक्ष हैं।
अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (एडीएआई) – उत्तर मध्य क्षेत्र	उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली राज्यों में मंत्रालयों/विभागों की उनके अधीन वाणिज्यिक उपक्रमों और निकायों सहित शीर्ष लेखापरीक्षण के अध्यक्ष हैं।
अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (एडीएआई) – पूर्वोत्तर क्षेत्र	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों में मंत्रालयों/विभागों की उनके अधीन वाणिज्यिक उपक्रमों और स्वायत्त निकायों सहित शीर्ष लेखापरीक्षण के अध्यक्ष हैं।
अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (एडीएआई) – दक्षिणी क्षेत्र	कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में मंत्रालयों/विभागों की उनके अधीन वाणिज्यिक उपक्रमों और स्वायत्त निकायों सहित शीर्ष लेखापरीक्षण के अध्यक्ष हैं।
अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (एडीएआई) – पश्चिमी क्षेत्र	गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों में मंत्रालयों/विभागों की उनके अधीन वाणिज्यिक उपक्रमों और स्वायत्त निकायों सहित शीर्ष लेखापरीक्षण के अध्यक्ष हैं।

प्रभार	क्षेत्र
सरकारी लेखे	
उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (डीएआई) – भारतीय लेखे और अध्यक्ष-गसब	<p>विभाग के सहायक लेखा एवं हकदारी की अध्यक्षता करता है जिसमें 28 कार्यालय शामिल हैं। ये कार्यालय, राज्य सरकार के लेखों और राज्य सरकार के कर्मचारियों की हकदारी का संकलन कार्य करते हैं।</p> <p>सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड (गसब) की भी अध्यक्षता करता है जो सार्वजनिक क्षेत्र में लेखाकरण मानकों को स्थापित करने का कार्य करता है।</p> <p>डीएआई को अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (गसब) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।</p>
मानव संसाधन प्रबंधन और अन्य	
उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (डीएआई) – मानव संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध	<p>भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है। मानव संसाधनों, बजट, विधिक मामलों, परीक्षा और राजभाषा कार्यान्वयन वाले विभिन्न सहयोगी कार्यों का प्रमुख होता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध डिवीजन का भी प्रमुख होता है।</p> <p>डीएआई को अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (प्रशिक्षण) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।</p>
अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (एडीएआई) – निरीक्षण	<p>अनुपालन स्तर पर आश्वासन देने, मानव पूंजी की ईष्टतम उपयोगिता के लिए कार्यप्रणाली सुधार, कार्यक्षमता इष्टतमीकरण और अंतराल विश्लेषण के संदर्भ में निरीक्षण कार्यों के लिए उत्तरदायी सहयोगियों की अध्यक्षता करता है।</p>

1.14 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

लेखापरीक्षा संबंधी मामलों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सलाह देने के लिए एक लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड होता है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संवैधानिक अधिदेश के ढाँचे के तहत लेखापरीक्षा के निष्पादन और संकेंद्रित होने में सुधारों की सलाह देता है।

बोर्ड में मनोनीत बाहरी सदस्य शामिल होते हैं जो भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में उप-नियंत्रक एवं

महालेखापरीक्षक के साथ-साथ विविध क्षेत्रों में प्रख्यात व्यक्ति होते हैं। बोर्ड के सदस्य अवैतनिक क्षमता पर कार्य करते हैं। लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन प्रत्येक दो वर्षों में किया जाता है। प्रथम लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन 1999 में किया गया था। तब से, बोर्ड का नौ बार (2001, 2003, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2018 और 2021) पुनर्गठन किया गया है। दसवें लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन दो वर्षों की अवधि 2021-2023 के लिए अप्रैल 2021 में किया गया जिसमें निम्नलिखित शामिल है:

पदेन अध्यक्ष

श्री गिरीश चंद्र मुर्मू
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

सदस्य

श्री अशोक गुलाटी
कृषि अर्थशास्त्री

डॉ. देवी प्रसाद शेटी
अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक,
नारायणा हेल्थ

श्री एच. के. दास
सेवानिवृत्त भारतीय
प्रशासनिक अधिकारी

श्री मकरंद आर. परांजपे
विधाविद सदस्य

श्री मनीष सभरवाल
एचआर सलाहकार

श्री मारुफ रजा
सेवानिवृत्त भारतीय सेना अधिकारी

श्री नितिन देसाई
विशिष्ट अध्यापक, टेरी,
यूएन सेवानिवृत्त

डॉ. रविंद्र एच. ढोलकिया
अर्थशास्त्री

श्री एस.एम. विजयानंद
सेवानिवृत्त भारतीय
प्रशासनिक अधिकारी

श्री सुरेश एन. पटेल
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त

सभी उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक-पदेन सदस्य

अध्याय 2

लेखापरीक्षा में मुख्य परिणाम एवं उपलब्धियाँ

विभाग के मुख्य कार्यात्मक क्षेत्रों में केंद्र तथा राज्य सरकारों के मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू), और उनके अधीन स्वायत्त निकायों तथा स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा करना शामिल है।

इन लेखापरीक्षाओं के मुख्य परिणाम निरीक्षण रिपोर्टें, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र हैं। इन लेखापरीक्षा उत्पादों की गुणवत्ता तथा समयबद्धता सुनिश्चित

करना भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग का मुख्य परिणाम क्षेत्र है। इस अध्याय में, हमने 2020-21 के दौरान अपने द्वारा की गई लेखापरीक्षाओं तथा हमारे लेखापरीक्षा उत्पादों के मुख्य बिंदुओं की सूचना दी है।

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग वित्तीय, अनुपालन तथा निष्पादन लेखापरीक्षा करता है। 2020-21 के दौरान की गई लेखापरीक्षाओं का विवरण आगामी अनुच्छेदों में दिया गया है:

2.1 वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा

संघ तथा राज्य सरकारों, स्वायत्त निकायों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वार्षिक लेखाओं की वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग आर्थिक सहायता करारों के भाग के रूप में बाह्य सहायता प्राप्ति परियोजनाओं पर किए गए व्यय को भी प्रमाणित करता है।

2020-21 के दौरान, हमने संघ और राज्य सरकारों, पीएसयू, स्वानयत निकायों, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं और अन्य सत्वों के 4,002 लेखाओं की जांच की और प्रत्येक लेखे के लिए एक लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र जारी किया। लेखापरीक्षा के 1,947 प्रमाण-पत्र निर्धारित समय-सीमा में जारी किए गए।

लेखा संबंधित है	जांच किए गए लेखा	समय पर लेखापरीक्षा प्रमाणीकरण
केंद्र/राज्य सरकार	246	216
पीएसयू (केंद्र/राज्य)	1,373	875
स्वायत्त निकाय (केंद्र/राज्य)	828	291
बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं (केंद्र/राज्य)	182	120
अन्य (केंद्र/राज्य) ³	1,373	445
कुल	4,002	1,947

³ अन्य में केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं सहित वाणिज्यिक प्रकृति के विभागीय उपक्रमों के प्रोफॉर्मा खाते शामिल हैं

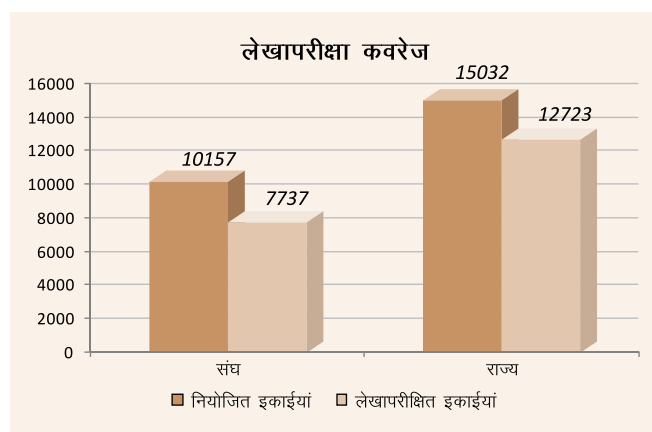
लेखाओं के प्रमाणीकरण में विलम्ब अपूर्ण लेखाओं की प्राप्ति लेखाओं के संशोधन; स्वायत्त निकायों, कम्पनियों और सांविधिक निकायों से लेखाओं की विलम्ब से प्राप्ति; क्रियाविधिक विलम्ब; लेखाओं के सत्यापन हेतु अभिलेखों की प्राप्ति न होने तथा अभ्युक्तियों का निपटान न होने के कारण

विलम्ब; लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर उत्तर की प्राप्ति में विलम्ब; महत्वपूर्ण मामलों पर प्रबंधन के साथ चर्चा में लिया गया लम्बा समय और लेखाओं की बंदिंग आदि के कारण था। कोविड-19 के फैलाव ने भी विलम्ब में योगदान दिया।

2.2 अनुपालन लेखापरीक्षा

2.2.1 लेखापरीक्षा कवरेज

2020-21 के दौरान, कुल 20,460 इकाईयों की लेखापरीक्षा की गई। नीचे दिया गया ग्राफ दर्शाता है कि केंद्र स्तर पर नियोजित लेखापरीक्षाओं का 76.17 प्रतिशत एवं राज्य स्तर पर नियोजित लेखापरीक्षाओं का 84.64 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका था।



2.2.2 निरीक्षण रिपोर्टें

निरीक्षण रिपोर्ट लेखापरीक्षित सत्त्व को प्रत्येक लेखापरीक्षा पूरी होने पर जारी की जाती है। वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित 20,460 इकाईयों में से 16,671 इकाईयों (81.48 प्रतिशत) के मामलों में 2020-21 में निरीक्षण रिपोर्टें जारी की गईं।

केंद्र स्तर पर, 83.13 प्रतिशत निरीक्षण रिपोर्ट समय पर अर्थात् 30 दिनों के अन्दर जारी की गईं जबकि राज्य स्तर पर 61 प्रतिशत का निष्पादन ही समय पर हुआ था।

लेखा परीक्षा रिपोर्ट	जारी की गई निरीक्षण रिपोर्ट	30 दिनों के अंदर जारी की गई निरीक्षण रिपोर्ट	30 दिनों में जारी की गई निरीक्षण रिपोर्टों की प्रतिशतता
संघ	5,935	4,934	83.13
राज्य	10,736	6,557	61.07
कुल	16,671	11,491	68.93

2.2.3 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सूचित की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान की गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किया गया है। 2020-21 के दौरान अनुमोदित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में कुल 8,209 पैराग्राफ (केंद्र के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 1,294 और राज्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 6,915) शामिल किए गए थे।

संघ स्तर पर, लेखापरीक्षित सत्त्वों द्वारा 1,294 पैराओं में से 574 को स्वीकार किया गया था और 63 पैराओं को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था। राज्य स्तर पर लेखापरीक्षित सत्त्वों द्वारा 6,915 पैरा में से 5,878 को स्वीकार किया गया था और 226 को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था।

2.3 निष्पादन लेखापरीक्षा

वर्ष 2019-20 में अपनाए गए दृष्टिकोण को जारी रखते हुए उन लेखापरीक्षा के क्षेत्रों की केंद्रीय रूप से पहचान की गई और चयन किया गया जो परिणाम केंद्रित थे। जैसा कि पैरा 1.9 में उल्लेख किया गया है, लेखापरीक्षा हेतु लिए गए कुछ महत्वपूर्ण विषयों में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रभावकारिता की लेखापरीक्षा, राज्य भर में सरकारी चिकित्सा संस्थानों में औषधियों, दवाओं और

उपकरणों की उपलब्धता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, कामकाजी महिलाओं के छात्रावासों की पर्याप्तता, उदय से पहले और बाद में डिस्कॉम का निष्पादन, शहरी क्षेत्रों/स्मार्ट शहरों में अपशिष्ट प्रबंधन और अवैध खनन आदि शामिल हैं। 2020-21 के दौरान अनुमोदित लेखापरीक्षा रिपोर्टों में 67 निष्पादन लेखापरीक्षा विषय शामिल थे, जिनमें 633 सिफारिशें शामिल थीं।

2.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

संविधान का अनुच्छेद 151 यह परिकल्पित करता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक संसद या राज्य विधान मंडल में प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवेदनों को तैयार करेंगे और राष्ट्रपति या राज्यपाल, यथास्थिति को प्रस्तुत करेंगे।

2017-20 के बीच, सीएजी ने संसद/राज्य विधान मंडलों में रखे जाने के लिए सालाना औसतन 96 लेखापरीक्षा रिपोर्टों को मंजूरी दी। वर्ष के दौरान, 123 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अनुमोदित किए गए थे, जिनमें से 18 संसद में प्रस्तुत करने के लिए और 105 राज्य विधान मंडलों में प्रस्तुत करने के लिए थे। 2020-21 के दौरान 123 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में से, 17

केंद्रीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और 64 राज्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदन क्रमशः संसद और राज्य विधान मंडलों के समक्ष प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा, 2020-21 के दौरान पूर्व अवधि को 3 संघ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और 25 राज्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भी संसद/राज्य विधान मंडलों के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों को संसद/राज्य विधान मंडलों में प्रस्तुत किए जाने के बाद, <https://cag.gov.in/audit-reports> पर सार्वजनिक डोमेन में रखा जाता है।

2.5 लेखापरीक्षा का प्रभाव

2.5.1 लेखापरीक्षा द्वारा की गई सिफारिशों की स्वीकृति

वर्ष 2020-21 के दौरान अनुमोदित 123 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों की स्थिति इस प्रकार थी:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	वर्ष के दौरान अनुमोदित लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की संख्या	की गई सिफारिशें	स्वीकार की गई सिफारिशें
केंद्र सरकार	18 ⁴	223	50
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें	105 ⁵	1525	661
कुल	123	1,748	711

इस प्रकार, 2020-21 के दौरान तैयार किए गए 123 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 1,748 सिफारिशें की गईं, जिनमें से 711 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया।

2.5.2 लेखापरीक्षा में बताए जाने पर वसूली

हमारी कुछ लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां कर से कम निर्धारण या राजकोष को विशिष्ट हानि से संबंधित हैं, जिससे संबंधित पक्षों से वसूली की आवश्यकता होती है। वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा में बताए जाने पर की गई वसूली नीचे दर्शाई गई है:

(₹ करोड़ में)

	स्वीकृत की गई वसूली	प्रभावित वसूली
केंद्र सरकार	11,258.21	3,671.38
राज्य सरकार	17,901.28	2,042.70
कुल	29,159.49	5,714.08

⁴ इनमें से, 2020-21 के दौरान 17 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत किए गए
⁵ इनमें से 2020-21 के दौरान, 64 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधान मंडलों को प्रस्तुत किए गए

सरकार द्वारा की गई ₹5,714.08 करोड़ की वसूली भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग द्वारा किए गए ₹5,035.25 करोड़ के पूर्ण व्यय से बहुत अधिक थी।

2.5.3 पीएसयू के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा का वित्तीय प्रभाव

सरकारी कंपनियों तथा निगमों के वार्षिक लेखाओं के मामले में हम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के अन्तर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा करते हैं। 2020-21 के दौरान 1,080 कंपनियों और निगमों (संघ और राज्य दोनों) के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई थी और लेखाओं पर इन लेखापरीक्षाओं का प्रभाव था: (क) लेखाओं की टिप्पणियों में संशोधन: ₹48,764.60 करोड़ (ख) वर्गीकरण चूकें: ₹15,739.88 करोड़ (ग) लाभ तथा हानि में परिवर्तन: ₹30,523.69 करोड़ और (घ) परिसम्पत्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन: ₹66,633.64 करोड़।

2.5.4 लेखापरीक्षा में बताए जाने पर नीतियों, कानूनों और नियमों तथा प्रक्रियाओं में परिवर्तन

हमारी अभ्युक्तियों के आधार पर सरकार द्वारा तैयार की गई नीतियों, कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं में कुछ परिवर्तन नीचे दिए गए हैं:

2.5.4.1 संघ लेखापरीक्षा

(i) वाणिज्यिक लेखापरीक्षा-(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पर 2020 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 13)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के कार्यान्वयन में कई कमियां थीं जैसे प्रचालनात्मक विलंब, पात्र कर्मचारियों की सेवा शर्तों को शासित करने वाले नियमों को अंतिम रूप न देना आदि। लेखापरीक्षा की सिफारिशों पर, वित्तीय सेवा विभाग/पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण ने मार्च 2021 में राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली 2021 को अधिसूचित किया, जिसमें एनपीएस के कार्यान्वयन की पद्धति को विनियमित करने का प्रावधान था।

(ii) वाणिज्यिक लेखापरीक्षा-(वर्ष 2019-20 के लिए ऑयल एंड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा)

लेखापरीक्षा की सिफारिशों/अभ्युक्तियों पर ओएनजीसी ने शेल गैस की उपलब्धता, अन्वेषण और दोहन के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यय के लेखाकरण के लिए दिशा-निर्देशों को अपनाया गया।

(iii) रिपोर्ट केंद्रीय-(2019-20 की निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 15) उप सचिव (कार्मिक), सचिवालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन की लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आधार पर अंडमान और निकोबार प्रशासन ने मकान किराया भत्ता (एचआरए) के भुगतान के संबंध में स्थिति की समीक्षा की और उन कर्मचारियों के वेतन से एचआरए के संपूर्ण अस्वीकार्य भुगतान की वसूली करने के लिए आदेश जारी किए जिन्हें एकल/पारिवारिक आवास आवंटित किया गया था।

(iv) रक्षा-(रक्षा ऑफसेट के प्रबंधन पर 2019 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 20)

अभ्युक्तियों को ध्यान में रखते हुए और सत्यापन प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, ऑफसेट दावों की एंड टू एंड ऑनलाइन प्रस्तुति और लेखापरीक्षा करने के लिए मई 2019 में एक ऑफसेट पोर्टल बनाया गया है और संचालित किया गया है। ऑफसेट में घरेलू उद्योग की भागीदारी बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय/रक्षा ऑफसेट प्रबंधन विंग भारतीय उद्योग संघों के सहयोग से निरंतर प्रयास कर रहा है और भारतीय ऑफसेट पार्टनर (आईओपी) आधार को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं।

(v) रेलवे-(2019 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 19 का पैरा संख्या 3.10)

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, रेल मंत्रालय ने आवश्यक आंतरिक संशोधन के माध्यम से लोकों के

व्हील टर्निंग के लिए संतरागाछी कार शेड में एक पिट व्हील लेथ (तिकियापाड़ा के लिए स्वीकृत) इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (ईएमयू) कार शेड को चालू करने की व्यवस्था की है। परिणामस्वरूप, इलेक्ट्रिक लोको शेड संतरागाछी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रखे गए लोको के अवरोधन में कमी आई है, इसके अलावा तिकियापाड़ा ईएमयू कार शेड में व्हील टर्निंग के काम के बोझ को कम किया गया है।

(vi) रेलवे-(2019 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 19 का पैरा 2.1)

रेलवे ने निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से समग्र परिवहन श्रृंखला में रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए निजी माल ढुलाई टर्मिनलों (पीएफटी) नीति को लागू किया था। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने सिफारिश की थी कि रेलवे को नियमों और विनियमों को सरल बनाने और पूरे क्षेत्र के लिए एक एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली बनाने की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा में यह भी सिफारिश की गई थी कि रेलवे पीएफटी में प्रतिनियुक्त वाणिज्यिक कर्मचारियों के लिए लागत का वहन करके टर्मिनल प्रबंधन कंपनियों (टीएमसी) को प्रोत्साहित करने पर विचार कर सकता है।

उपचारात्मक कार्रवाई के रूप में, रेलवे प्रशासन ने संशोधित नीति जारी की है जिसका उद्देश्य सरलीकृत प्रक्रियाओं और एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली को लक्षित करना है। इसी नीति के तहत रेल मंत्रालय ने निजी माल ढुलाई टर्मिनलों पर प्रतिनियुक्त वाणिज्यिक कर्मचारियों की लागत को वहन करके टीएमसी को प्रोत्साहित करने पर विचार किया था।

2.5.4.2 राज्य लेखापरीक्षा

(i) ओडिशा I-(राज्य वित्तीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2019-20)-पूँजीगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण

राज्य सरकार ने राज्य वित्तीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2019-20 पर एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान कहा कि पूँजी और राजस्व शीर्षों के बीच व्यय के वर्गीकरण की

समीक्षा की जाएगी और बजट 2022-23 के दौरान लेखाकरण वर्गीकरण में यथार्थता बनाए रखी जाएगी।

(ii) झारखंड-निरीक्षण रिपोर्ट सं. 68/2016-17 का पैरा सं. 06

लेखापरीक्षा में बताए जाने पर, झारखंड सरकार ने परिवहन वाहन के रूप में पंजीकरण से पहले स्थानीय रूप से निर्मित ट्रैक्टर-ट्रॉली/टैंकर के डिजाइन की अनिवार्य मंजूरी के लिए नवंबर 2020 में एक अधिसूचना जारी की थी।

(iii) उत्तराखंड-(जनवरी 2020 में जारी की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियां)

जिला अस्पतालों में केंद्रीकृत आक्सीजन आपूर्ति प्रणाली स्थापित नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा की सिफारिशों/अभ्युक्तियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने केंद्रीकृत ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली की स्थापना को प्रभावित करने के लिए आदेश जारी किए।

(iv) उत्तराखंड-(मई 2019 में जारी की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियां)

यह इंगित करने पर कि राज्य के किसी भी जिला अस्पताल में गहन परिचर्या इकाईयां (आईसीयू) स्थापित या शुरू नहीं की गई थी, चिकित्सा विभाग ने इस मुद्दे को उठाया और आईसीयू सुविधाओं की स्थापना पर कार्रवाई की।

(v) उत्तराखंड-(मई 2019 में जारी की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियां)

लेखापरीक्षा की सिफारिशों/अभ्युक्तियों पर, राज्य सरकार ने विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक समान मापदंड/मानदंड प्रदान करने के लिए भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अक्टूबर 2019, अप्रैल 2020 और अगस्त 2020 में आदेश जारी किए।

2.6 लेखापरीक्षा निष्कर्षों और सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई

आईएसएसएआई 10 में निर्धारित किया गया है कि साई के पास अनुवर्ती कार्रवाई के लिए स्वतंत्र प्रक्रियाएं होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लेखापरीक्षित सत्त्वों ने उनकी अभ्युक्तियों और सिफारिशों का ठीक से समाधान कर लिया है और सुधारात्मक कार्रवाई की गई है। लेखा और लेखापरीक्षा विनियमावली 2020 में निर्धारित किया गया है कि सरकार के संबंधित विभाग का सचिव उसके विभाग से संबंधित लेखापरीक्षा पैराग्राफ (पैराग्राफों) पर स्व-व्याख्यात्मक की गई कार्रवाई टिप्पणी (टिप्पणियां) तैयार कराएगा, जिसे लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम पर समिति में प्रस्तुतिकरण के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया जाता है।

एक कार्रवाई टिप्पणी में बताया जाता है कि क्या-

- लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के तथ्य और आंकड़ें स्वीकार्य हैं;
- परिस्थितियां, जिनमें लेखापरीक्षा द्वारा इंगित अनियमितताएं घटित हुई;
- जिम्मेदारी तय करने और इनके समापन के लिए संभावित समय-सीमा हेतु कार्रवाई की गई है;
- वसूली की मौजूदा स्थिति;
- लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए सुझावों और सिफारिशों पर कार्रवाई की गई है या प्रस्तावित है; और

- भविष्य में चूक की पुनरावृत्ति से बचने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई की गई है या प्रस्तावित है।

निम्नलिखित तालिका में 31 मार्च 2021 तक की एटीएन की स्थिति को दर्शाया है:

	31 मार्च 2020 की समाप्ति पर प्रतीक्षित एटीएन	वर्ष 2020-21 के दौरान निपटाए गए एटीएन
संघ	1,037	675
राज्य	10,800	687
कुल	11,837	1,362

11,837 लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर एटीएन, संघ और राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए लंबित थे। नतीजतन, लेखापरीक्षा भविष्य में इसी तरह की चूकों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए की गई या की जाने वाली प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाई को सत्यापित नहीं कर सकी।

अध्याय 3

लेखा और हकदारी में महत्वपूर्ण परिणाम और उपलब्धियां

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 10, 11 और 12 के साथ पठित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में संघ तथा राज्यों के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्य तथा शक्तियां निर्धारित की गई हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की जिम्मेदारी राज्य सरकारों (एनसीटी

दिल्ली एवं गोवा के अलावा) के लेखाओं के संकलन, 20 राज्यों में तैयारी के सामान्य भविष्य निधि लेखाओं के रख-रखाव, 19 राज्यों में राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेंशन भुगतानों को प्राधिकृत करने और नौ राज्यों में राजपत्रित हकदारी (जीई) कार्यों के लिए उत्तरदायी है। विवरण इस अध्याय के अंत में **तालिका-3.1** में प्रस्तुत किए गए हैं।

3.1 लेखा कार्य से संबंधित निष्पादन

3.1.1 राज्य प्रधान महालेखाकार (प्र.म.ले)/महालेखाकार (म.ले)/(लेखा एवं हकदारी) संबंधित राज्यों के वार्षिक वित्त और विनियोग लेखाओं को तैयार करते हैं, जिन पर, लेखापरीक्षा द्वारा प्रमाणीकरण के बाद, निर्धारित समय सीमा के अनुसार राज्य विधान मंडलों के पटल पर प्रस्तुत करने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं।

3.1.2 वार्षिक लेखाओं के अतिरिक्त, राज्य सरकारों को नियमित रूप से मासिक सिविल लेखाओं तथा व्यय के आंकड़ों से सम्बन्धित विभिन्न एमआईएस रिपोर्टें उपलब्ध करायी जाती हैं। प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार अपने राज्य के वित्त विभागाध्यक्ष को 'लेखे पर एक नज़र' भी उपलब्ध कराते हैं, जो वित्त और विनियोग लेखाओं पर वृहत विहंगावलोकन प्रदान करता है और पिछले पांच वर्षों की अवधि के दौरान राजकोषीय संकेतक भी है।

3.1.3 लेखाओं की समयबद्धता

i. वित्त और विनियोग लेखे

2019-20 के लिए 16 राज्यों के वित्त और विनियोग लेखाओं को 31 मार्च 2021 तक प्रमाणित किया गया था और इसी वर्ष हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा के लेखाओं को मार्च 2021 के अंत

तक राज्य विधान मंडलों में रखा गया था। 2019-20 के लिए शेष राज्यों के लेखे 31 मार्च 2021 तक या तो मुद्रण स्तर पर थे या अंतिम रूप दिए जा रहे थे या राज्य विधान मंडल में रखने के लिए राज्य सरकारों के पास थे। कुछ मामलों में देरी कोविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन की स्थिति के कारण हुई थी।

ii. मासिक सिविल लेखे

2020-21 के दौरान ले. एवं हक. कार्यालयों द्वारा 364 मासिक सिविल लेखाओं में से 194 समय पर प्रदान किए गए थे, जबकि शेष लेखाओं को प्रस्तुत करने में देरी हुई थी। मासिक सिविल लेखाओं को प्रस्तुत करने में विलंब मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी प्रेरित लॉकडाउन और राज्यों द्वारा सामना किए गए तकनीकी मुद्दों के कारण राज्य सरकारों की कोषागारों/प्रभागों/अन्य लेखे प्रदान करने वाली इकाईयों लेखाओं की देरी से प्राप्ति के कारण हुआ था।

3.1.4 लेखाओं की पूर्णता

प्रदान किए गए मासिक सिविल लेखे सभी मामलों में पूर्ण थे। राज्यों के वार्षिक वित्त लेखे 2019-20 में किसी भी लेखे को छोड़ा नहीं गया था।

3.1.5 संयुक्त वित्त और राजस्व लेखे

संघ तथा भारत में राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व लेखे (सीएफआरए) एक सूचनाप्रद समेकन है, जो वर्ष के लिए संघ, संघ शासित प्रदेशों तथा सभी राज्यों के लेखाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उनके शेष तथा बकाया देयताओं और उनकी वित्तीय स्थिति से सम्बन्धित अन्य जानकारियों का समाकलन करता है। सीएफआरए वार्षिक रूप से प्रकाशित होते हैं और विभिन्न पणधारियों के लिए उपयोगी हैं क्योंकि इसमें संघ और राज्यों की वित्तीय स्थिति का समेकन एक ही स्थान पर होता है। यद्यपि, सीएफआरए का वृहत फ्रेमवर्क प्रतिधारित किया जा चुका है, फिर भी 2016-17 से अपनाया गया संशोधित संस्करण अधिक विश्लेषणात्मक है।

तीन खंडों वाले सीएफआरए विवरण महालेखाकार (ले. एवं हक.) पंजाब द्वारा संकलित किए जाते हैं और महालेखाकार (ले. एवं हक.) हरियाणा द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है। संकलन “एक नज़र में संघ और राज्य वित्त” सीएफआरए विवरणों के पूरक के लिए सीएजी कार्यालय की सरकारी लेखा शाखा द्वारा तैयार किया गया है।

2018-19 के लिए सीएफआरए मार्च 2021 के अंत में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा था। सीएजी वेबसाइट⁶ पर डैशबोर्ड, केंद्र/राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 2017-18 तक पांच साल की अवधि के लिए सीएफआरए डेटा परिचारित करता है। इसके अलावा, विनियोग लेखा डैशबोर्ड को भी पांच वर्ष के डेटा के साथ जोड़ा गया है और इसे “विनियोग लेखा डैशबोर्ड” के तहत एक ही लिंक का उपयोग करके देखा जा सकता है।

3.1.6 वाउचरों के वैधीकरण पर दिशानिर्देश

29वें महालेखाकार सम्मेलन-2018 के दौरान की गई सिफारिशों के आधार पर, मई 2020 में वाउचरों के वैधीकरण पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए थे। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) के कार्यान्वयन के कारण, वाउचर के मुख्य पृष्ठ पर और आईएफएमएस सर्वर से डाउनलोड किए गए डेटा के उल्लिखित विवरणों में व्यावहारिक रूप से कोई अंतर नहीं है, जिससे डेटा प्रविष्टि कार्य में काफी कमी आई है।

3.1.7 आरक्षित निधियों के संचालन और लेखाकरण के बारे में दिशानिर्देश

आरक्षित निधियां विशिष्ट और सुपरिभाषित उद्देश्यों के लिए भारत या राज्य की समेकित निधि या बाहरी एजेंसियों के

योगदान या अनुदान द्वारा बनाई जाती हैं। वे किसी भी देनदारियों, आकस्मिकताओं या प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। 29वें महालेखाकार सम्मेलन-2018 के दौरान की गई सिफारिशों के आधार पर, जून 2020 में आरक्षित निधियों के संचालन और लेखाकरण पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए थे। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य देश भर में आरक्षित निधियों के संचालन और लेखाकरण में एकरूपता लाना था।

3.1.8 कोषागार निरीक्षण

राज्य सरकार के लेखाओं के संकलनकर्ता होने के नाते, प्र.म. ले/म.ले (ले. एवं हक.) कोषागारों में आंतरिक नियंत्रण तंत्र की जांच करते हैं। कोषागार निरीक्षण का उद्देश्य यह आश्वासन प्राप्त करना है कि कोषागारों द्वारा आरंभिक लेखा तैयार करने, वेतन, पेंशन आदि के भुगतान के लिए निर्धारित विभिन्न जांच बिंदुओं तथा क्रियाविधियों का विधिवत अनुपालन किया जा रहा है। लगभग सभी राज्यों में कोषागार कम्प्यूटरीकृत किए जा चुके हैं।

2020-21 के दौरान, 774 कोषागारों/उप-कोषागारों का निरीक्षण किया गया। इन निरीक्षणों के परिणामस्वरूप, मार्च 2021 के अंत तक 704 निरीक्षण रिपोर्ट जारी की गई थीं, जिसमें 520 सिफारिशों की गई थीं।

3.1.8.1 कोषागार निरीक्षणों के परिणाम

कोषागार निरीक्षणों से वित्तीय नियमावली के अनुपालन से सम्बन्धित कई विचलनों का पता चला, जो राज्यों की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में दोषपूर्ण प्रचलनों की ओर इशारा करते हैं और वित्तीय प्रबंधन को प्रभावित करते हैं। 2020-21 के दौरान किए गए निरीक्षण के कुछ परिणाम नीचे दिए गए हैं:

(क) **पेंशन का अधिक भुगतान:** लगभग सभी कोषागारों में पेंशन के अधिक भुगतान के मामले पाए गए। पेंशन का अधिक भुगतान ज्यादातर पेंशन के परिवर्तित हिस्से की गलत बहाली के कारण हुआ था। स्थानिक आयुक्त, जम्मू और कश्मीर हाउस, नई दिल्ली के कार्यालय में स्थित **जम्मू और कश्मीर** कोषागार की निरीक्षण रिपोर्ट में ₹49.23 लाख की एक बड़ी वसूली का उल्लेख किया गया था।

(ख) **नकद शेष राशि का अधिक प्रतिधारण:** 2020-21 के दौरान केरल में निरीक्षण किए गए अधिकांश कोषागारों में, कुल नकद शेष केरल कोषागार कोड खंड-1 के नियम 309 के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया था। उदाहरण के लिए, केरल में

⁶<http://cag.gov.in>—>लेखे—>संघ और राज्य वित्त के लिए डैशबोर्ड

जिला कोषागार, कोट्टारक्कारा को पहले 10 कार्य दिवसों के लिए ₹25 लाख और शेष दिनों के लिए ₹20 लाख बनाए रखने के लिए अधिकृत किया गया था, लेकिन 2020-21 के दौरान 10 अवसरों पर यह सीमा पार कर गई थी। कोषागारों में नकदी शेष राशि का अतिरिक्त प्रतिधारण सरकार के 'तरीकों और साधनों के अग्रिमों' पर अतिरिक्त ब्याज के बोझ के मुख्य कारणों में से एक है।

(ग) पेंशनरों की गिनती न करना: केरल कोषागार कोड खंड-1 के नियम 280 (क) के अनुसार, कोषागार अधिकारी को पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों/पेंशन कोषागार बचत बैंक (पीटीएसबी) धारकों के मामले में प्रतिवर्ष पेंशनभोगियों की गिनती करनी होती है। तीन वर्षों में एक बार गिनती कार्य किया जाना है जहां मनीआर्डर के माध्यम से पेंशन का भुगतान किया जाता है। इन प्रावधानों का उद्देश्य धोखाधड़ी वाले पेंशन भुगतान को रोकना है। उप-कोषागार कोट्टायम के निरीक्षण के दौरान पेंशन भुगतान के उदाहरणों को देखा गया था जहां 8 से 10 वर्षों के बाद भी गणना नहीं की गई थी।

(घ) मेघालय में तुरा कोषागार द्वारा रखे गए शून्य शेष चालू खाता रिकॉर्ड के रजिस्टर की जांच करने पर, यह पाया गया कि छोटे व्यय को पूरा करने के लिए चेक के माध्यम से विभिन्न अवसरों पर धन आहरित किया गया था। तथापि, इस प्रकार निकाली गई राशि में से बाद में धन के संवितरण का ब्यौरा कैश-बुक या किसी अन्य रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था जो मेघालय वित्तीय नियमावली का उल्लंघन था।

3.1.9 ई-पर्यावरण में कोषागार निरीक्षण पर दिशानिर्देश

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के कार्यान्वयन के बाद ई-पर्यावरण में कोषागार निरीक्षण पर विस्तृत दिशानिर्देश अक्टूबर 2020 में जारी किए गए थे। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य अपनी लेखा प्रतिपादन इकाइयों के माध्यम से राज्य के आईएफएमएस पर यह आश्वासन प्राप्त करना है कि महालेखाकार (ले. एवं हक.) को प्रस्तुत की गई जानकारी पूर्ण, सही, परिवर्तन प्रबंधित और सुरक्षित है।

3.1.10 रिज़र्व बैंक जमा का मिलान और दंडात्मक ब्याज-पहल की गई

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) सरकार का बैंकर है। भारतीय रिज़र्व बैंक राज्य सरकारों के अनुरोध पर एजेंसी बैंकों को सरकार के कार्य को करने के लिए प्राधिकृत करता है।

i. यह पाया गया कि महालेखाकार (ले. एवं हक.) द्वारा लेखाओं में दी गई सूचना के अनुसार राज्य सरकारों की नकदी शेष भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूचित नकदी शेष के अनुसार नहीं थी। नकदी शेष राशि में अंतर मुख्य रूप से पुरानी अवधि से संबंधित थे। 2020-21 के दौरान, प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (ले. एवं हक.) ने 23,324 मदों के विभेदक डेबिट का मिलान किया और ₹1,39,350.03 करोड़ का निपटान किया। इसी प्रकार, विभिन्न राज्य सरकारों के लिए रिज़र्व बैंक जमाओं की पुरानी गैर-मिलान बकाया शेष राशि से संबंधित ₹1,42,860.63 करोड़ की राशि की 17,479 मदों के ऋणों का निपटान किया गया।

ii. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेश ज्ञापन में यथा निर्धारित समयावधि में सरकारी प्राप्तियों को सरकारी खाते में जमा किया जाना होता है। यह पाया गया कि एजेंसी बैंकों द्वारा समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक में रखे गए सरकारी खाते में सरकार की प्राप्तियां जमा नहीं की गई थीं। राज्य सरकारों को इस बारे में संवेदनशील बनाया गया था और राज्य राजस्वों को भारतीय रिज़र्व बैंक में समय पर जमा करने के लिए एजेंसी बैंकों के कार्य-निष्पादन की मॉनिटरिंग करने की सलाह दी गई थी। राज्य महालेखाकार (ले. एवं हक.) ने एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी राजस्व के विलंबित प्रेषण पर दंडात्मक ब्याज की गणना की।

नतीजतन, महालेखाकार (ले. एवं हक.) और राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः ₹4.47⁷ करोड़ और ₹16.35 करोड़ के दंडात्मक ब्याज दावे किए गए थे और वर्ष 2020-21 के दौरान ₹39.88 लाख⁸ का दंडात्मक ब्याज वसूला गया था।

⁷ ₹4.47 करोड़ में प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.)-I, महाराष्ट्र, प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) राजस्थान, महालेखाकार (ले. एवं हक.) पंजाब और महालेखाकार (ले. एवं हक.)-I उत्तर प्रदेश के दावे शामिल हैं।

⁸ महालेखाकार (ले. एवं हक.) राजस्थान (₹12.85 लाख), महालेखाकार (ले. एवं हक.) गुजरात (₹13.86 लाख), महालेखाकार (ले. एवं हक.) ओडिशा (₹13.14 लाख) और महालेखाकार (ले. एवं हक.) उत्तर प्रदेश (₹0.03 लाख)

3.2 हकदारी कार्यों के संबंध में निष्पादन

पूरे बोर्ड में, ले. एवं हक. कार्यालयों ने जीपीएफ के अंतिम भुगतान मामलों के निपटान में तेजी लाकर, पेंशन के प्राधिकार और वेतन पर्ची जारी करके पात्रता कार्यों को सुव्यवस्थित आदि करके संतुष्टि के स्तर में सुधार करने के प्रयास किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाटा ट्रांसफर की ओर बढ़ते हुए, ई-ऑथराइजेशन से कुछ कार्यालयों में मामलों के निपटान में लगने वाला समय कम हो गया है। नागरिक चार्टर में यथा निर्धारित मामलों के निपटान के लिए समय-सीमा का पालन करने के लिए सभी प्रयास किए गए थे। लगभग सभी ले. एवं हक. कार्यालयों में ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र कार्य कर रहे हैं।

3.2.1 नागरिक चार्टर में संशोधन

अगस्त 2020 में एक संशोधित नागरिक चार्टर को अंतिम रूप दिया गया था और पेंशन लाभ, बकाया भविष्य निधि और जीई कार्यों के लिए विभिन्न सेवाओं को प्रदान करने के लिए समयसीमा के साथ सीएजी की वेबसाइट पर परिचारित किया गया था। हकदारी संबंधी शिकायतों के लिए राज्य-वार शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करने के लिए सीएजी की वेबसाइट पर एक लिंक भी उपलब्ध कराया गया है।

3.2.2 हकदारी कार्यों से संबंधित जानकारी

पेंशन, सा.भ.नि. तथा जीई कार्यों की स्थिति से संबंधित जानकारी संबंधित महालेखाकार कार्यालयों की वेबसाइट पर तथा एसएमएस आधारित सेवाओं, जहां कार्यालयों को विवरण प्रदान किया गया है, के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। इससे संबंधित राज्य की वेबसाइटों पर अपलोड की गई जानकारी देखने में संबंधित पणधारियों तथा अन्य आगंतुकों को सहायता मिलती है और एसएमएस के माध्यम से भी सूचना मिलती है।

3.2.3 अंतिम रूप दिए गए पेंशन मामले

पेंशन प्राधिकरण का कार्य 20 ले. एवं हक. कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है। इन कार्यालयों ने 2020-21 के दौरान मूल और पेंशन संशोधन के 5,05,872 मामलों को अंतिम रूप दिया। वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त और अंतिम रूप दिए गए कुल पेंशन मामलों का राज्य-वार ब्यौरा तालिका 3.2 में दिया गया है। नागरिक चार्टर के अनुसार, महालेखाकार कार्यालय में सभी संदर्भों में पूरा मामला प्राप्त होने से 30 कार्य दिवसों के

भीतर मूल पेंशन मामलों को अंतिम रूप दिया जाना है। बिहार, झारखंड, केरल, मणिपुर, नागालैंड और पश्चिम बंगाल के मामले को अंतिम रूप देने में लगने वाला औसत समय एक दिन से 30 दिनों तक था। असम, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, त्रिपुरा, तेलंगाना और तमिलनाडु में, पेंशन मामले को अंतिम रूप देने में लिया गया औसत समय 30 दिनों से अधिक का था, जो मुख्य रूप से कोविड-19 लॉकडाउन के कारण संबंधित विभागों से जानकारी की कमी या अन्य परिचालन कारणों से था।

3.2.4 जीपीएफ खातों का रखरखाव

20 राज्यों में, 22 ले. एवं हक. कार्यालय राज्य सरकार के कर्मचारियों के जीपीएफ खातों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं। 2020-21 के दौरान, इन कार्यालयों द्वारा 28,41,122 जीपीएफ खातों का रखरखाव किया गया था। राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू किए जाने के कारण वर्ष 2004 से पिछले वर्ष की तुलना में 5.50 प्रतिशत अंशधारकों में कमी आई है।

3.2.5 जीपीएफ अंतिम भुगतान मामलों को अंतिम रूप देना

2020-21 के दौरान, जीपीएफ के अंतिम भुगतान के लिए देय 1,88,218 मामलों में से, ले. एवं हक. कार्यालयों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर 1,80,541 अंतिम भुगतान मामलों (95.92 प्रतिशत) को अंतिम रूप दिया।

2020-21 में देय जीपीएफ अंतिम भुगतान मामलों की संख्या	अंतिम रूप दिए गए अंतिम भुगतान मामलों की संख्या
1,88,218	1,80,541

3.2.6 आईएफएमएस के माध्यम से नए पेंशन मामलों, ई-सर्विस बुक और ई-प्राधिकारों के लिए डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित एप्लीकेशन की शुरुआत

ओडिशा में, आईएफएमएस के माध्यम से नए पेंशन मामलों, ई-सर्विस बुक और ई-प्राधिकरणों के लिए डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित एप्लीकेशन की एक परियोजना शुरू की गई है। इससे पेंशन संस्वीकृति प्राधिकारियों (पीएसए) और विभागों

द्वारा पेंशनभोगियों के आंकड़ों को अपलोड करने की सुविधा प्रदान की जाती है। पेंशनभोगियों के डेटा और आवश्यक अनुलग्नकों को ले. एवं हक. कार्यालय में डाउनलोड किया जाता है। तत्पश्चात्, डेटा को सिस्टम ऑटोमेशन इनिशिएटिव (साई) मॉड्यूल में डाला जाता है, जिसे डाक के माध्यम से प्राप्त सेवा पुस्तिका के ब्यौरे की हार्ड कॉपी के साथ सत्यापित किया जाता है और साई प्रणाली में पेंशन (पीपीओ), रूपांतरण (सीपीओ) और ग्रेच्युटी (जीपीओ) का प्रसंस्करण किया जाता है। महालेखाकार कार्यालय की वेबसाइट पर भी प्रावधान किया गया है कि पेंशनधारियों की पीपीओ/जीपीओ/सीपीओ की प्रति सीधे पेंशनभोगियों को जारी की जाए, जो उनके लॉग-इन विवरणों के माध्यम से सुलभ हो।

3.2.7 पणधारकों के साथ अग्रसक्रिय जुड़ाव

इस वर्ष, कोविड-19 महामारी के कारण पेंशनभोगियों/कर्मचारियों के लिए राष्ट्रव्यापी अदालतें और कोषागार अधिकारियों के लिए कार्यशालाएं वर्चुअल रूप से आयोजित की गई थीं। कुछ को नीचे वर्णित किया गया है:

हिमाचल प्रदेश: पेंशन संबंधी मुद्दों के लिए पहुँच बढ़ाने, सुविधाजनक और सस्ता निवारण तंत्र/विश्वास निर्माण उपायों को प्रस्तावित करने के लिए अग्रसक्रिय पहल के एक भाग के रूप में, कार्यालय ने ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) के लाइव फोन-इन कार्यक्रम – 'लोक वाणी' में त्रैमासिक भागीदारी शुरू की। इस कार्यक्रम में नागरिकों को अपने मुद्दों पर चर्चा करने और पेंशन और जीपीएफ से संबंधित स्पष्टीकरण मांगने के लिए आकाशवाणी केंद्र से बात करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। महालेखाकार (ले. एवं हक.) कार्यालय के अधिकारी कार्यक्रम की अवधि के दौरान कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे और पेंशनभोगियों और जीपीएफ अंशदाताओं की यथासंभव अधिकतम शिकायतों का मौके पर ही निवारण किया गया। ऑल इंडिया रेडियो पर कार्यक्रम के अलावा, दूरदर्शन केन्द्र, शिमला द्वारा मासिक आधार पर एक 'जनवाणी' कार्यक्रम भी प्रसारित किया गया ताकि जनता को महालेखाकार कार्यालयों के हकदारी कार्यों से अवगत कराया जा सके।

तेलंगाना: कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, महालेखाकार (ले. एवं हक.) तेलंगाना ने वेब-कॉन्फ्रेंसिंग

प्लेटफार्मों पर लंबे समय से लंबित पेंशन मामलों की मंजूरी के लिए विभागवार वर्चुअल पेंशन अदालतें आयोजित करने का फैसला किया। तदनुसार, जनवरी 2021 में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और महिला विकास और बाल कल्याण विभाग के लिए वर्चुअल पेंशन अदालत आयोजित की गई थी। इस वर्चुअल पेंशन अदालत में सरकार के विशेष सचिव के साथ-साथ संबंधित पेंशनरों के साथ दोनों विभागों के पेंशन स्वीकृति प्राधिकारियों ने भाग लिया।

उत्तर प्रदेश: जीपीएफ अंशदाताओं की शिकायतें प्राप्त करने और उनके त्वरित निपटान के लिए जनवरी 2021 से फरवरी 2021 के बीच प्रयागराज के माघ मेले में एक शिविर का आयोजन किया गया था।

झारखंड: झारखंड के जिला कोषागार अधिकारियों/उप-कोषागार अधिकारियों/कोषागार सहायकों की एक कार्यशाला जनवरी 2021 में वर्चुअल रूप में आयोजित की गई थी। कार्यशाला में झारखंड सरकार के योजना-सह-वित्त विभाग के विशेष सचिव और एनआईसी के प्रधान प्रणाली विश्लेषक भी उपस्थित थे।

3.2.8 सीएजी की वेबसाइट में वेब-आधारित शिकायत निवारण तंत्र

शिकायतों को ऑनलाइन पंजीकृत करने के लिए एक केंद्रीकृत वेब-आधारित शिकायत निवारण तंत्र है। जीपीएफ अंशदाता/पेंशनभोगी संबंधित ले. एवं हक. कार्यालय में ऑनलाइन या ई-मेल के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि कोई अंशदाता/पेंशनभोगी महालेखाकार कार्यालय के उत्तर से आश्वस्त नहीं है तो वह अपनी शिकायत सीएजी कार्यालय के शिकायत विंग को भी भेज सकते हैं। शिकायत निवारण प्रणाली से संबंधित सभी लिंक सीएजी की वेबसाइट⁹ पर उपलब्ध हैं। शिकायत दर्ज करने पर, प्रणाली स्वचालित रूप से शिकायत का पंजीकरण नंबर उत्पन्न करती है और भविष्य के संदर्भ के लिए शिकायतकर्ता को एक एसएमएस भेजती है।

2020-21 के दौरान, सीएजी कार्यालय में 2,112 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिन्हें 2020-21 के दौरान नागरिक चार्टर की समय सीमा के भीतर निपटाया गया था।

⁹<https://cag.gov.in/en/page-entitlement-grievance>

3.3 सरकारी वित्त सांख्यिकी (जीएफएस) और सार्वजनिक क्षेत्र ऋण सांख्यिकी (पीएसडीएस) पर प्रशिक्षण

जी-20 डेटा अंतर पहलों के तहत, भारत ने 2021 तक तिमाही आधार पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए जीएफएस और पीएसडीएस डेटा प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। यह निर्णय लिया गया था कि सीएजी कार्यालय राज्य सरकारों के लिए सरकारी वित्त सांख्यिकी (जीएफएस) और सार्वजनिक क्षेत्र ऋण सांख्यिकी (पीएसडीएस) के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा संकलित करेगा और प्रदान करेगा।

सीएजी ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष-दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र (आईएमएफ-एसएआरटीटीएसी) के सहयोग से जून 2020 के दौरान सभी ले. एवं हक. कार्यालयों को शामिल करते हुए एक वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया ताकि ले. एवं हक. कार्यालयों के अधिकारियों को जीएफएस नियमपुस्तिका 2014 (जीएफएसएम 2014) और पीएसडीएस गाइड फॉर कंपाइलर एंड यूजर्स 2011 (ऋण गाइड) ढांचे से परिचित कराया जा सके। यह प्रशिक्षण वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (ले. एवं हक.) और वरिष्ठ लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी को दिया गया था

3.4 आगे का रास्ता

3.4.1 सभी ले. एवं हक. कार्यालयों की अखिल भारतीय वर्चुअल संगोष्ठी

मार्च 2021 में, सभी ले. एवं हक. कार्यालयों (31 कार्यालयों) की एक अखिल भारतीय वर्चुअल संगोष्ठी को आयोजित किया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी वातावरण/आईएमएएस में वाउचरों के वैधीकरण, तिमाही केआरए रिपोर्टों के माध्यम से लेखाओं का विश्लेषण, गुणवत्ता और समयबद्धता, वित्त आयोग और राज्य वित्त की सिफारिशें, प्राप्तियों/व्यय का ऑनलाइन मिलान, कोषागारों का ई-निरीक्षण, भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ मिलान और नई आईटी परियोजनाओं के विषयों पर चर्चा की गई थी।

3.4.2 आईटी परियोजनाओं का रोल आउट

सितंबर 2020 में सीएजी द्वारा सरकारी लेखा कार्यों के लिए निम्नलिखित पांच आईटी परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया था और ये कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं:

क. हकदारी कार्यों के लिए वेब और एसएमएस आधारित सेवाओं का विकास और कार्यान्वयन

हमारे ले. एवं हक. कार्यालयों में हकदारी कार्य (जीपीएफ, पेंशन और जीई) राज्य सरकारों के

जो आंकड़ों को संकलित करने के लिए उत्तरदायी हैं ताकि राज्यों के राजकोषीय आंकड़ों के जीएफएसएम वर्गीकरण में सुचारु रूप से अंतरण के लिए जीएफएस और पीएसडीएस का ज्ञान प्राप्त किया जा सके। राज्यों के राजकोषीय आंकड़ों के समेकन के लिए ऑनलाइन गूगल स्प्रेडशीट विकसित की गई है।

जीएफएसएम-2014 का आर्थिक वर्गीकरण और कोडिंग भारत सरकार के लेखाकरण वर्गीकरण से अलग है। अतः जीएफएसएम-2014 आर्थिक वर्गीकरण के साथ राज्यों के राजकोषीय डेटा के मानचित्रण के लिए लेखा महानियंत्रक, भारत सरकार और आईएमएफ-एसएआरटीटीएसी के परामर्श से एक सुसंगत सारणी विकसित की गई है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए राज्य लेखा डेटा का उपयोग करके जून 2020 में वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान जीएफएसएम-2014 वर्गीकरण में राज्य लेखों के आंकड़ों के अंतरण के लिए एक परीक्षण चालन भी आयोजित किया गया था।

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधे सार्वजनिक सेवा देने का अवसर प्रदान करते हैं। सार्वजनिक सेवा वितरण में शामिल किसी भी अन्य विभाग की तरह, पणधारकों को प्रदान की जा रही सेवा की आपूर्ति देने की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए हमारा निरंतर प्रयास था। आईटी सक्षम सेवाएं आज की दुनिया में बहुत ही बुनियादी न्यूनतम सेवाएं बन गई हैं जहां सभी पणधारकों की पहुंच इंटरनेट, मोबाइल फोन, मीडिया आदि तक है।

चूंकि हकदारी कार्य करने वाले ले. एवं हक. कार्यालय सेवा प्रदान करने के विभिन्न स्तरों पर थे, इसलिए हकदारी के संबंध में राज्य सरकार के कर्मचारियों को वास्तविक समय पर सेवाएं प्रदान करने के लिए वेब और एसएमएस आधारित सेवाओं के विकास और कार्यान्वयन पर एक परियोजना की परिकल्पना की गई थी। सभी राज्यों के लिए एक निर्धारण किया गया था ताकि उन्हें 12 वेब आधारित सेवाओं और चार एसएमएस आधारित सेवाओं के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवा वितरण के सामान्य स्तर पर लाया जाए जिन्हें परियोजना में शामिल किया गया था। इस परियोजना में हकदारी कार्यों वाले सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को शामिल किया गया था।

एसएमएस और वेब आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए एक निविदा दस्तावेज़ जारी किया गया था और दो पार्टियों को कार्य सौंपा गया था। कार्य कार्यान्वयनाधीन है।

(ख) हकदारी कार्यों के अभिलेखों का डिजिटलीकरण

हकदारी कार्यों (पेंशन और जीपीएफ) से संबंधित पुराने अभिलेखों को पुनरीक्षण/अद्यतन करने के लिए रखना और पुनः प्राप्त करना बहुत कठिन है। इस प्रकार, एक एंड टू एंड दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली की कल्पना की गई थी जो न केवल मामलों को अंतिम रूप देने में लगने वाले समय को कम करेगी, बल्कि निर्णय लेने के लिए एक बहुत ही मजबूत बैक-अप और जानकारी की प्राप्ति की सुविधा भी प्रदान करेगी। यह लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल होने के अलावा, कार्यालय स्थान मुक्त करेगी। यह व्यवसाय निरंतरता योजना में भी मदद करेगा और कहीं से भी काम की सुविधा प्रदान करेगा।

नौ क्षेत्रीय कार्यालयों में लगभग 10 करोड़ पृष्ठों के डिजिटलीकरण के लिए एक परियोजना की परिकल्पना की गई थी। तैयारी का सभी कार्य चार विक्रेताओं द्वारा उन्हें आवंटित साइटों में किया गया है, लेकिन कोविड-19 महामारी प्रतिबंधों के कारण, क्षेत्रीय कार्यालयों में डिजिटलीकरण का कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

(ग) विनियोग लेखे डैशबोर्ड परियोजना

यह परियोजना संस्थानिक रूप से की जा रही है। 2017-18 के लिए संघ और राज्यों के वित्त और विनियोग लेखों को दर्शाने वाले डैशबोर्ड पूरे किए जा चुके हैं। यह पांच वर्ष (2014-15 से 2018-19) के लिए किया जाना है और इसे सीएजी की वेबसाइट पर वित्त लेखों पर डैशबोर्ड के साथ संवादात्मक तरीके से परिचारित करने की योजना है।

(घ) राज्य आईएफएमएस के साथ वाउचर स्तर कंप्यूटरीकरण एप्लीकेशन (वीएलसी) का एकीकरण

आईएफएमएस केंद्र सरकार की एक ई-गवर्नेंस पहल है, जिसे एक मिशन मोड परियोजना के रूप में शुरू किया गया है, जिसमें बेहतर राजकोषीय प्रबंधन के लिए राज्यों के वित्त पर वास्तविक समय में जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों के वित्तीय लेन-देन के कंप्यूटरीकरण को शामिल किया गया है।

आईएफएमएस को राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से कार्यान्वित किया गया है और यह अधिकांश राज्यों में कार्यान्वयन के अंतिम चरण में है। अभी तक किसी भी राज्य ने आईएफएमएस को पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया है। आईएफएमएस के कार्यान्वयन के साथ, राज्य सरकारें पेपर रहित वाउचर की ओर बढ़ रही हैं। आईएफएमएस में कोषागारों, एजेंसी बैंकों, एजी, आरबीआई और सरकारी विभागों के साथ एकीकरण की परिकल्पना की गई है। आईएफएमएस के साथ वीएलसी प्रणाली का एकीकरण प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में, 23 राज्य महालेखाकार को इलेक्ट्रॉनिक रूप में मासिक लेखे प्रदान करते हैं। डिजिटल डेटा को मासिक सिविल लेखों और वार्षिक लेखों के सृजन के लिए उचित वैधीकरण के बाद वीएलसी में भेज दिया जाता है।

राज्य आईएफएमएस के साथ वाउचर स्तर कंप्यूटरीकरण एप्लीकेशन (वीएलसी) के एकीकरण के लिए एप्लीकेशन के कार्यात्मक आवश्यकता विनिर्देश (एफआरएस) का पहला संस्करण तैयार किया गया है और टिप्पणियों/सुझावों के लिए सभी ले. एवं हक. कार्यालयों को भेज दिया गया है। प्राप्त सुझावों/टिप्पणियों पर विचार किया जा रहा था।

(ङ) केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण परियोजना

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के ले. एवं हक. कार्यालय, 19 राज्यों में राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन प्राधिकरण सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में, पेंशन एप्लीकेशनों को इन ले. एवं हक. कार्यालयों में कार्यान्वित विभिन्न विकेंद्रीकृत आईटी एप्लीकेशनों के माध्यम से संसाधित किया जा रहा है। राज्य सरकारें भी अपने मानव संसाधन समाधानों को कार्यान्वित करने के विभिन्न स्तरों पर हैं।

केंद्रीकृत पेंशन परियोजना (सीपीपी) का उद्देश्य इन एप्लीकेशनों को एकल, उद्यम-व्यापी एप्लीकेशन में समेकित करना है। केंद्रीकृत एप्लीकेशन यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि प्रत्येक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के दिन अपने सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त हों।

नए प्रस्ताव का उद्देश्य मौजूदा हस्त्य रूप से चालित/अर्ध-स्वचालित कार्यप्रवाह को डिजिटल युग को लाभ पहुंचाने वाले कार्यप्रवाह के रूप में इंजीनियरिंग करना है, जिससे प्रक्रिया की दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ जाती है।

एप्लीकेशन में राज्य एचआरएमएस, डिजी लॉकर, आईएफएससी कोड, लेखा एवं हकदारी कार्यालयों की अन्य आंतरिक एप्लीकेशन जैसी अन्य प्रणालियों के साथ एकीकरण होगा और पणधारकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए एसएमएस/ईमेल एकीकरण भी प्रदान करेगा।

परियोजना के विकास और कार्यान्वयन की देखरेख के लिए महालेखाकार (ले. एवं हक.), तेलंगाना की अध्यक्षता में एक परियोजना दल का गठन किया गया है। सीटीओ विंग इस प्रक्रिया में परियोजना दल की सहायता कर रहा है। राष्ट्रीय स्मार्ट सरकार संस्थान (एनआईएसजी) को कार्यात्मक आवश्यकता विनिर्देशों (एफआरएस) की तैयारी और रोलआउट आदि के लिए एक प्रणाली इंटीग्रेटर के चयन के लिए निविदा प्रक्रिया में सहायता प्रदान करने के लिए एक सलाहकार के रूप

में नियुक्त किया गया है और विकास प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) की तैयारी प्रक्रियाधीन है।

3.4.3 ओडिशा में, पेंशनभोगियों की आधी कागज आधारित पेंशन भुगतान आदेश पुस्तिका को बदलने हेतु पेंशनभोगियों को स्मार्ट कार्ड/प्लास्टिक कार्ड जारी करने की एक परियोजना चल रही है। चिप आधारित स्मार्ट कार्ड में बुनियादी जानकारी एन्क्रिप्ट की जाएगी जैसा कि पीपीओ पुस्तकों में उल्लेख किया गया है और कुछ अतिरिक्त जानकारी जैसे स्थायी खाता संख्या, ई-मेल आईडी, रक्त समूह, परिवार के सदस्यों की सूची, हस्ताक्षर/उंगली के निशान, पहचान चिह्न आदि भी उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि आईडी प्रमाण के उद्देश्य को भी पूरा किया जा सके। इसकी लागत ओडिशा राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। परियोजना एक उन्नत चरण में है।

तालिका 3.1 : राज्य महालेखाकार (ले. एवं हक.) के कार्य

लेखा	सामान्य भविष्य निधि	पेंशन	राजपत्रित हकदारी
1. आंध्र प्रदेश	1. आंध्र प्रदेश	1. आंध्र प्रदेश	1. असम
2. असम	2. असम	2. असम	2. बिहार
3. अरुणाचल प्रदेश	3. छत्तीसगढ़	3. बिहार	3. झारखंड
4. बिहार	4. गुजरात	4. हरियाणा	4. कर्नाटक
5. छत्तीसगढ़	5. हरियाणा	5. हिमाचल प्रदेश	5. केरल
6. गुजरात	6. हिमाचल प्रदेश	6. जम्मू और कश्मीर	6. मणिपुर
7. हरियाणा	7. कर्नाटक	7. झारखंड	7. मेघालय
8. हिमाचल प्रदेश	8. केरल	8. कर्नाटक	8. नागालैंड
9. जम्मू और कश्मीर	9. मध्य प्रदेश	9. केरल	9. तमिलनाडु
10. झारखंड	10. महाराष्ट्र	10. महाराष्ट्र	
11. कर्नाटक	11. मणिपुर	11. मणिपुर	
12. केरल	12. मेघालय	12. मेघालय	
13. मध्य प्रदेश	13. नागालैंड	13. नागालैंड	
14. महाराष्ट्र	14. ओडिशा	14. ओडिशा	
15. मणिपुर	15. तमिलनाडु	15. पंजाब	
16. मेघालय	16. त्रिपुरा	16. तमिलनाडु	
17. मिजोरम	17. उत्तर प्रदेश	17. त्रिपुरा	
18. नागालैंड	18. उत्तराखंड	18. पश्चिम बंगाल	
19. ओडिशा	19. पश्चिम बंगाल	19. तेलंगाना	
20. पंजाब	20. तेलंगाना		
21. राजस्थान			
22. सिक्किम			
23. तमिलनाडु			
24. त्रिपुरा			
25. उत्तर प्रदेश			
26. उत्तराखंड			
27. पश्चिम बंगाल			
28. तेलंगाना			

नोट: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में दो ले. एवं हक. कार्यालय हैं। मध्य प्रदेश-II कार्यालय में केवल जीपीएफ कार्य हैं।

तालिका 3.2 : 2020-21 के दौरान राज्य-वार पेंशन मामलों को अंतिम रूप देना और पेंशन मामलों में संशोधन

क्रम संख्या	ले. एवं हक. कार्यालय	मूल पेंशन		पेंशन में संशोधन	
		प्राप्त मामलों की संख्या (प्रारंभिक शेष राशि सहित)	निपटाए गए मामलों की संख्या	प्राप्त मामलों की संख्या (प्रारंभिक शेष राशि सहित)	निपटाए गए मामलों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	13,272	12,763	5,927	5,722
2	असम	13,915	13,234	970	868
3	बिहार	22,320	17,982	21,662	3,525
4	हरियाणा	13,481	13,481	33,993	33,993
5	हिमाचल प्रदेश	10,037	10,030	4,355	4,332
6	जम्मू और कश्मीर	18,587	16,508	71,110	63,230
7	झारखंड	9,471	8,260	34,006	12,846
8	कर्नाटक	21,337	21,299	10,889	10,731
9	केरल	27,788	26,860	5,540	5,245
10	महाराष्ट्र-I	20,453	20,453	28,722	26,759
11	महाराष्ट्र-II	15,524	15,012	21,939	20,770
12	मणिपुर	3,183	2,383	3,180	1,836
13	मेघालय	3,629	3,609	357	349
14	नागालैंड	2,630	2,584	5,876	5,804
15	ओडिशा	13,590	12,383	3,920	3,381
16	पंजाब	23,645	20,562	34,932	9,779
17	तमिलनाडु	13,105	12,750	9,441	8,596
18	तेलंगाना	9,052	9,051	5,005	5,005
19	त्रिपुरा	4,543	4,492	57	57
20	पश्चिम बंगाल	18,497	12,468	63,541	26,880
कुल		2,78,059	2,56,164	3,65,422	2,49,708
कुल (मूल पेंशन मामले और संशोधन पेंशन मामले)		6,43,481			
कुल निपटाए गए मामले		5,05,872			

अध्याय 4

प्रमुख पणधारकों के साथ हमारा संपर्क

हमारे मूल पणधारकों में ससंद, राज्य विधान मंडल एवं जनता शामिल है। ससंद एवं राज्य विधान मंडल के लिए लोक लेखा समिति (पीएसी) एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) है जो साईं इंडिया द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जांच करती है। अन्य प्रमुख पणधारकों में सरकारी विभाग एवं मंत्रालय के साथ-साथ साईं इंडिया द्वारा आयोजित लेखापरीक्षा की विषय-वस्तु में विशेष हित वाले संगठन एवं व्यक्ति तथा देश के नागरिक सम्मिलित हैं।

हमारे पणधारकों के साथ वार्तालाप एक निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया है। अपने ग्राहकों एवं पणधारकों के साथ हमारा संपर्क साईं इंडिया से उनकी अपेक्षाओं को समझने में सहायता करता है एवं हमारे द्वारा किए जा रहे आश्वासन और जवाबदेही के कार्य को अर्थ प्रदान करता है। जो हम अपने कार्य के माध्यम से प्रदान करते हैं।

4.1 सीएजी का लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

एक लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड सीएजी को सीएजी के संवैधानिक और वैधानिक अधिदेश के ढांचे के भीतर लेखापरीक्षा दृष्टिकोण और तकनीकों पर सुझावों के साथ-साथ कवरेज, दायरा सहित लेखापरीक्षा की प्राथमिकता से संबंधित मामलों में सलाह देता है।

बोर्ड के सदस्य अवैतनिक रूप से कार्य करते हैं। बोर्ड में विविध क्षेत्रों के प्रभावशाली व्यक्ति, विभाग से उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षा

सम्मिलित है। पहला लेखापरीक्षा बोर्ड 1999 में गठित किया गया था। उसके पश्चात बोर्ड को नौ बार (2001, 2003, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2018 और 2021) पुर्नगठित किया गया है। दसवें बोर्ड ने गठन की प्रक्रिया 2021-22 में शुरू की गई थी और अप्रैल 2021 में लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया गया बोर्ड की अवधि दो वर्ष तक रहेगी। इस बोर्ड के सदस्यों की सूची इस प्रतिवेदन के पैरा 1.14 में दी गई है।

4.2 राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

इसी तरह, संबंधित प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार की अध्यक्षता में, राज्यों में लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्डों का गठन किया गया है। राज्यों में अन्य महालेखाकार बोर्ड के पदेन सदस्य हैं। बाहरी सदस्य उत्कृष्ट शिक्षाविदों, व्यावसायिक तथा सेवानिवृत्त सिविल सेवकों में से नामित किए जाते हैं। राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का उद्देश्य लेखापरीक्षा

कार्यालयों के वरिष्ठ प्रबंधन और विभिन्न क्षेत्रों के योग्य तथा अनुभवी व्यावसायिकों के बीच व्यावसायिक चर्चा के लिए फोरम प्रदान करके हमारी लेखापरीक्षाओं की प्रभावकारिता को बढ़ाना है। बोर्डों की बैठक वर्ष में दो बार होती है तथा इसका पुर्नगठन द्विवार्षिक रूप से किया जाता है।

4.3 लेखापरीक्षित इकाईयों के साथ संपर्क

हमारी लेखापरीक्षित इकाई लेखापरीक्षा प्रक्रिया में मुख्य पणधारकों में से एक है। उनके साथ हमारा संपर्क एक निरंतर आधार पर लेखापरीक्षा से पहले, लेखापरीक्षा के दौरान एवं लेखापरीक्षा के बाद में होता रहता है। हमारे लेखापरीक्षा कार्यक्रमों की सूचना काफी पहले ही लेखापरीक्षित इकाईयों को दे दी जाती है। सभी लेखापरीक्षा दल निष्पादन लेखापरीक्षा के आरंभ एवं समाप्ति पर एन्ट्री एवं एग्जिट कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेखापरीक्षा के प्रत्येक स्तर पर लेखापरीक्षित इकाईयों को लेखापरीक्षा प्रश्नों एवं निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया देने का अवसर दिया जाता है।

क्षेत्रीय कार्यालय निरीक्षण रिपोर्ट और सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में मुद्रित लेखापरीक्षा आपत्तियों पर चर्चा करने एवं कार्यवाही करने के लिए मंत्रालय/विभागों द्वारा आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में हिस्सा लेते हैं।

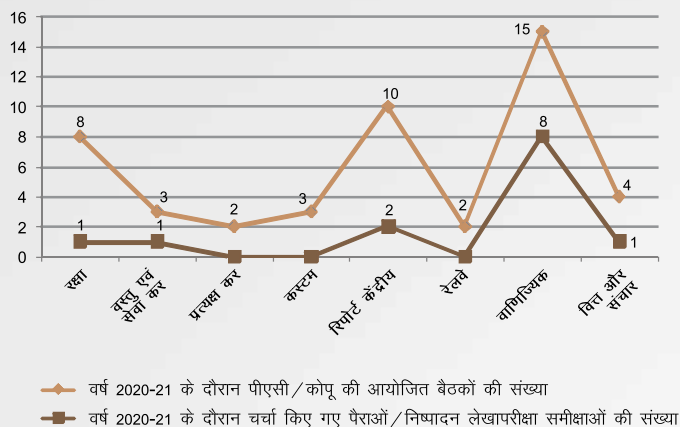
लेखापरीक्षित इकाईयों के अधिकारियों को विभाग में आयोजित सेमिनार/कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है।

4.4 लोक लेखा समिति एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति के साथ संपर्क

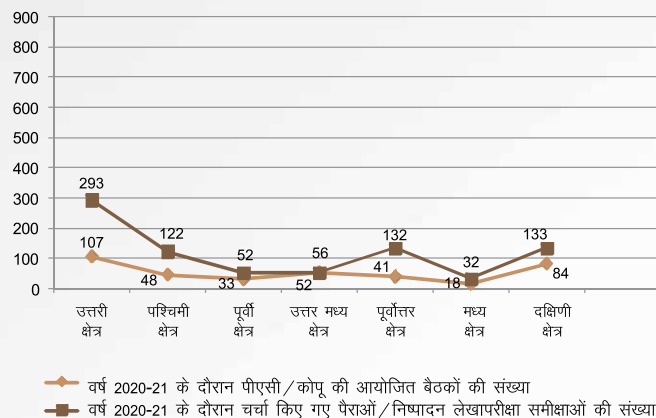
लोक लेखा समिति (पीएसी) एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) संघ एवं राज्य स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में हमारे प्रमुख भागीदार हैं। सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जो संसद/विधानसभा पटल पर रखे जाते हैं, पीएसी/कोपू को विचारार्थ भेजे जाते हैं। सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा के लिए मुख्य बिंदुओं का ज्ञापन तैयार करके समितियों के कामकाज में सहायता करते हैं। सीएजी एवं उसके प्रतिनिधि बैठक के दौरान साक्ष्यों की जांच

में पीएसी/कोपू की सहायता करते हैं। कार्यकारिणी की समिति की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही की सूचना देना अपेक्षित है। फिर समितियों की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रकाशित करती है। यदि बैठक में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर चर्चा न की जाए तो कार्यकारिणी को गई कार्रवाई टिप्पणियां प्रस्तुत करना अपेक्षित है। की गई कार्यवाही रिपोर्ट और की गई कार्यवाही टिप्पणियां समितियों को प्रस्तुत करने से पहले लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षित होती है।

2020-21 में, केंद्रीय पीएसी/कोपू ने 47 बैठकें आयोजित की तथा 13 पैराओं/निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षाओं पर चर्चा की जैसा कि नीचे सारांशीकृत किया गया है:



वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य पीएसीज/कोपू की 387 बार बैठकें हुई एवं 816 पैराओं/निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षाओं पर चर्चा हुई जैसा कि नीचे तालिका में सारांशीकृत किया गया है:



4.5 शैक्षणिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं के साथ संपर्क

हम अनेक शैक्षणिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं के साथ संपर्क करते हैं विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को केंद्रीय संस्थान परिषदों जैसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई), तथा भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीडब्ल्यूआई) के लिए नामित किया जाता है। आईसीएआई की परिषद का सदस्य होने के नाते, अधिकारियों को विभिन्न समितियों संस्थानों/बोर्डों जैसे लेखाकरण मानक बोर्ड, लेखापरीक्षण एवं आश्वासन मानक

बोर्ड, आंतरिक लेखापरीक्षा मानक बोर्ड, व्यावसायिक विकास समिति, ऐथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड, सूचना प्रौद्योगिकी समिति, पीयर रिव्यू बोर्ड इत्यादि में भी नामित किया जाता है ताकि इन व्यावसायिक निकायों के साथ लगातार संपर्क सुनिश्चित हो सके। हमारे स्टाफ एवं अधिकारियों के प्रशिक्षण में संकाय सहायता के लिए हमारे प्रशिक्षण संस्थान विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के साथ संपर्क में रहते हैं।

4.6 मीडिया के साथ संपर्क

हमारी एक दस्तावेजी संचार नीति है जो बाहरी पणधारकों के साथ परस्पर संवाद का मागदर्शन करती है। मुख्यालय का संचार नीति विंग मीडिया सलाहकार की अध्यक्षता में प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं जनता के साथ प्रभावी संचार के लिए उत्तरदायी है। मीडिया सलाहकार मुख्यालय में प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। जहां पर राज्य में कोई प्रधान महालेखाकार नहीं है, वहां राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मीडिया के साथ प्रभावी संप्रेषण के लिए प्रधान महालेखाकार या सबसे वरिष्ठ महालेखाकार स्तर का अधिकारी उत्तरदायी है।

हम संसद एवं राज्य विधान मंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद अपने ग्राहकों को लेखापरीक्षा संदेश

पहुँचाने के लिए कई तरह के कार्य करते हैं। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के संबंधित विधान मंडल में प्रस्तुति के उपरांत सामान्यतः एक प्रेस सम्मेलन आयोजित किया जाता है। उनके संसद/राज्य विधान मंडल में प्रस्तुतिकरण के बाद लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की विषय वस्तु को दर्शाते हुए प्रेस सार भी जारी किए जाते हैं। प्रतिवेदन हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

इस प्रकार का वार्तालाप, विभाग, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बारे में सूचना के प्रसार एवं हमारे पणधारकों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण, यदि आवश्यक हो, जारी करने या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा तथ्यों के विरूपण या गलत व्याख्या को हटाने के लिए अभिप्रेरित है।

अध्याय 5

व्यावसायिक मानक और गुणवत्ता प्रबंधन

लेखापरीक्षा और लेखाकरण पर व्यावसायिक मानक गुणवत्ता लेखापरीक्षा और लेखाकरण के लिए मुख्य आधार हैं। हम सरकारी लेखापरीक्षकों और लेखाकारों दोनों के लिए व्यावसायिक मानकों और प्रथाओं के महत्व के प्रति सचेत हैं। ये सभी पेशेवरों द्वारा विभिन्न स्थितियों के तहत पालन किए

जाने वाले मार्ग दर्शन प्रदान करते हैं और गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं के लिए बेंचमार्क के रूप में कार्य करते हैं। साई इंडिया के लेखापरीक्षण मानकों में परिकल्पना की गई है कि साई के पास एक उपयुक्त गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली होनी चाहिए।

5.1 सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड (गसब)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने भारत सरकार के परामर्श से अगस्त, 2002 में सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड (गसब) का गठन किया था। गसब का मिशन सार्वजनिक जवाबदेही और निर्णय लेने की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सरकारी लेखाकरण और वित्तीय रिपोर्टिंग में सुधार करने के लिए लेखाकरण मानकों को तैयार करना और सिफारिश करना है। नई प्राथमिकताएं सार्वजनिक योजना के वित्त पोषण के लिए संसाधनों की पहचान करने के बजाय सार्वजनिक व्यय में सुशासन, राजकोषीय विवेक, दक्षता और पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

गसब में सरकार (केंद्र और राज्य), पेशेवर लेखाकरण संस्थानों, आरबीआई और अकादमिक जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधित्व के साथ 20 सदस्य होते हैं। गसब के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

क) जवाबदेही तंत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी लेखाकरण और वित्तीय रिपोर्टिंग के मानकों का निरूपण करना और सुधार करना।

ख) लेखाकरण और वित्तीय रिपोर्टिंग के विशेष क्षेत्रों की पहचान और उन पर विचार करना जिनमें मानक स्थापना प्रक्रिया के माध्यम से सुधार किया जा सकता है।

ग) उन मानकों को निरूपित करना और प्रस्तावित करना जो सभी पणधारकों की आवश्यकताओं के आधार पर वित्तीय विवरणों की उपयोगिता को सुधारेंगे;

घ) सरकारी लेखाकरण मानकों के कार्यान्वयन पर प्रशिक्षण प्रदान करना;

ङ) नियमित अंतरालों पर स्वीकृति या परिवर्तित शर्तों की दृष्टि से सरकारी लेखाकरण मानकों की समीक्षा करना और यदि आवश्यक हो, तो इसे संशोधित करना।

च) अन्य घोषणाएं जारी करना उदाहरणतः मार्गदर्शन टिप्पणियों का निर्गमन, जो सरकार में वित्तीय रिपोर्टिंग के मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करती है।

छ) वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित ऐसे अन्य सामान्य कार्यों को पूरा करना, जैसे, शोध पत्रों का प्रकाशन आदि और

ज) यह जांचने के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय लेखाकार संघ (आईएफएसी) के अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र लेखाकरण मानक बोर्ड (आईपीएसएसबी) द्वारा जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र लेखाकरण मानकों (आईपीएसएस) जैसे प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी लेखाकरण मानकों को भारत में प्रचलित परिस्थितियों और प्रथाओं को देखते हुए सरकारी लेखाकरण मानकों को तैयार करते समय किस सीमा तक अपनाया जा सकता है।

गसब दो प्रकार के मानक तैयार करता है:

- (i) रोकड़ आधारित लेखाकरण प्रणाली के आधार पर भारत सरकार लेखाकरण मानक (आईजीएस) जो सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से संघ, राज्यों और विधान मंडल वाले संघ शासित क्षेत्रों के अनुपालन के लिए अनिवार्य बन गए हैं; और
- (ii) प्रोद्घवन आधारित लेखाकरण प्रणाली के आधार पर भारत सरकार के वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईजीएफआरएस) जो संस्तुतिपरक हैं।

पणधारकों के परामर्श से विकसित ये मानक भारत के संविधान के अनुच्छेद 150, जिसमें निर्दिष्ट किया गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति के अनुसार निर्धारित रूप में संघ और राज्य सरकारों के लेखाओं को रखा जाएगा, के अनुसार अधिसूचना के लिए वित्त मंत्रालय को भेजे जाते हैं।

5.2 2020-21 के दौरान गसब सचिवालय द्वारा लिए गए लेखाकरण मानक/प्रकटीकरण विवरण

5.2.1 गैर अधिसूचित मानकों की समीक्षा

गसब ने हर तीन वर्षों में मौजूदा घोषणाओं की समीक्षा करने का प्रस्ताव किया था ताकि घोषणाओं को अद्यतित, संशोधित किया जा सके, घोषणाओं को चालू रखा जा सके और सरकारी लेखाकरण वातावरण में परिवर्तनों को प्रतिबिंबित किया जा सके। मसौदा मानकों को वित्त मंत्रालय को भेजे जाने और अधिसूचना के लिए इन मानकों के लंबित होने के बाद से समय अंतराल को ध्यान में रखते हुए, गसब ने स्वप्रेरणा से निम्नलिखित तीन मानकों को संशोधित करने का निर्णय लिया है:

5.1.1 भारतीय सरकार द्वारा अधिसूचित लेखाकरण मानक

- आईजीएस 1: सरकारों द्वारा दी गई गारंटियां: प्रकटीकरण अपेक्षाएं
- आईजीएस 2: सहायता अनुदान का लेखाकरण और वर्गीकरण
- आईजीएस 3: ऋणों और अग्रिमों का लेखाकरण

5.1.2 गसब द्वारा अनुमोदित और वित्त मंत्रालय को अधिसूचना के लिए भेजे गए लेखाकरण मानक/मार्गदर्शी टिप्पणियां - मार्च 2021 तक अधिसूचित की जानी हैं

- संशोधित आईजीएस 2: सहायता अनुदान का लेखाकरण
- संशोधित आईजीएस 3: ऋण और अग्रिम का लेखाकरण
- अचल परिसंपत्तियों के लेखाकरण पर मार्गदर्शी नोट
- आईजीएस 7: विदेशी मुद्रा लेन-देन और विनिमय दर भिन्नताओं द्वारा हानि या लाभ
- आईजीएस 9: इक्विटी में सरकारी निवेश
- आईजीएस 10: सार्वजनिक ऋण और सरकार की अन्य देयताएं: प्रकटीकरण अपेक्षाएं

- i. आईजीएस 7: विदेशी मुद्रा संव्यवहारों विनिमय दर भिन्नताओं के द्वारा हानि या लाभ और आईजीएस-10 सार्वजनिक ऋण और सरकारों की अन्य देयताएं।
- ii. आईजीएस 9 : इक्विटी में सरकारी निवेश; और
- iii. आईजीएस 10 : सार्वजनिक ऋण और सरकारों की अन्य देयताएं।

संशोधनाधीन उपर्युक्त दस्तावेजों में से उपर्युक्त (ii) और (iii) के मानकों के संबंध में पहले संशोधित प्रारूप को लक्ष्य के अनुसार वर्ष के दौरान पूरा कर लिया गया है और सदस्यों के बीच

पुनरीक्षण और टिप्पणियों/सुझावों के लिए परिचालित किया गया है। इनमें और संशोधन करने और अंतिम रूप देने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। (i) के अनुसार शेष प्रारूप मानक संशोधन के अधीन है।

5.2.2 नए मानक

सरकारी लेखाओं में, आरक्षित निधियां विशिष्ट और सुपरिभाषित उद्देश्यों के लिए भारत या राज्य की संचित निधि, या अन्य एजेंसियों से योगदान या अनुदान द्वारा बनाई जाती हैं। ये निधियां लोक लेखाओं का हिस्सा होती हैं और वित्तीय वर्ष के अंत में व्यपगत नहीं होती हैं और इन्हें वर्ष-दर-वर्ष आगे बढ़ाया जाता है। आरक्षित निधियों के अंतर्गत संचित निधि शेष राशि सरकार की देयताओं को दर्शाती है। इसमें दोनों शामिल हैं:

- i. ब्याज वाली आरक्षित निधि
- ii. गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियां।

आरक्षित निधियों के लेखाकरण पर एक अवधारणा पत्र को अंतिम रूप दिया गया था और तकनीकी सलाहकारों के साथ (जुलाई 2020) साझा किया गया था। अवधारणा पत्र पर टिप्पणियां पणधारकों से प्राप्त हुई हैं जिनकी मानक प्रारूप में शामिल करने और अंतिम रूप देने के लिए जांच की जा रही है।

5.2.3 उचित प्रक्रिया का संशोधन

गसब की प्रणाली को अब तक वर्ष 2011 में बनाए गए 'व्यावसायिक नियमों' द्वारा निर्देशित किया गया था। हालांकि, गसब के कार्यों को सुव्यवस्थित और संहिताबद्ध करने के लिए उन्हें अधिक केंद्रित, मजबूत और समावेशी बनाने के लिए, 'गसब की नियत प्रक्रिया' जो दृष्टि, मिशन, गसब के उद्देश्यों, हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, मानकों के निर्माण में शामिल प्रक्रियाओं, मानकों की संरचना आदि को दर्शाती है, अगस्त 2020 में 'व्यावसायिक नियमों' की जगह अपनाया गया था।

5.2.4 नकद आधारित अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र लेखाकरण मानकों (आईपीएसएस) पर आधारित मानक/प्रकटीकरण विवरण

आईपीएसएसबी सत्त्वों को वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो प्रोद्घवन आधारित आईपीएसएस

की आवश्यकताओं का पालन करते हैं। आईपीएसएसबी इस बात की सराहना करता है कि कुछ क्षेत्राधिकारों में, जो नकदी के आधार पर लेखाकरण का अभ्यास करते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक परिवर्ती क्रिया आवश्यक हो सकती है। नकदी आधारित आईपीएसएस को एक मध्यवर्ती कदम के रूप में विकसित किया गया है ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रोद्घवन आधार पर परिवर्तन में सहायता मिल सके और प्रोद्घवन आधारित आईपीएसएस को अपनाया जा सके। नकद आधारित आईपीएसएस लेखाकरण के नकद आधार पर रिपोर्टिंग करने वाले सत्त्वों द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता को बढ़ाने में और सत्त्वों के समर्थन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि वे प्रोद्घवन आईपीएसएस में पारगमन करते हैं।

गसब ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के सहयोग से नकदी आधारित आईपीएसएस मानकों/प्रकटीकरण विवरणों को तैयार करने के लिए निम्नलिखित चार विषयों की पहचान की है:

- (i) आकस्मिक देयताएं;
- (ii) राजस्व प्राप्तियों की मान्यता;
- (iii) पूर्व अवधि त्रुटियों का सुधार; और
- (iv) बाहरी सहायता के प्राप्तकर्ता

सभी चार प्रारूप मानकों की तैयारी पूरी कर ली गई है और वर्ष के दौरान प्रायोगिक राज्यों में परीक्षण में थे। प्रारंभिक अध्ययन के नतीजे आने शुरू हो गए हैं जिसके आधार पर मंजूरी और क्रियान्वयन के लिए गसब बोर्ड के समक्ष प्रस्तुति के लिए दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

5.2.5 आईएमएफ-एसएआरटीटीएसी के साथ सहयोग

वर्ष के दौरान, गसब ने आईएमएफ-एसएआरटीटीएसी (दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र) के साथ नकद आधारित आईपीएसएस के साथ भारतीय वित्त लेखाओं पर एक अंतर विश्लेषण परियोजना के लिए सहयोग किया है। वर्ष के दौरान निरंतर सहभागिता के परिणामस्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मुख्यालय द्वारा एक अंतर विश्लेषण रिपोर्ट तैयार की गई है और जारी की गई है जिसके कार्यान्वयन के लिए गसब और जीए विंग में जांच की जा रही है। सफल कार्यान्वयन से भारतीय राज्य वित्त लेखा नकदी आधारित आईपीएसएस अनुपालनकर्ता बन सकेंगे।

5.3 भारत में प्राकृतिक संसाधन लेखाकरण

दुनिया भर में पर्यावरण लेखाकरण का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा किया गया है। भारत संयुक्त राष्ट्र के इन प्रयासों के लिए एक हस्ताक्षरकर्ता है और इस प्रकार, पर्यावरणीय लेखाकरण के ढांचे को अपना देश का दायित्व है। इस दिशा में एक प्रयास के रूप में, भारत में प्राकृतिक संसाधन लेखाकरण (एनआरए) पर एक अवधारणा पत्र सीएजी के कार्यालय में गसब सचिवालय द्वारा तैयार किया गया था और 28 जुलाई 2020 को इंदिरा पर्यावरण भवन से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के माननीय राज्य मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो द्वारा डिजिटल रूप से विमोचन किया गया था। इस पत्र को भारत के माननीय प्रधानमंत्री के साथ भी साझा किया गया है और इस प्रयास के लिए पीएमओ की सराहना प्राप्त हुई है।

इस पत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरणीय और आर्थिक लेखाकरण प्रणाली (एसईईए) फ्रेमवर्क द्वारा सुझाई गई चार चरणीय कार्यनीति के अनुरूप लघु, मध्यम और दीर्घावधि लक्ष्यों की परिकल्पना की गई है, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

5.3.1 अल्प कालिक लक्ष्यों पर की गई प्रगति (2019-20 से 2021-22):-

गसब सचिवालय अवधारणा पत्र में परिकल्पित कार्य योजनाओं का अनुसरण कर रहा है और अल्पकालिक लक्ष्यों के विविध पहलुओं पर की गई प्रगति नीचे दी गई है:

5.3.1.1 खनिज और ऊर्जा संसाधनों पर परिसंपत्ति लेखाओं की तैयारी

अल्प कालिक लक्ष्यों के अंतर्गत परिकल्पित कार्य योजना संख्या 1 की शुरुआत खनिज और ऊर्जा संसाधनों पर परिसंपत्ति लेखा तैयार करने के साथ की जानी थी, जो कि राज्यों में गैर-नवीकरणीय संसाधनों से अधिक महत्वपूर्ण है। अवधारणा पत्र में शामिल खनिज और ऊर्जा संसाधनों पर परिसंपत्ति लेखाओं के मसौदा टेम्पलेट्स का परीक्षण करने के लिए, पांच राज्यों¹⁰ में प्रारंभिक अध्ययन (जुलाई 2020) शुरू किए गए थे। राज्य महालेखाकारों को सलाह दी गई थी कि वे राज्य सरकारों (खान एवं भूविज्ञान विभाग) के सहयोग से प्रारंभिक अध्ययन करें।

मार्च 2021 तक, पांच में से तीन¹¹ राज्यों में प्रारंभिक अध्ययन सफलता पूर्वक पूरा कर लिया गया है, जो वर्ष 2019-20 के लिए इन राज्यों में दोनों भौतिक परिसंपत्तियों और मौद्रिक खातों में खनिज और ऊर्जा संसाधनों पर परिसंपत्ति लेखाओं को तैयार कर रहा है। अन्य दो राज्य भी उन्नत चरणों में हैं और जल्द ही प्रारंभिक अध्ययनों को पूरा करने की उम्मीद है। तीन राज्यों में परिसंपत्ति लेखाओं को तैयार करने में सफलता को ध्यान में रखते हुए, प्राकृतिक संसाधन लेखाकरण (एनआरए) प्रकोष्ठ संबंधी परामर्श दात्री समिति के सदस्यों के बीच टिप्पणियों/आदानों के लिए परिसंपत्ति लेखाओं के प्रारूप टेम्पलेट्स परिचालित किए गए हैं। इन सूचनाओं के

अल्प कालिक लक्ष्य	मध्यावधि लक्ष्य	दीर्घकालिक लक्ष्य
<ul style="list-style-type: none"> राज्यों में खनिज और ऊर्जा संसाधनों पर परिसंपत्ति लेखाओं की तैयारी एनआरए से संबंधित राजस्व और व्यय पर प्रकटीकरण विवरण की शुरुआत और तैयारी (2019-20 से 2021-22) 	<ul style="list-style-type: none"> खनिज और ऊर्जा संसाधनों पर राष्ट्रीय परिसंपत्ति लेखाओं की तैयारी राज्यों में जल, भूमि और वन संसाधनों नामक अन्य तीन संसाधनों के संबंध में परिसंपत्ति लेखा तैयार करना प्राकृतिक संसाधन आदानों, उत्पादों और अवशेषों के प्रवाह को दर्शाते हुए भौतिक और मौद्रिक संदर्भों में आपूर्ति और उपयोग तालिकाओं की तैयारी (2022-23 से 2024-25) 	<ul style="list-style-type: none"> ह्रास समायोजित आर्थिक समुच्चय को उजागर करने वाले आर्थिक लेखाओं की तैयारी; और पर्यावरणीय प्रयोजनों के लिए किए गए आर्थिक गतिविधियों के बारे में लेन-देन और अन्य जानकारी दर्ज करने वाले कार्यात्मक लेखाओं की तैयारी। (2025-26 से)

¹⁰ आंध्र प्रदेश, गोवा, मेघालय, राजस्थान और उत्तर प्रदेश

¹¹ गोवा, मेघालय और राजस्थान

आधार पर, वर्ष 2020-21 के लिए परिसंपत्ति लेखे तैयार करने के लिए राज्यों में रोल आउट किए जाने के लिए मसौदा टेम्पलेट्स को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एक अच्छी पहल के रूप में, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने परिसंपत्ति लेखाओं के लिए अपेक्षित आंकड़ों को कैप्चर करने में सक्षम बनाने के लिए ई-परमिट प्रणाली को संशोधित करने में योगदान दिया है।

राज्य प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार को यह भी सलाह दी गई है (फरवरी 2021) कि वे राज्य सरकारों को उनके संसाधन आधारों और राजस्व की भविष्य की धाराओं पर महत्वपूर्ण जानकारी के भंडार के रूप में राज्यों के लिए परिसंपत्ति लेखाओं के महत्व पर जोर दें।

5.3.1.2 प्राकृतिक संसाधनों पर व्यय राजस्व और व्यय पर प्रकटीकरण

परिसंपत्ति लेखाओं पर प्रयासों के समानांतर, गसब ने प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित राजस्व और व्यय को मैप करने के लिए एक प्रकटीकरण विवरण पर भी कार्य करना शुरू कर दिया है। जबकि राजस्व को वित्त लेखे के माध्यम से अच्छी तरह से कवर किया जाता है और रिपोर्ट किया जाता है जो लीड प्रदान कर सकते हैं, व्यय में कई क्षेत्र शामिल हैं जैसे कि संसाधनों पर्यावरणीय क्षरण आदि का प्रबंधन करने वाले विभागों द्वारा व्ययित क्षेत्र, जिन्हें भी कैप्चर किया जाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ व्यय अन्य एजेंसियों द्वारा भी किया जाता है जो वर्तमान में वित्त लेखाओं के माध्यम से रूट नहीं किए जाते हैं और चुनौती, उन्हें कवर करने के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित प्राप्तियों और व्यय की एक सच्ची और निष्पक्ष तस्वीर पेश करने की है। गसब

सचिवालय ने सरकारी लेखाकरण शाखा के सहयोग से कई प्राप्तियों और व्यय शीर्षों की पहचान की है और इस मामले को क्षेत्र में महालेखाकार कार्यालयों को टिप्पणियों/आदानों के लिए परिचालित किया है ताकि प्रकटीकरण का दायरा बढ़ाया जा सके।

यह एनआरए को लागू करने के दूसरे चरण के साथ आगे बढ़ने में काफी हद तक मदद करेगा यानी आपूर्ति की तैयारी और मध्यावधि लक्ष्यों के तहत प्राकृतिक संसाधनों के प्रवाह को दर्शाने वाली तालिकाओं का उपयोग करते हैं।

5.3.1.3 एनआरए कक्षों का निर्माण

कॉन्सेप्ट पेपर में परिकल्पित कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए, गसब मुख्यालय में एक एनआरए सेल का गठन किया गया है जिसमें भारत सरकार के मंत्रालयों¹², द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टेरी), आईसीएआई, देश भर की पांच राज्य सरकारों, प्रख्यात पर्यावरण विदों आदि जैसे विभिन्न पणधारकों के सदस्य शामिल हैं। राज्यों में महालेखाकार कार्यालयों के बीच स्थानीय राज्य सरकारों के साथ समन्वय को सक्षम बनाने और अवधारणा पत्र में यथा परिकल्पित प्रत्येक संसाधन के लिए परिसंपत्ति लेखा तैयार करने की दिशा में परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए राज्यों में एनआरए सेल का भी गठन किया गया है।

¹²सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, खान मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, जल शक्ति

5.4 लेखापरीक्षा पद्धति और मार्गदर्शन

सीएजी कार्यालय में व्यावसायिक व्यवहार समूह (पीपीजी) के अधिदेश में नई लेखापरीक्षा पद्धतियों का विकास, प्रसार और कार्यान्वयन शामिल है और यह लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं से संबंधित तकनीकी मुद्दों के लिए एक सलाहकार शाखा के रूप में कार्य करता है। पीपीजी एक नई पद्धति या पहल करने से पहले और साथ ही मौजूदा प्रक्रियाओं को संशोधित करने के दौरान भी एक सलाहकार दृष्टिकोण अपनाता है। पीपीजी नई लेखापरीक्षा प्रथाओं के विकास के साथ-साथ नए दिशानिर्देशों और प्रचलित टिप्पणी जारी करके विभाग के भीतर सर्वोत्तम प्रथाओं के आंतरिककरण पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर संगठन को पेशेवर आदान भी उपलब्ध कराता है। वर्ष 2020-21 के दौरान, निम्नलिखित पहल की गई थी:

5.4.1 लेखापरीक्षा और लेखा पर विनियम, (संशोधन) 2020

लेखापरीक्षा और लेखा पर विनियमों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के डीपीसी अधिनियम के तहत नियम और विनियम बनाने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की शक्तियों के तहत पहली बार 2007 में प्रकाशित किया गया था। 2010 और 2014 में दो संशोधन किए गए थे। तथापि, इन विनियमों की न्यायालयों में समीक्षा की गई थी और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा अधिदेश और प्रक्रियाओं की व्याख्या में यह बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ था।

ऐसे वातावरण में महत्वपूर्ण विकास हुए हैं जिसमें सार्वजनिक लेखापरीक्षक कार्य करते हैं जैसे कि शासन प्रतिमान, सरकारी प्राथमिकताओं में परिवर्तन, सेवा वितरण और सरकार के डेटा वातावरण में आईटी उपकरणों की व्यापक तैनाती, संस्थागत व्यवस्थाओं का नया रूप, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के जनादेश की न्यायिक व्याख्या, सार्वजनिक लेखापरीक्षा प्रावधानों के दायरे और प्रयोज्यता जैसे कुछ नाम। घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा और लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के विनियमों को 2020 में संशोधित किया गया था और 25 अगस्त 2020 को अधिसूचित किया गया था।

संशोधित विनियम 2020 की मुख्य विशेषताओं में आईटी वातावरण में लेखापरीक्षण और आईटी उपकरणों के साथ लेखापरीक्षण पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना; इलेक्ट्रॉनिक डेटा और संबंधित प्रणालियों तक पहुंच; दृष्टिकोण में

एकजुटता और प्रक्रियाओं की संक्षिप्तता सुनिश्चित करने के लिए; एक ही अध्याय के तहत लेखापरीक्षा के तीन रूपों अर्थात् प्रदर्शन, अनुपालन और वित्तीय लेखापरीक्षा के सिद्धांतों और प्रथाओं का संयोजन स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा और रिपोर्टिंग के लिए दृष्टिकोण को समेकित करना; और सरकारी लेखाकरण के सामान्य सिद्धांतों की एक स्पष्ट व्याख्या शामिल है।

5.4.2 प्रभावी लेखापरीक्षा के लिए रिमोट सेंसिंग डेटा और भौगोलिक सूचना प्रणाली के उपयोग पर मार्गदर्शन टिप्पणी

इस मार्गदर्शन टिप्पणी का मूल उद्देश्य रिमोट सेंसिंग की महत्वपूर्ण अवधारणाओं और उपकरणों का विवरण देने वाले ढांचे को रेखांकित करना है; भौगोलिक सूचना प्रणाली और वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली और एक उद्देश्यपूर्ण लेखापरीक्षा उत्पाद के लिए लेखापरीक्षा योजना, कार्यान्वयन और सबूत इकट्ठा करने में उनकी उपयोगिता। इसके भूमि और आश्रित भौतिक संसाधनों जैसे वन, जल निकायों, भूमि उपयोग, कृषि आदि की लेखापरीक्षा और खनन, सिंचाई आदि जैसी आर्थिक गतिविधियों की लेखापरीक्षा में महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं।

5.4.3 राज्य वित्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एसएफएआर) तैयार करने के लिए मार्गदर्शिका

एसएफएआर तैयार करने के लिए मार्गदर्शिका को सितंबर 2020 में जारी किया गया था। मार्गदर्शिका सामान्य मुद्दों के संकेतक विश्लेषण के लिए एक संरचना प्रदान करती है जैसे राज्य की (i) बजटीय स्थिति, (ii) दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता, (iii) राजकोषीय संकेतकों की विश्वसनीयता, और (iv) लेखाओं की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग। यह सरकारी राजस्व, व्यय, प्रवृत्तियों, इसकी प्राथमिकताओं, संसाधनों के जुटाव में दबाव बिंदुओं और व्यय प्रबंधन के विभिन्न मापदंडों का विश्लेषण और रिपोर्टिंग करने के लिए एक रूप रेखा भी प्रदान करता है ताकि कुछ को उजागर किया जा सके। मार्गदर्शिका का उद्देश्य लेखापरीक्षक को एक दस्तावेज तैयार करने में मदद करना है जो एक सूचित पाठक को, अपनाए गए राजकोषीय सुधार पथ, राज्य सार्वजनिक वित्त में प्रमुख विकास, बजटीय प्रक्रिया, सरकारी लेखाओं की संरचना, राज्य के वित्त और संतुलन का एक स्नैपशॉट, घाटे के मापदंडों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा।

5.5 आंतरिक नियंत्रण एवं गुणवत्ता निर्धारण

5.5.1 निरीक्षण के माध्यम से गुणवत्ता नियंत्रण

निरीक्षण और समकक्ष समीक्षा विंग बोर्ड के विभाग के सभी कार्यात्मक कार्यालयों की नमूना जांच करने की जिम्मेदारी सीएजी कार्यालय में होती है। यह विंग अनुपालन स्तरों पर आश्वासन, मानव पूंजी के इष्टतम उपयोग हेतु कार्यप्रणाली में सुधार, दक्षता अनुकूलन और अंतर विश्लेषण प्रदान करने की दृष्टि से निरीक्षण कार्य करता है। निरीक्षण, अलग-अलग कार्यालयों में देखी गई बेहतर प्रक्रियाओं को साझा करने के लिए एक आधार प्रदान करता है।

अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए, विंग शाखा कार्यालयों सहित क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्य स्थल निरीक्षण करता है। इस उद्देश्य के लिए तैयार किए गए जोखिम मापदंडों पर आधारित बिंदु प्रणाली के आधार पर कार्यालयों का चयन किया जाता है।

मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यात्मक विंग के निरीक्षण और जबाबदेही की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित तंत्र हैं:-

- क. निरीक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी और सहभागितापूर्ण बनाने के लिए, विंग ने संबंधित क्रियात्मक विंग के प्रमुख के साथ नियमित संवाद के माध्यम से सभी पणधारकों के साथ तालमेल को बेहतर बनाने एवं इसे बनाए रखने का प्रयास किया है;
- ख. निरीक्षण दल उपलब्ध सामग्री जैसे पूर्ववर्ती समकक्ष समीक्षा रिपोर्ट/निरीक्षण रिपोर्ट, निरीक्षणाधीन कार्यालय से मांगी गई विस्तृत सूचना और नियमित आधार पर कार्यात्मक विंग से प्राप्त आवधिक विवरणी/इनपुटों का डेस्क अध्ययन करता है। क्षेत्रीय कार्यों को आरंभ करने से पहले और पूर्ण होने के बाद दल ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग सत्र के माध्यम से उच्चतम स्तर पर अध्ययन करते हैं;

- ग. रिपोर्ट मानक प्रारूप में बनाई गई है तथा संक्षिप्त है और रचनात्मक तरीके से पणधारकों को लगाए रखने के लिए सिफारिशों को शामिल किए हुए है;
- घ. क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण और विशिष्ट मुद्दों पर और संबंधित समूहों के परामर्श से तैयार किए गए कार्यात्मक कार्यक्षेत्रों की जांच-सूची का उपयोग निरीक्षण दलों द्वारा किया जाता है;
- ङ. सभी निरीक्षण रिपोर्ट (आईआर) डिजिटल प्रारूप में जारी की गई हैं और सीएजी की वेबसाइट पर ज्ञान प्रबंधन प्रणाली (केएमएस) पोर्टल पर अपलोड भी की गई है। वर्ष 2014-15 से 2019-20 की अवधि के लिए आईआर केएमएस पोर्टल के तहत उपलब्ध हैं; और वर्ष 2020-21 के लिए आईआर का अपलोडिंग कार्य प्रगति पर है।
- च. अभ्युक्तियों के अनुपालन दो श्रेणियों के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों से, मांगे जाते हैं - (i) श्रेणी ए - जहां समयबद्ध तरीके से अनुपालन कार्यालय द्वारा कार्यालय द्वारा स्वयं ही अनुपालन किया जाना है, और (ii) श्रेणी बी - जहां अनुपालन बाहरी एजेंसियों जैसे राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, आदि द्वारा की गई कार्रवाई पर निर्भर है, व्यक्तिगत कार्यालय को एक समय सीमा नियत करने का सुझाव दिया गया है जिसके अंतर्गत निरीक्षण रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई सभी अभ्युक्तियों का अनुपालन किया जाता है।

5.5.2 वर्ष 2020-21 के दौरान किए गए निरीक्षण और समकक्ष समीक्षा

वर्ष के दौरान, 15 क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण की योजना बनाई गई थी और नीचे दिए गए विवरण के रूप में पूरा किया गया था:

नियोजित निरीक्षणों की संख्या	किए गए निरीक्षणों की संख्या	2020-21 के दौरान की गई अभ्युक्तियों की संख्या	2020-21 के दौरान निपटाई गई अभ्युक्तियों की संख्या	मार्च 2021 के अंत में बकाया पैरा/आईआर की संख्या	
				पैरा की संख्या	आईआर की संख्या
15	15	861	2081	956	31

वर्ष 2020-21 (कोविड-19 महामारी से प्रभावित) के दौरान, कार्य प्रणाली को संशोधित करके निरीक्षण किए गए थे, जिसमें मुख्यालय में निरीक्षण की एक टीम ने क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त जानकारी और स्कैन किए गए दस्तावेजों के आधार पर दूरस्थ रूप से प्रारंभिक डेस्क समीक्षा की। मुख्यालय निरीक्षण दल द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों को कई निरीक्षण ज्ञापन जारी किए गए। तत्पश्चात्, कार्यालय की सूचना का सत्यापन और अभिलेखों की जांच उस स्टेशन के एक समूह अधिकारी की अध्यक्षता वाली एक टीम द्वारा भौतिक रूप से की गई थी। तत्पश्चात् क्षेत्र में निरीक्षण दल और मुख्यालय में संबंधित अधिकारियों दोनों के समन्वय द्वारा निरीक्षण रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया गया और महानिदेशक (निरीक्षण) द्वारा जारी किया गया।

5.5.3 आंतरिक समकक्ष समीक्षाएँ

हम अपने गुणवत्ता आश्वासन तंत्र के हिस्से के रूप में भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यालयों की समकक्ष समीक्षा का आयोजन करते हैं। ये "समकक्ष समीक्षा के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन" पर दिशानिर्देशों द्वारा शासित होते हैं, और साई-2016 के निष्पादन मॉनिटरिंग ढांचे (पीएमएफ) के अनुरूप किए जाते हैं।

वर्ष 2020-21 के दौरान, समकक्ष समीक्षाओं की योजना बनाई गई थी और नौ कार्यालयों के लिए पूरा किया गया था।

अध्याय 6

प्रौद्योगिकी-चलित भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के लिए विजन के प्रति

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग व्यवस्थित रूप से विभिन्न असमान विरासत सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एप्लीकेशन से केंद्रीकृत आईटी समाधानों में अंतरित हो रहा है। डिजिटल समाधानों के लिए बढ़ावा हमारी कार्य प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने, प्रसंस्करण समय में कमी करने और प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने और लेखापरीक्षा कार्यभार के लिए अन्य सरकारी आईटी एप्लीकेशन द्वारा उत्पन्न डिजिटल डेटा का लाभ उठाने के उद्देश्य से प्रेरित है।

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग एप्लीकेशन को उच्च उपलब्धता और बेहतर गुणवत्ता के साथ-साथ सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। नए केंद्रीकृत समाधानों में उन्नत साइबर खतरों से निपटने के लिए अत्याधुनिक सुरक्षा स्थापत्य शामिल है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, एक स्वतंत्र बाह्य सरकार के पैनल में शामिल एजेंसी द्वारा नेटवर्क, अवसंरचना और एप्लीकेशन की सुरक्षा लेखापरीक्षा अनिवार्य रूप से की जाती है। भारतीय

लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की भूमिका को मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है:

- नए आईटी एप्लीकेशन का डिजाइन, विकास और रोल-आउट;
- मौजूदा आईटी एप्लीकेशन का समर्थन करना, विशेष रूप से लेखाकरण और हकदारी (एएंडई) कार्यों के संबंध में;
- आईटी अव संरचना का समर्थन करने का प्रबंधन और रख रखाव (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर);
- डेटा विश्लेषण के लिए, लेखापरीक्षा कार्यभार की योजना और निष्पादन में सहायता करने के लिए एक संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करना;
- सरकारों और अन्य लेखापरीक्षिती सत्त्वों की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की लेखापरीक्षा।

6.1 हाल की पहल और विकास

भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम 'डिजिटल इंडिया' के अनुरूप, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं और रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में है। इस संबंध में विभिन्न पहल और विकास इस प्रकार हैं:

6.1.1 एक आईएएंडईडी एक प्रणाली

6.1.1.1 डिजाइन, विकास और रोल-आउट

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग एक बड़ा संगठन है - जिसमें लगभग 29,000 कर्मचारी (इसके 138 कार्यालयों में

तैनात) इसके मुख्य लेखा परीक्षा कार्य में लगे हुए हैं। हमारे विभाग के व्यापक आकार के कारण, हमें कुछ अंतर्निहित संगठनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसका समाधान केवल एक समर्पित टेलर-मेड आईटी एप्लीकेशन को लगाकर किया जा सकता था।

विभाग द्वारा सामना की गयी विभिन्न चुनौतियों को सम्बोधित करने के लिए, 2019 में, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग ने लेखा परीक्षा प्रक्रिया स्वचालन और ज्ञान प्रबंधन के लिए एक व्यापक आईटी सिस्टम का विकास, कार्यान्वयन और रोल-आउट लिया, जिसका नाम एक आईएएंडईडी एक

प्रणाली (ओआईओएस) है। ओआईओएस मुख्य रूप से लेखा परीक्षा गतिविधियों की पूरी श्रृंखला के लिए रिकॉर्ड की एक प्रणाली है, इस प्रकार सत्य के एकल स्रोत के रूप में कार्य करता है। यह भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में सभी लेखापरीक्षा गतिविधियों के लिए एक एंटरप्राइज-वाइड एंड-टू-एंड, वेब-होस्टेड आईटी एप्लीकेशन है। उद्देश्य यह है:

- क्षेत्रीय लेखापरीक्षा टीमों से भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग लेखापरीक्षा कर्मियों को ऊपर की ओर सशक्त बनाकर लेखापरीक्षा को अधिक प्रभावी बनाना
- अन्य सरकारी और विभागीय एप्लीकेशन के साथ निर्बाध एकीकरण के साथ एक अत्याधुनिक आईटी समाधान के माध्यम से हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अधिक दक्ष और प्रभावी बनाना
- किसी आईटी-आधारित प्रक्रिया कार्य प्रवाह को प्रबंधित करना

ओआईओएस एप्लीकेशन में निम्नलिखित से शुरू होने वाले लेखापरीक्षा कार्य भार जीवन चक्र के सभी चरणों को शामिल किया गया है:

- लेखापरीक्षा यूनीवर्स का रखरखाव, लेखापरीक्षा योजना, लेखापरीक्षा डिजाइन और लेखापरीक्षा निष्पादन;
- गुणवत्ता आश्वासन और नियंत्रण;
- विभिन्न प्रकार के लेखापरीक्षा उत्पादों को अंतिम रूप देना; और
- लेखापरीक्षा उत्पादों का अनुवर्तन।

ओ आई ओ एस एक कार्य प्रवाह-आधारित आईटी प्रणाली है, और कार्योत्तर डेटा प्रविष्टि पर आधारित नहीं है। इसमें ओ आई ओ एस एप्लीकेशन के भाग के रूप में एक ऑफ़लाइन लैपटॉप ग्राहक और एक मोबाइल ऐप प्रदान करने की परिकल्पना की गई थी। ऑफ़लाइन ग्राहक खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में भी लेखापरीक्षा जारी रखने के लिए लेखापरीक्षा टीमों को सुविधा प्रदान करेगा।

इस परियोजना का नेतृत्व कार्यात्मक विंग के पूर्ण समर्थन के साथ मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) की अध्यक्षता वाले सूचना प्रणाली (आईएस) विंग द्वारा केंद्रीय रूप से किया जा रहा है। यह कार्य जनवरी 2020 में दिया गया था। ओआईओएस एप्लीकेशन विकास (तीन चरणों में वर्गीकृत कार्य क्षमताओं) के लिए एक चरण-वार धारणा का अनुसरण किया जा रहा है, जिसमें पुनरावर्ती विकास के लिए एजाइल स्क़्रम पद्धति का उपयोग किया जा रहा है। भारतीय

लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए विकसित कार्यात्मकताओं के चरण-वार रोल-आउट का अनुसरण किया जा रहा है, जिसमें कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रारंभिक रोल-आउट के लिए पायलट कार्यालयों और नोडल कार्यालयों के रूप में नामित किया गया है।

6.1.1.2 ओआईओएस एप्लीकेशन विकास और रोल-आउट की प्रास्थिति

ओआईओएस (चरण-I) को जुलाई 2020 में छः¹² लेखापरीक्षा कार्यालयों में पायलट के रूप में सॉफ्ट लॉन्च किया गया था। चरण-I एप्लीकेशन में लेखापरीक्षा योजना और डिजाइन, क्षेत्रीय लेखापरीक्षा निष्पादन और प्रलेखन, और केएमएस और संबंधित मास्टर डेटा के लिए कार्यात्मकताएं शामिल हैं। चरण-I 'गो लाइव' नवंबर 2020 में घोषित किया गया था।

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग क्षेत्रीय कार्यालयों में एप्लीकेशन के चरण का रोल आउट एक गहन अभ्यास रहा है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के लिए इन-हाउस और बाह्य संसाधनों के मिश्रण से क्षेत्रीय कर्मियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। मास्टर ट्रेनरों की अवधारणा के बाद, इन-हाउस संसाधनों की एक टीम क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालयों की हैंड-होलिंग कर रही है। ओ आई ओ एस कार्यात्मक हेल्प डेस्क के लिए समर्पित पदों को भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग के विभिन्न क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों/केंद्रों में स्थापित किया गया था। मार्च 2021 तक ओआईओएस चरण-I के लिए कुल 60 कार्यालयों और शाखा कार्यालयों को प्रशिक्षित किया गया है। इसमें राज्य लेखापरीक्षा कार्यालय, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालय, रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालय और केंद्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय शामिल हैं। 512 क्षेत्रीय लेखापरीक्षा टीमों ने ओआईओएस पर काम करना शुरू कर दिया है और उन्होंने ओआईओएस के माध्यम से 3,724 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां जारी की हैं।

6.1.1.3 डेटा सेंटर और अन्य तकनीकी सेवाओं की प्रास्थिति

ओआईओएस डेटा की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता को बनाए रखने के लिए कठोर नियंत्रण अतः स्थापित करता है। एप्लीकेशन को टियर-3 डेटा सेंटर में होस्ट किया गया है और व्यावसायिक सेवाओं द्वारा प्रबंधित उन्नत सुरक्षा आर्किटेक्चर को इसमें लगाया गया है। सेवा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, सभी व्यवसाय-महत्वपूर्ण घटकों को उच्च-उपलब्धता मोड में बनाया गया है और फेल ओवर धारणा

¹² गुजरात, हरियाणा, ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम और तमिलनाडु

के साथ एक आपदा बहाली केंद्र को भी शामिल किया गया है। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं सहित अवसंरचना में पर्याप्त अतिरिक्त का प्रावधान किया गया है।

ओआईओएस परियोजना के लिए डेटा सेंटर स्थापना को अक्टूबर 2020 में पूरा किया गया है। आपदा बहाली केंद्र की स्थापना और परीक्षण का कार्य प्रगति पर है। भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग वीएलएएन (इंटरनेट के बिना) के माध्यम से एप्लीकेशन पहुंच सुनिश्चित करने और डेटा क्षति को कम करने के लिए, दो निकट लाइन डेटा केंद्रों और एनआईसी डेटा केंद्रों के साथ कनेक्टिविटी स्थापित की गई है।

6.1.2 हकदारी कार्यों का डिजिटलीकरण

वर्ष के दौरान हकदारी कार्यों के डिजिटलीकरण के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की गई थीं:

- हकदारी कार्यों के लिए वेब का विकास और कार्यान्वयन और एसएमएस आधारित सेवाएं
- हकदारी कार्यों के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण
- विनियोग लेखा डैशबोर्ड परियोजना
- राज्य एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के साथ वाउचर स्तर कंप्यूटरीकरण एप्लीकेशन (वीएलसी) का एकीकरण
- केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण परियोजना

उपर्युक्त परियोजनाओं के ब्यौरे इस रिपोर्ट के अध्याय 3 (पैरा 3.4.2) में दिए गए हैं।

6.2 समर्थक आईटी अवसंरचना का प्रबंधन और रखरखाव

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उपयोग के लिए आईटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अधिप्राप्ति के लिए निधियों का आवंटन केंद्रीय रूप से प्रबंधित किया जाता है। ओआईओएस और अन्य आईटी एप्लीकेशन के रोल-आउट के साथ, और कोविड महामारी के मद्देनजर, जिसने घर से काम करने को सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया है, लैपटॉप की अधिप्राप्ति पर जोर दिया गया था। लैपटॉप की खरीद के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को दी गई संस्वीकृति के अलावा, लगभग 1,700 लैपटॉप की केंद्रीकृत अधिप्राप्ति भी पूरी हो गई थी। खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी

6.1.3 सुरक्षित भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग वीएलएएन का कार्यान्वयन

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग कार्यालयों को भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग-नेट नामक एक आभासी नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की गई है, जो एनआईसी-नेट का हिस्सा है।

मौजूदा एलएएन अवसंरचना के पुनरुद्धार और एक सुरक्षित भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग वीएलएएन तथा वाई-फाई पहुंच स्थापित करने के लिए एक परियोजना प्रगति पर है। इसका उद्देश्य सुरक्षा नीतियों की केंद्रीय तैनाती और नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल (एनएसी) के माध्यम से एक पूर्ण भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग नेटवर्क का रखरखाव सुनिश्चित करना है। परियोजना को विभिन्न चरणों में विभाजित किया गया है। चरण 1 और 2ए का कार्यान्वयन अंतिम चरण में है। चरण कार्यालयों (33 कार्यालयों) के लिए अंतिम परीक्षण प्रगति पर है।

6.1.4 मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (ईएचआरएमएस)

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने और एचआर/प्रशासन से संबंधित गतिविधियों को स्वचालित करने के लिए, एचआर प्रबंधन आईटी एप्लीकेशन (ईएचआरएमएस) के लिए एक परियोजना शुरू की गई है। एनआईसी द्वारा डिजाइन किये गये इस एप्लीकेशन में इलेक्ट्रॉनिक रूप में कर्मचारी के रिकॉर्ड का उनके सेवा काल में आने से लेकर सेवा निवृत्ति तक रखरखाव किया जाएगा।

वाले क्षेत्रों में क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान ओआईओएस पर काम करने के लिए लेखापरीक्षा पार्टियों को समर्थ बनाने के लिए, मोबाइल वाई-फाई उपकरणों को भी स्वीकृति दी गई थी।

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग ने ऑफिस स्वचालन उपकरण (माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस टीम, शेयरपॉइंट आदि) अधिप्राप्त करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक एंटर प्राइज करार किया है। ये लाइसेंस क्षेत्रीय कार्यालयों को वितरित किए गए हैं।

6.3 डेटा प्रबंधन और विश्लेषिकी केंद्र (सीडीएमए)

सीडीएमए चयनित लेखापरीक्षा कार्यभार के लिए डेटा विश्लेषण करने में क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों की सहायता के लिए एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है। लेखापरीक्षा योजना और लेखापरीक्षा निष्पादन के लिए विभिन्न उपकरण को केंद्रीय रूप से अधिप्राप्त और वितरित किया जाता है। आईडीए और टैब्लो वर्तमान में इस श्रेणी में प्रमुख सॉफ्टवेयर

उपकरण हैं। सीडीएमए ने क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्य भार का समर्थन करने के अलावा पायलटों के रूप में कुछ लेखापरीक्षा कार्यभार का नेतृत्व करना शुरू किया है। सीडीएमए विभिन्न डेटा विश्लेषिकी उपकरणों का उपयोग करने के संबंध में नियमित रूप से प्रशिक्षण करता है और क्षेत्रीय कार्यालयों का हैंड होल्ड करता है।

6.4 लॉकडाउन के दौरान घर से कार्य करने में समर्थ बनाने की पहल

सीटीओ विंग ने कोविड महामारी के दौरान भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग कार्यालयों में व्यवधान को कम करने और महत्वपूर्ण कार्य की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहलें की। इस तरह की कुछ पहल नीचे दी गयी हैं:

- भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग इन-हाउस अकाउंट्स और एंटाइटलमेंट में एप्लीकेशन (जैसे वीएलसी, पेंशन, राजपत्रित हकदारी) पुराने एप्लीकेशन हैं और केवल स्थानीय इंटरनेट के माध्यम से अभिगम्य थे। एनआईसी के समर्थन से आईएस विंग ने इन एंजर्डी एप्लीकेशन को दूरस्थ रूप से अभिगम्य बनाने के लिए एक समाधान कार्यान्वित किया है।

- सभी आईएएंडएडी कार्यालयों को ई-ऑफिस एप्लीकेशन के उपयोग को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जो कार्यालय फाइलों को संसाधित करने के लिए एक डिजिटल मंच प्रदान करता है। ई-ऑफिस एप्लीकेशन तक दूरस्थ पहुंच के लिए आवश्यक वीपीएन लाइसेंस प्रदान किए गए हैं।
- माइक्रोसॉफ्ट टीम लाइसेंसों को भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग कर्मियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा प्रदान करने, ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करने और लाइव कार्यक्रम/वेबिनार आयोजित करने के लिए अधिप्राप्त और वितरित किया गया था। इन एप्लीकेशन का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान किए गए थे।

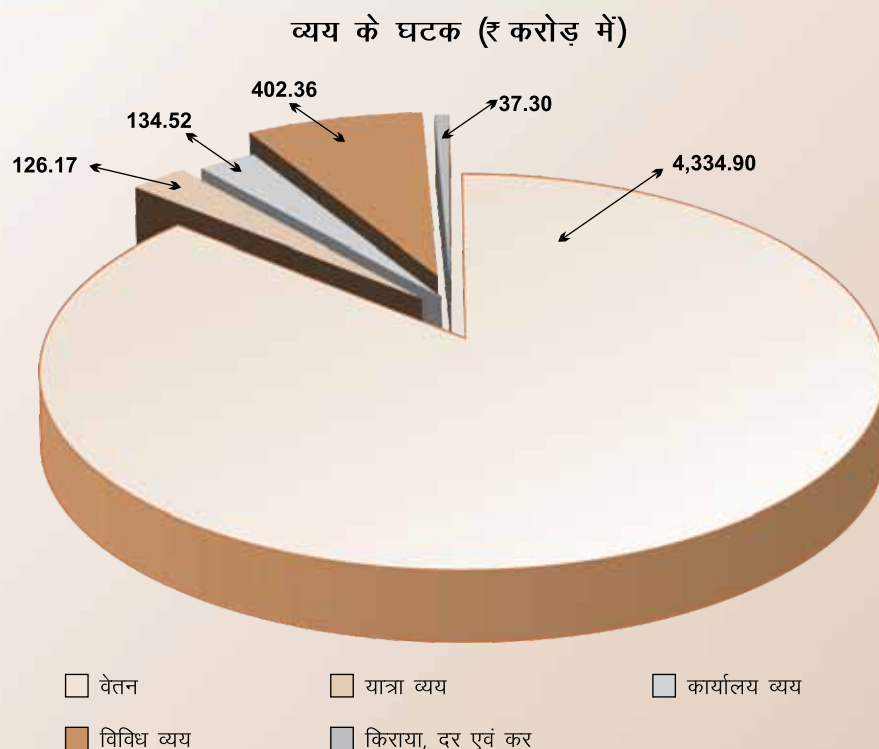
अध्याय 7

हम अपने संसाधनों का प्रबंध कैसे करते हैं

7.1 वित्तीय प्रबंधन-व्यय के घटक

हमने 2020-21 में ₹5035.25 करोड़ खर्च किए। कुल व्यय (88.59 प्रतिशत) का मुख्य भाग हमारे मानव संसाधनों - 86.09

प्रतिशत 'वेतन' और 2.51 प्रतिशत 'यात्रा' पर प्रत्यक्ष रूप से खर्च किया गया। घटक वार व्यय के विवरण नीचे दिये गए हैं:



7.1.1 कार्यात्मक आधार पर व्यय प्रतिमान

कुल व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा सिविल लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा किया जाता है, जिसके बाद, सिविल लेखा कार्यालयों का व्यय आता था। समग्र रूप से हमने लेखापरीक्षा

पर (मुख्यालय को छोड़कर) लगभग 62.95 प्रतिशत व्यय किया। सिविल लेखा कार्यालयों पर किया गया कुल व्यय लगभग 32.16 प्रतिशत था। कुल व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा सिविल लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा किया जाता है,

कार्यालय की श्रेणियां	वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)	व्यय की प्रतिशतता
मुख्यालय	164.33	3.26
यूएन लेखापरीक्षा (यूएन न्यूयार्क, डब्ल्यूएचओ-जिनेवा और एफएओ-रोम में निदेशक, बाह्य लेखापरीक्षा के कार्यालय)	4.97	0.10
विदेशी लेखापरीक्षा कार्यालय	23.13	0.46
सिविल लेखापरीक्षा कार्यालय	2,426.18	48.18
वित्त एवं संचार लेखापरीक्षा कार्यालय	143.12	2.84
रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालय	255.79	5.08
रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालय	114.21	2.27
वाणिज्य लेखापरीक्षा कार्यालय	203.50	4.04
एनएएए शिमला	14.86	0.29
आईसीसा, नोएडा	9.96	0.20
क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान	42.21	0.84
विभागीय कैंटीन	13.90	0.28
सिविल लेखा कार्यालय	1,619.09	32.16
कुल	5035.25	100

7.2 मानव संसाधन प्रबंधन

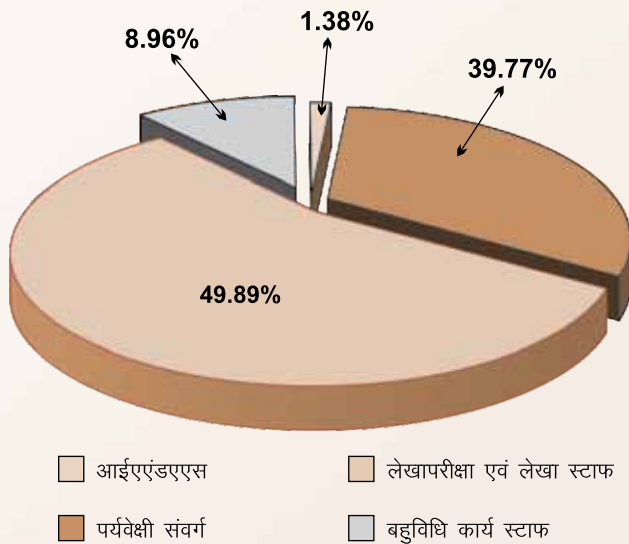
हमारे ज्ञान आधारित संगठन होने के कारण लोग हमारी प्रमुख परिसम्पत्ति हैं। आईएसएसएआई 40 निर्धारित करता है कि साई की नीतियों और प्रक्रियाओं को यह आश्वासन प्रदान करने के लिए स्थापित करना चाहिए कि इसमें पर्याप्त संख्या में सक्षम और प्रेरित कर्मचारी हैं जो अपने कार्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकते हैं।

हमारे श्रम बल को व्यापक रूप में चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

श्रेणी	अधिकारियों / स्टाफ की संख्या (1 मार्च 2021 को)
आईएएंडएएस	593
पर्यवेक्षी संवर्ग	17,148
लेखापरीक्षा एवं लेखा स्टाफ	21,513
बहुविधि कार्य स्टाफ	3,864
कुल	43,118

59,154 की संस्वीकृत कार्मिक संख्या के प्रति 71.89 प्रतिशत स्टाफ वर्तमान में विभाग में कार्यरत है। भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग में 41.15 प्रतिशत लोग विभिन्न प्रबन्धकीय और पर्यवेक्षी स्तर पर हैं और 49.89 प्रतिशत लोग लेखापरीक्षा एवं लेखा स्टाफ में हैं। कुल क्षमता का केवल 8.96 प्रतिशत सहायता कार्य करते हैं।

हमारे लोग



भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा (आईएएंडएएस)

अधिकारियों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग के उच्चतम, वरिष्ठ और मध्य प्रबन्धन स्तर इस सेवा के अधिकारियों द्वारा संचालित होते हैं। इसके अलावा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारियों को भी पदोन्नति द्वारा इस सेवा में शामिल किया जाता है। वे भारत सरकार में ग्रुप 'ए' सेवा का गठन करते हैं।

पर्यवेक्षी संवर्ग-राजपत्रित पर्यवेक्षी संवर्ग में वरिष्ठ लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी (ग्रुप ए-राजपत्रित), सहायक लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी (ग्रुप बी-राजपत्रित) और पर्यवेक्षक (ग्रुप बी-अराजपत्रित) होते हैं। वे हमारे पदानुक्रम में महत्वपूर्ण परिचालनात्मक प्रबन्धन का हिस्सा हैं। सहायक लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से आते हैं अथवा अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा परीक्षा के रूप में सामान्यतया जानी जाने वाली अखिल भारतीय विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद संवर्ग में उनकी पदोन्नति की जाती है। उन्हें सीधे कर्मचारी चयन आयोग द्वारा

भर्ती किया जाता है।

लेखापरीक्षा एवं लेखा स्टाफ-यह संवर्ग डेटा एन्ट्री ऑपरेटर (डीईओ), लिपिकों, लेखापरीक्षकों/लेखाकारों, वरिष्ठ लेखापरीक्षकों/वरिष्ठ लेखाकारों और सहायक पर्यवेक्षकों से बनता है जो हमारे कुल श्रमबल का 50 प्रतिशत है। इनकी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाती है या फीडर संवर्ग से पदोन्नति होती है।

बहु विधि कार्य स्टाफ-विभिन्न भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग कार्यालयों में सभी सहायता कार्य बहु-विधि कार्य स्टाफ द्वारा किए जाते हैं।

7.2.1 योग्यताएं

आईएएंडएएस संवर्ग में 13 डॉक्ट्रेट, 280 स्नातकोत्तर और 300 स्नातक हैं। उनमें से 87 व्यावसायिक रूप से योग्यता¹³ प्राप्त अधिकारी हैं। ग्रुप 'ए', 'बी' और 'सी' के गैर आईएएंडएएस संवर्गों में अधिकारी और कर्मचारी भी काफी योग्य हैं। हमारे पास इन संवर्गों में 40 डॉक्ट्रेट, 3,137 व्यावसायिक रूप से योग्यता प्राप्त कार्मिक, 4,823 स्नातकोत्तर और 22,912 स्नातक हैं।

7.2.2 भर्ती

क्षेत्रीय कार्यालयों में इष्टतम स्टाफिंग पर 2020-21 के दौरान विभाग का ध्यान केन्द्रित करना जारी रहा। सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों, मंडल लेखाकारों, कनिष्ठ हिंदी अनुवादकों, लेखापरीक्षकों, लेखाकारों, स्टेनोग्राफरों के पदों पर सीधी भर्ती करने के लिए कर्मचारी चयन आयोग से की गई मांग को 2020-21 के दौरान उत्प्रेरित किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप ग्रुप 'बी' और 'सी' संवर्ग में कमी का काफी हद तक पता लगाया गया।

- हमने 2020-21 में 1,520 व्यक्तियों की भर्ती की थी। मंडल लेखाकार (600), सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (599), लेखापरीक्षक (200), कनिष्ठ अनुवादक (81) और स्टेनोग्राफर (40) के लिए बड़ी संख्या में भर्ती की गई।
- विशिष्ट आवश्यकता आधार पर सलाहकार नियुक्त किए गए थे, ताकि स्टाफ की कमी, यदि कोई हो, के कारण क्षेत्रीय कार्यालयों में हो रहा कार्य प्रभावित न हो।

¹³ इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए, सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएफई, सीआईए, सीआईएसए आदि।

7.2.3 लिंग संतुलन

नीचे दी गई तालिका विभिन्न संवर्ग में विभाग के लिंगानुपात को दर्शाती है।

श्रेणी	महिलाएं	पुरुष	महिलाओं की प्रतिशतता
आईएएंडएस	171	422	28.84
पर्यवेक्षी संवर्ग एवं लेखापरीक्षा / लेखास्टाफ	6,241	32,420	16.14
बहुविधि कार्य स्टाफ	556	3,308	14.39
कुल	6,968	36,150	16.16

जबकि पर्यवेक्षी संवर्ग और बहुविधि कार्य स्टाफ के मामले में महिलाओं का अनुपात क्रमशः 16.14 और 14.39 प्रतिशत था, यह आईएएंडएस में 28.84 प्रतिशत अधिक था।

7.2.4 स्टाफ एसोसिएशन

हमारे पास लेखापरीक्षा तथा लेखा स्टाफ और पर्यवेक्षी संवर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले 220 स्टाफ संगठन और पांच अखिल भारतीय संघ हैं। संबंधित क्षेत्र स्तरीय सेवा संगठन के साथ प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार द्वारा आवधिक रूप से राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी।

7.3 राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास

7.3.1 प्रकाशन

2020-21 के दौरान, राजभाषा अनुभाग (मुख्यालय) की त्रैमासिक पत्रिका, “लेखापरीक्षा प्रकाश” के चार अंक (131-134) प्रकाशित किये गये। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार राजभाषा के प्रचार से संबंधित सामग्री की गुणवत्ता के साथ-साथ पत्रिका की संरचना पर विशेष ध्यान दिया गया है। 14 सितंबर 2020 को सीएजी द्वारा “लेखापरीक्षा प्रकाश” के 132वें संस्करण का ई-पत्रिका के रूप में उद्घाटन किया गया था। ई-पत्रिका के तीन संस्करण अर्थात् 132, 133, 134 को अब तक प्रकाशित किया जा चुका है। इस पत्रिका के कुछ पिछले संस्करण (128-131) सीएजी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। क्षेत्रीय कार्यालय भी राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए अपनी राजभाषा पत्रिकाएं नियमित रूप से प्रकाशित कर रहे हैं।

7.3.2 राजभाषा कार्यान्वयन

क) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के आदेशों/अनुदेशों के अनुसार सीएजी कार्यालय में राजभाषा की प्रगति की समीक्षा हेतु उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक/अपर उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अध्यक्षता में चार तिमाही बैठकों का आयोजन किया गया। महामारी की स्थिति के कारण, सभी बैठकें ऑनलाइन आयोजित की गईं।

ख) वर्ष 2020-21 के लिए भारत सरकार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार, राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु प्रोत्साहक वातावरण बनाने के लिए तथा सरकारी कामकाज हिन्दी में करने हेतु कर्मचारियों के संकोच कम करने के लिए सीएजी कार्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। 39 अधिकारियों/कर्मचारियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया था।

ग) राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सीएजी कार्यालय में 14 से 28 सितम्बर 2020 तक ‘हिन्दी पखवाड़े’ का आयोजन किया गया। इस अवधि के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे टिप्पण व प्रारूपण, श्रुतलेख, हिंदी में निबंध लेखन आदि का ऑनलाइन आयोजन किया गया। 90 से अधिक कर्मचारियों ने प्रतियोगिताओं में भाग लिया। हिन्दी पखवाड़े का क्षेत्रीय कार्यालयों में भी सफल आयोजन किया गया। इससे राजभाषा के कार्यान्वयन की ओर कर्मचारियों में जागरूकता तथा उत्साहवर्धन में मदद मिली।

घ) केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा एक संसदीय राजभाषा समिति द्वारा की जाती है। वर्ष 2020-21 में संसदीय राजभाषा उप-समिति द्वारा निम्नलिखित कार्यालयों का निरीक्षण किया गया:

- महानिदेशक लेखापरीक्षा, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली
- महानिदेशक लेखापरीक्षा (गृह, शिक्षा और कौशल विकास), नई दिल्ली
- प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (अवसंरचना), नई दिल्ली

ड) राजभाषा अधिनियमों/नियमों आदि के अनुपालन की समीक्षा करने के लिए राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वार्षिक बैठक आयोजित की जाती है। राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा समिति की 42वीं वार्षिक बैठक नवंबर 2020 में आयोजित की गई और इस बैठक में इस कार्यालय का प्रतिनिधित्व प्रधान निदेशक (राजभाषा) ने किया।

च) हमारे कार्यालय की तिमाही प्रगति रिपोर्ट को सीएजी कार्यालय के राजभाषा अनुभाग द्वारा निर्धारित तिथियों के अन्दर प्रत्येक तिमाही में राजभाषा विभाग को ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया था।

7.3.3 क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालय के अनुभागों का निरीक्षण

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा अपने वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, कार्यालय के राजभाषा अनुभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष कम से कम 25 प्रतिशत क्षेत्रीय कार्यालयों और सीएजी कार्यालय में अनुभागों का निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। 2020-21 के दौरान सीएजी कार्यालय के राजभाषा अनुभाग द्वारा 60 क्षेत्रीय कार्यालयों और सीएजी कार्यालय के 15 अनुभागों का निरीक्षण किया गया। सभी चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए निरीक्षण ऑनलाइन आयोजित किए गए थे।

7.3.4 अनुवाद

जैसा कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत अपेक्षित है, निम्नलिखित दस्तावेज का प्रसार से पहले विधिवत हिन्दी में अनुवाद किया गया:

(क) संसद के सदनों के समक्ष रखे जाने वाले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(ख) निष्पादन रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियां, सामान्य आदेश, नियमावली, संविदा, करार और निविदा नोटिस

7.3.5 ई-ऑफिस के माध्यम से राजभाषा का प्रसार

एक डिजिटल प्रारूप में डेटा संग्रहीत रखने और पेपर लेस प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2019 से राजभाषा अनुभाग में हिन्दी में ई-ऑफिस प्रारम्भ किया गया था। इस प्रणाली में सभी आधिकारिक पत्राचार हिन्दी में किए जा रहे हैं और राजभाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सभी दस्तावेज राजभाषा में लिखे जा रहे हैं।

7.3.6 राजभाषा विभाग द्वारा मूल्यांकन (गृह मंत्रालय)

- हिन्दी पत्रिका "लेखापरीक्षा प्रकाश" में हमारे विभाग के एक सेवानिवृत्त अधिकारी द्वारा लिखे गए एक लेख को "गौरव पुरस्कार" के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार, सीएजी कार्यालय के राजभाषा अनुभाग ने स्मृति आधारित अनुवाद उपकरण "कंठस्थ" में 5,000 टीएम (अनुवाद स्मृति) से अधिक जोड़ा, जिसके लिए राजभाषा अनुभाग के दो कर्मियों के नाम सितंबर 2020 में राजभाषा विभाग की प्रशंसा सूची में सूचीबद्ध किए गए थे।

7.3.7 कोविड महामारी के दौरान राजभाषा अनुभाग की कार्य प्रणाली

कोविड-19 महामारी के दौरान, राजभाषा अनुभाग के कार्य को संचालित करने के लिए विभिन्न डिजिटल मोड जैसे कि डिजिटल फाइल प्रणाली, ई-पत्रिका प्रकाशन, ऑनलाइन निरीक्षण, ऑनलाइन त्रैमासिक बैठकों, ऑनलाइन कार्यशाला आदि को सफलता पूर्वक अपनाया गया था। महामारी के दौरान राजभाषा अनुभाग में काम करने के विभिन्न डिजिटल तरीकों को अपनाने से न केवल अनुभाग के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिली, बल्कि राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा अनुभाग की दक्षता और प्रभावशीलता में भी वृद्धि हुई।

7.4 अवसंरचना विकास

देश भर में विभिन्न स्थानों पर भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग कार्मिक के उपयोग के लिए आवासीय इकाईयों के साथ कार्यालय स्थल के संवर्धन हेतु कई भवन परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं जैसा नीचे विवरण दिया गया है:

क. वर्ष के दौरान निम्नलिखित परियोजनाएं पूरी की गई थीं:

ईटानगर-महालेखाकार कार्यालय भवन

ख. निम्नलिखित परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं:

1. शिमला-गोरटन कैसल भवन का पुनरुद्धार कार्य
2. बंगलुरु-एच सिद्धैया रोड पर कार्यालय भवन का निर्माण
3. भुवनेश्वर-केसरीनगर में कार्यालय भवन का निर्माण
4. मुंबई-भांडुप में आवासीय परिसर का निर्माण
5. जयपुर-बजाज नगर में टाइप-III क्वार्टरों का निर्माण
6. रांची-खेल परिसर का निर्माण
7. रांची-कार्यालय भवन का निर्माण

ग. निम्नलिखित परियोजनाएं योजना के चरण में हैं:

1. कोलकाता-उल्टाडांगा में आवासीय परिसर का निर्माण
2. आइजोल-आवासीय परिसर का निर्माण
3. पटना-गर्दानीबाग में कार्यालय एवं आवासीय परिसर का निर्माण
4. अमरावती-कार्यालय एवं आवासीय परिसर का निर्माण
5. इम्फाल-अतिरिक्त क्वार्टरों का निर्माण
6. पुरी-धेनकानाल हाउस का पुनरुद्धार
7. तिरुवनंतपुरम-आवासीय क्वार्टरों का निर्माण
8. शिमला-चैडविक हाउस की मरम्मत, पुनर्वास और सुदृढ़ीकरण
9. गोवा-एनेक्सी भवन का निर्माण।

अध्याय 8

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में क्षमता निर्माण

8.1 प्रस्तावना

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग अपने मजबूत प्रशिक्षण क्षमता के माध्यम द्वारा, व्यवहारिक कौशल तथा विशेषज्ञता के निरन्तर उन्नयन का प्रयास करता है। जो सभी ग्रुप ए, बी एवं सी कार्मिकों के लिए है, प्रशिक्षण कार्यनीति, प्रशिक्षण तथा

ज्ञान सहभाजन प्रदान करने के माध्यम से कार्मिक को अपनी भूमिका के निष्पादन तथा मूल्य निर्माण में सहायता करने तथा मजबूत करने के प्रति उन्मुख है। लक्ष्य **“पेशेवर तथा संस्थागत विकास को बढ़ावा”** देना है।

8.2 भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में क्षमता निर्माण

क्षमता निर्माण में गहन प्रशिक्षण तथा ज्ञान सहभाजन शामिल हैं तथा यह साई भारत के प्रशिक्षण विंग का उत्तरदायित्व है। क्षमता निर्माण के उद्देश्य निम्न हैं:

- कार्य-क्षेत्र ज्ञान सुधारना तथा इसको प्रशिक्षण सामग्री में बदलना

- ज्ञान तथा सूचना सहभाजन
- शिक्षण एवं अध्ययन वातावरण में सुधार
- अध्ययन परिणामों में सुधार

8.3 भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के प्रशिक्षण संस्थान

विभाग की प्रशिक्षण अवसंरचना में तीन केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, 10 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान तथा दो क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र सम्मिलित है।

8.3.1 राष्ट्रीय लेखापरीक्षा एवं लेखा अकादमी, शिमला

राष्ट्रीय लेखापरीक्षा एवं लेखा अकादमी (एनएएए) भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग का उच्चतम प्रशिक्षण संस्थान है जिसे प्रमुख रूप से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए भारतीय





लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा (आईएएंडएएस) के प्रशिक्षु अधिकारियों को आरंभिक प्रशिक्षण देने का अधिदेश दिया गया है। इस आरंभिक प्रशिक्षण में रॉयल लेखापरीक्षा प्राधिकरण, भूटान से दो प्रतिभागी भी उपस्थित हुए।

एनएएए नए रंगरूटों को सक्षम अधिकारियों के संवर्ग में पोषित करने में सुविधा प्रदान करता है, जो लेखापरीक्षण, लेखाकरण, लोक प्रशासन और सुशासन के क्षेत्र में समकालीन सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ अच्छी तरह से पारंगत होते हैं। एनएएए आईएएंडएएस अधिकारियों और अन्य विभागों के अधिकारियों को मध्य-कैरियर और सेवा कालीन प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। एनएएए अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं जैसे भारतीय सिविल लेखा सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, भारतीय रेल लेखा सेवा, भारतीय रेल यातायात सेवा, भारतीय डाक सेवा आदि के लिए विशेष कार्यक्रम चलाता है। 2020 से, एनएएए ने भारतीय सेना के वित्त कार्यों को देखने वाले वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के लिए एक पाठ्यक्रम भी शुरू किया है।

2020-21 के दौरान, एनएएए ने 2018, 2019 और 2020 बैच के आईएएंडएएस अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के विभिन्न चरणों का आयोजन किया है, जिसमें 69 आईएएंडएएस अधिकारी प्रशिक्षुओं और 6 भूटानी अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया था। कोविड-19 लॉकडाउन और प्रतिबंधों के बीच, एनएएए ने 60 आईएएंडएएस अधिकारियों के लिए चार सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए।

8.3.2 अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली तथा लेखापरीक्षा केंद्र (आईसीसा)

नोएडा में आईसीसा मार्च 2002 में स्थापित किया गया था और यह एक आईएसओ 9001:2008 और आईएसओ 27001 प्रमाणित संस्था है, जो वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ आईटी लेखापरीक्षा के प्रशिक्षण और संरेखण में गुणवत्ता प्रणालियों को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। आईसीसा



आईटी लेखापरीक्षा पर इंटोसाई कार्य समूह की एक नामित वैश्विक प्रशिक्षण सुविधा है।

आईसीसा भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अधिदेशित है। इसके अतिरिक्त केंद्र विभिन्न सेवाओं यथा भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा, सशस्त्र सेनाएं, संसदीय सचिवालय तथा केंद्रीय स्वायत्त निकायों के साथ-साथ अन्य साई से वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है।

आईसीसा का अधिदेश सूचना तकनीकी तथा ई-शासन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण तक विस्तारित है। आईसीसा सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा और नियंत्रण संघ (आईएसएसीए) इंडिया चैप्टर, अग्रणी लेखापरीक्षा फर्मों, भारतीय कंप्यूटर आपात कालीन प्रतिक्रिया टीम (सीईआरटी-इन), भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद (डीएससीआई) तथा मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय निदेशालय जैसे संस्थानों तथा एजेंसियों के साथ सहयोग करता है। भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग ने अधिकारियों के लिए सूचना प्रणाली सुरक्षा पर क्षमता निर्माण के लिए एसटीक्यूसी निदेशालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

आईसीसा अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है जो कि चार सप्ताह की अवधि के होते हैं। विदेश मंत्रालय आईटीईसी (भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग) के अन्तर्गत इन कार्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है। इन कार्यक्रमों के व्यापक उद्देश्य हैं:

- भारत सरकार, जो इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वित्त पोषण करती है, तथा अन्य सरकारों के बीच में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाना;
- विभिन्न साई के एक स्थान पर इकट्ठे होने तथा

लेखापरीक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में उनके विचार तथा अनुभवों के सहभाजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच प्रदान करना; और

- विभिन्न साई से सहभागियों को लेखापरीक्षा में समकालीन बेहतर प्रथाओं का विवरण प्राप्त करने तथा उभरती लेखापरीक्षा चिंताओं पर ध्यान केंद्रण का एक अवसर प्रदान करना।

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं से वरिष्ठ तथा मध्य स्तर के अधिकारियों तथा अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, सुदूर पूर्व, मध्य पूर्व, पैसिफिक तथा पूर्व यूरोपीय क्षेत्र जैसे देशों की सरकारों के अधिकारियों ने इन अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है।

आईसीसा द्विपक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत अन्य सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के क्षमता निर्माण में योगदान देता है। केंद्र ने अनेक देशों यथा अफगानिस्तान, भूटान, चिली, इस्वारिनी, इराक, मालदीव, नेपाल, ओमान, युगांडा तथा वियतनाम से सहभागियों के लिए विशिष्ट रूप से निर्मित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रारूप बनाया तथा प्रदान किया है। द्विपक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम साई तथा संबंधित देशों के बीच संबंधों को गहरा बनाने के लिए एक प्रभावकारी साधन है।

आईसीसा ने 2020-21 के दौरान चार ई-आईटीईसी (ऑनलाइन) अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें साई मालदीव और साई एस्वातिनी से प्राप्त अनुरोधों के अनुसार निम्नलिखित विषयों पर 59 अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों ने भाग लिया:

- निष्पादन लेखापरीक्षा (2 बैच)
- अनुपालन लेखापरीक्षा (2 बैच)

अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण के अलावा, आईसीसा ने 13 राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिसमें 244 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया था।

8.3.3 अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय लेखापरीक्षा एवं सतत विकास केंद्र (आईसीईडी)

आईसीईडी की स्थापना जयपुर में मई 2013 में की गई थी। इस बिल्डिंग को एकीकृत आवास मूल्यांकन (जीआरआईएचए) के लिए ग्रीन रेटिंग प्राप्त करने के उद्देश्य से एक ग्रीन बिल्डिंग के रूप में परिकल्पित किया गया था। आईसीईडी को पर्यावरण लेखापरीक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान संगठन (इंटोसाई) के वैश्विक प्रशिक्षण सुविधा के रूप में मान्यता दी गई है। वर्ष 2020-21 के दौरान, आईसीईडी में 278 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए दो अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और दो अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला संचालित किये।



पर्यावरण लेखापरीक्षा के क्षेत्र में 371 अधिकारियों के लिए 13 सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम और 3 सेमिनार भी संचालित किये।

आईसीईडी पर्यावरण लेखापरीक्षा करने के लिए हैंड होल्डिंग सत्र प्रदान करता है, जिसमें यह मानदंड-स्थिति-कारण-निष्कर्ष-अनुशंसा ट्रेल की स्थापना करते हुए मापदंड के चयन करने, लेखापरीक्षा उद्देश्यों की पहचान करने, डेटा के स्रोतों की पहचान करने में और भागीदारी के लिए लेखापरीक्षा दल की सहायता करता है यह सुनिश्चित किया जा सके कि रिपोर्ट व्यापक हैं और बड़ी स्थिति को दर्शाती हैं। आईसीईडी ने अपनी संस्थागत भागीदारी के माध्यम से लेखा परीक्षण में अंतर-अनुशासनात्मक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञता को एक स्थान पर उपलब्ध कराया है।

प्रकाशन

- आईसीईडी ने विभिन्न पर्यावरणीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से जानकारी को मिलाकर एक तिमाही सूचना-पत्र "ग्रीन फाइल्स" जारी किया है, जिसकी भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग में और बाहर भी बहुत सराहना की गई है।
- आईसीईडी ने भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग के अन्दर पर्यावरण लेखापरीक्षा के लिए जोखिम निर्धारण प्रारूप अद्यतित किया है।
- आईसीईडी ने सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को केंद्रीय बजट 2020-21 के साथ जोड़ा है।

8.3.4 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान / केंद्र

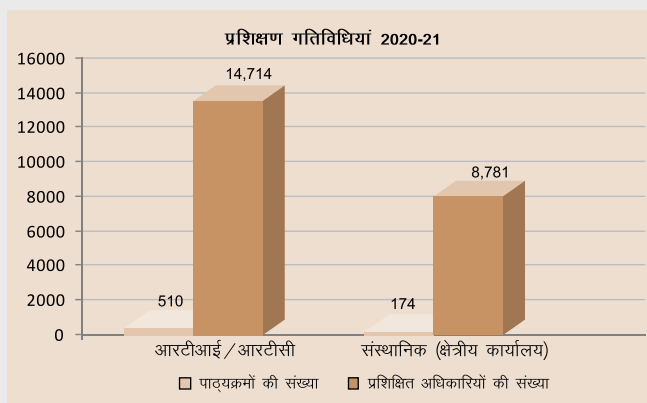
भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के पास भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग के वरिष्ठ लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारियों, ग्रुप बी तथा सी संवर्गों को लेखाओं, लेखापरीक्षा, प्रशासन, प्रबंधन तथा सूचना प्रौद्योगिकी में विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए देश भर में 10 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (आरटीआई) तथा दो क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आरटीसी) हैं।

इलाहाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, मुम्बई, नागपुर, रांची, शिलांग में संस्थान स्थित हैं। दो क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र दिल्ली तथा बेंगलुरु में स्थित हैं।

संस्थानिक प्रशिक्षण: क्षेत्रीय कार्यालय क्षमता निर्माण के लिए कार्यालय की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम अवधि के संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी करते हैं।

8.3.4.1 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान/क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र/संस्थानिक प्रशिक्षणों की प्रशिक्षण गतिविधियां

वर्ष 2020-21 के दौरान, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान/क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र ने 510 पाठ्यक्रमों का आयोजन किया और 14,714 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। 140 कार्यालयों में 174 संस्थानिक पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया और 8,781 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। कोविड-19 महामारी और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी आदेशों के कारण, कई क्षेत्रीय कार्यालय बंद रहे संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करने में असमर्थ थे।



ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों पर आयोजित किए गए थे जैसे कि

- ई प्रशासन की लेखापरीक्षा
- सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) और संविदा प्रबंधन की लेखापरीक्षा
- इपसास
- डाटा विश्लेषिकी
- ओरेकल 11 जी के लिए डेटाबेस व्यवस्थापन (डीबीए)
- साईबर सुरक्षा और धोखाधड़ी
- वस्तु एवं सेवाकर
- आईटी पर्यावरण में लेखापरीक्षा
- सामाजिक क्षेत्र योजनाओं की लेखापरीक्षा
- धोखाधड़ी विरोधी प्रारूप और डिजिटल फोरेंसिक्स और
- सीधे भर्ती किए गए सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के लिए समावेशन प्रशिक्षण

8.3.5 नामित ज्ञान केंद्र

प्रत्येक क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान/क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र को विशेषज्ञता का एक विशिष्ट क्षेत्र सौंपा गया है। क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान/क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र इनको दिए गए विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित ज्ञान केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं। ज्ञान केंद्रों के रूप में, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान/क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र विशेषज्ञता के क्षेत्रों से संबंधित विषयों पर संरचित प्रशिक्षण मॉड्यूल (एसटीएम), वैयक्तिक अध्ययन तथा अन्य प्रशिक्षण सामग्री तैयार करते हैं। वे आवंटित विशेषज्ञता क्षेत्रों में अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करते हैं।

8.4 प्रशिक्षण कार्य प्रणाली तथा प्रक्रियाएं

i. **केंद्रीय प्रशिक्षण सलाहकार समिति (सीटीएसी)** प्रति वर्ष प्रशिक्षण के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए विभाग में सभी प्रशिक्षण गतिविधियों तथा कार्यक्रमों की समीक्षा करती है। केंद्र बिन्दु, गुणवत्ता तथा औचित्य को सुनिश्चित करने के लिए एनएएए, आईसीसा तथा आईसीईडी के प्रशिक्षण कैलेण्डरों की गहराई से समीक्षा की जाती है। सीटीएसी क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों की क्षेत्रीय सलाहकार समिति के कार्य का भी निरीक्षण करती है।

ii. **प्रशिक्षण विश्लेषण की आवश्यकता**, प्रशिक्षण के लिए एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण की ओर पहला कदम है तथा इसे पाठ्यक्रमों के प्रभावकारी रूप-रेखा, कार्यान्वयन तथा प्रशिक्षण के मूल्यांकन के लिए प्रतिवर्ष कार्यान्वित किया जाता है। यह विश्लेषण यह निर्धारित करने में भी सहायता करता है कि कौन से नये या भिन्न-भिन्न कौशल आधुनिकतम चुनौतियों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं।

iii. **संरचित प्रशिक्षण मोड्यूल** का सभी प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण का देने के लिए उपयोग किया जाता है जिसका नियमित रूप से अद्यतन तथा समकक्ष समीक्षा की जाती है। प्रशिक्षण मोड्यूल के लिए विषय-वस्तु अधिकारियों की एक टीम जो विषय-वस्तु विशेषज्ञ होते हैं, के द्वारा विकसित की जाती है।

31 मार्च 2021 तक, 64 एसटीएम विकसित किए गए आईएएस अधिकारियों द्वारा समकक्ष समीक्षा की गई तथा प्रशिक्षण के उद्देश्यों के लिए आरटीआई/आरटीसी को भेजा गया। निम्नलिखित एसटीएम 2020-21 के दौरान विकसित किए गए थे:

- ई-खरीद
- कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरण
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, बैंकों और बीमा कंपनियों की विशेष विशेषताएं।

iv. **वैयक्तिक अध्ययन/शोध पत्रों का विकास:**

वैयक्तिक अध्ययन सशक्त तथा व्यावहारिक परिपक्व शिक्षा विधि है। वैयक्तिक अध्ययन प्रक्रिया एक अध्ययन कक्ष बनाती है जिसमें विद्यार्थी साधारण तौर पर तथ्यों तथा सिद्धांतों को आत्मसात करके ही नहीं सीखते अपितु वास्तविक मामलों में विश्लेषण, संश्लेषण, नेतृत्व तथा दल कार्य के कौशल का उपयोग करके भी सीखते हैं।

वैयक्तिक अध्ययनों की तैयारी पर भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद तथा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद के

सहयोग से एक कार्यशाला की गई थी। सभी आरटीआई/आरटीसी को नवम्बर 2017 में इस पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए थे कि आचार तथा नैतिक मूल्यों, व्यवसाय प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिकीकरण और लैंगिक संवेदीकरण पर वैयक्तिक अध्ययन मोडल वैयक्तिक अध्ययन के साथ-साथ वैयक्तिक अध्ययन का विकास तथा निर्माण कैसे किया जाए। 2020-21 के दौरान निम्नलिखित वैयक्तिक अध्ययन/शोध पत्र विकसित किए गए थे:

- स्वायत्त निकायों में लेखाकरण मानक 10 का उपयोग
- एक स्वायत्त निकाय में अनुदान और आय की अनियमित वित्तीय रिपोर्टिंग
- परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की गतिविधियाँ
- हल्के लड़ाकू विमान के डिजाइन, विकास, निर्माण और प्रेरणा पर निष्पादन लेखापरीक्षा
- हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रबंधन की तैयारी
- सुरक्षा मानकों का पालन न करने से नुकसान
- भूमि आवंटन की भेदभावपूर्ण दरें
- 'ए' एक लंबी दूरी का समुद्री टोही पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान के प्रेरण और उपयोग पर समीक्षा
- डेटा विश्लेषण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर शोध पत्र/परियोजना-ई-खरीद की लेखापरीक्षा
- हॉस्टल प्रबंधन प्रणाली पर शोध पत्र/परियोजना

8.5 निष्पादन मॉनीटरिंग फ्रेमवर्क

आरटीआई को रोडमैप के अनुसार अपनी अवसंरचना के आधुनिकीकरण तथा अद्यतित करने के लिए काफी संसाधन आवंटित किए गए थे। अद्यतन के लिए अपेक्षित है कि उचित मॉनीटरिंग प्रणाली स्थापित हो। ऐसा करने के लिए, आरटीआई हेतु मात्रात्मक मानदण्ड के साथ एक निष्पादन मॉनीटरिंग फ्रेमवर्क (पीएमएफ) की रूपरेखा तैयार की गई थी और 2015-16 में शुरू की गई थी। पीएमएफ ज्ञान केंद्रों के रूप में प्रभावी रूप से प्रशिक्षण देने के साथ-साथ कार्य करने के

लिए गुणवत्ता अधिगम पर्यावरण तथा अनिवार्य सुविधाओं को सुनिश्चित करते हुए आरटीआईज आन्तरिक प्रक्रियाओं को पणधारकों की अपेक्षाओं से जोड़कर उत्कृष्टता को आन्तरिक और संस्थागत बनाने की परिकल्पना की गई है। आरटीआई तथा इसके उपयोगकर्ता कार्यालयों द्वारा आवंटित स्कोर की पुष्टि आरटीआई के प्रत्यक्ष निरीक्षण करके की जाती है। हालांकि, पीएमएफ अभ्यास को कोविड महामारी के कारण वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए शुरू नहीं किया जा सका।

8.6 प्रतिष्ठित संस्थाओं में आईएएंडएएस अधिकारियों के लिए कैरियर माइलस्टोन प्रशिक्षण

ग्रुप 'ए' अधिकारियों के लिए मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमसीटीपी) को मई 2016 में जारी किए गए डीओपीटी आदेशों के अनुसार संशोधित किया गया था। वर्तमान में इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- i) 7-9 वर्षों की सेवा वाले आईएएंडएएस अधिकारियों के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलुरु में कार्यकारी विकास कार्यक्रम ताकि सार्वजनिक नीति तथा वित्तीय मुद्दों की जानकारी को बढ़ाया जा सके, विश्लेषणात्मक साधनों तथा प्रबंधन सूझबूझ को सुदृढ़ किया जा सके।
- ii) 14-16 वर्षों की सेवा वाले आईएएंडएएस अधिकारियों के लिए रिचर्ड एंड रोडा गोल्डमैन स्कूल ऑफ पब्लिक पालिसी, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले तथा भारतीय प्रबंधन

संस्थान, अहमदाबाद में, प्रबंधन विकास कार्यक्रम ताकि अवसरों का तथा तकनीकी इनपुटों के विस्तार, विश्लेषणात्मक साधन, प्रबंधन कुशलता तथा अंतर्व्यक्तिक कौशलों को सुदृढ़ किया जा सके।

- iii) 26-28 वर्षों की सेवा वाले आईएएंडएएस अधिकारियों के लिए इंडिया स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद में विकसित प्रबंधन विकास कार्यक्रम ताकि वरिष्ठ प्रबंधकों के द्वारा सामना किए जा रहे बहु-आयामी मुद्दों, जिसमें, नीति विकास, निष्पादन प्रबंधन, संगठनात्मक रूपरेखा, मध्यस्थता वार्ता और नेतृत्व सम्मिलित हैं, के अवसरों का विस्तार किया जा सके।

तथापि, कोविड महामारी के कारण 2020-21 के दौरान एमसीटीपी का आयोजन नहीं किया गया था।

8.7 2020-21 में प्रशिक्षण विंग की विशेष उपलब्धियाँ

क्षमता निर्माण प्रशिक्षण विंग की मुख्य गतिविधि रही है और 2020-21 के दौरान निम्नलिखित माइलस्टोन को प्राप्त किया गया:

- प्रविष्टि संवर्ग जैसे मंडल लेखाकार, लेखापरीक्षक, लेखाकार, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, आशुलिपिक ग्रेड II, डीईओ-ग्रेड ए और लिपिक के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए।
- अगले संवर्ग में पदोन्नति अर्थात् सहायक लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी से वरिष्ठ लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी बनाने और वरिष्ठ लेखाकार/वरिष्ठ लेखापरीक्षक से सहायक पर्यवेक्षक बनाने के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए।
- विभागीय रूप से पदोन्नत किए गए सहायक लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारियों को समावेशन प्रशिक्षण

प्रदान करने के लिए छह सप्ताह का प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया।

- आईसीईडी/आईसीसा और सीईडीएआर के लिए शिक्षाविद/विशेषज्ञ/अनुसंधान सहयोगियों को हायर करने की योजना को लागू किया गया।
- साई प्रशिक्षण एप्लीकेशन को आरटीसी बंगलुरु में तकनीकी टीम द्वारा तैयार और विकसित किया गया था। इस एप्लीकेशन को भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में संपूर्ण प्रशिक्षण प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए बनाया गया है, जिसमें कार्यालयों के साथ प्रशिक्षण कैलेंडर को साझा करने से शुरू होकर विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए कर्मचारियों को नामित करना, प्रत्येक कार्यप्रणाली के लिए पाठ्यक्रम अनुसूची बनाना और इसको प्रतिभागियों के लिए उपलब्ध कराना तथा अंत में फीडबैक और पाठ्यक्रम का समापन शामिल है।

8.8 वरिष्ठ लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारियों/सहायक-लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारियों के लिए बाह्य प्रशिक्षण

2020-21 के दौरान, प्रशिक्षण विंग ने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आठ ऑनलाइन प्रशिक्षणों का आयोजन किया तथा 182 अधिकारियों (वरिष्ठ लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारियों/सहायक लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारियों) को प्रशिक्षित किया। ये प्रशिक्षण 'वित्तीय प्रबंधन', 'एंटी-फ्राड और

फोरेसिक लेखापरीक्षा', 'प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का विश्लेषण', 'प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण' और 'तनाव और चिंता प्रबंधन' विषयों पर आयोजित किए गए। प्रशिक्षण डिजीजन के निकट समन्वय में और हमारी आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं।

अध्याय 9

हमारी अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी
और योगदान

साई इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में लेखापरीक्षण मानकों, मार्गदर्शन और पद्धतियों के विकास का मुख्य भागीदार और प्रमुख सहयोगी है। मुख्यालय का अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभाग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की लेखापरीक्षा और अंतर्राष्ट्रीय निकायों तथा अन्य साई के साथ संपर्क हेतु उत्तरदायी है, जैसाकि नीचे विवरण दिया गया है:

क. सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीय संगठन (इंटोसाई)

ख. सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं का एशियाई संगठन (असोसाई)

ग. अन्य साई के साथ द्विपक्षीय संबंध

घ. विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय निकाय/फोरम

9.1 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की लेखापरीक्षा

9.1.1 संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षक बोर्ड

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, जुलाई 2014 से जून 2020 तक के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षक बोर्ड (यूएनबीओए) का एक सदस्य थे। हमारी अवधि 30 जून 2020 को समाप्त हो गई थी। 1 जुलाई 2020 से साई चीन नया सदस्य बन गया। जर्मनी और चिली बोर्ड के अन्य सदस्य हैं। बोर्ड के तीन सदस्यों के बीच कार्य आवंटन के अनुसार, साई इंडिया निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र (यूएन) संगठनों/कार्यों के संबंध में मुख्य लेखापरीक्षक था:

- यूएन सचिवालय (खंड I)
- यूनिसेफ (संयुक्त राष्ट्र बाल निधि)
- यूएनओपीएस (परियोजना सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय)

iv. यूएनसीसी (संयुक्त राष्ट्र क्षतिपूर्ति आयोग)

v. आईटीसी (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र)

vi. यूएमओजेए (यूएन की ईआरपी प्रणाली)

vii. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कार्यनीति (आईसीटी)

उपरोक्त के अलावा, साई इंडिया के इसके लेखापरीक्षा पोर्टफोलियों के अंतर्गत निम्नलिखित छः शांति स्थापना ऑपरेशन (पीकेओ) मिशन थे, जहां साई जर्मनी मुख्य लेखापरीक्षक था।

- एमआईएनयूएसटीएच (हैती में संयुक्त राष्ट्र स्थिरीकरण मिशन)
- यूएनआईएफआईएल (लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अन्तरिम बल)

- iii. यूएनएमआईके (कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र अन्तरिम प्रशासन मिशन)
- iv. यूएनडीओएफ (संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षक बल)
- v. यूएनएफआईसीवाईपी (साईप्रस में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना बल)
- vi. एमआईएनयूआरएसओ (पश्चिमी सहारा में जनमत संग्रह के लिए संयुक्त राष्ट्र मिशन)

9.1.2 विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को दिसम्बर 2020 को समाप्त वित्तीय अवधि से शुरू होने वाली 2020-23 की अवधि के लिए डब्ल्यूएचओ तथा इसके पाँच गैर-समेकित आतिथेय सत्त्वों के बाह्य लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। डब्ल्यूएचओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य से संबंधित है और इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विटजरलैंड में है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के अंतर्गत पाँच गैर-समेकित सत्त्वों सहित छह संगठन इस प्रकार हैं:

- i. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)
- ii. कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा (एसएचआई)
- iii. अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी (आईएआरसी)
- iv. एचआईवी/एड्स पर सामूहिक संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम (यूएनएआईडीएस)
- v. अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटिंग केंद्र (आईसीसी) और
- vi. यूएनआईटीएआईडी (वैश्विक स्वास्थ्य पहल जो प्रमुख रोगों की रोकथाम, निदान और उपचार के संबंध में नवाचार लाने के लिए भागीदारों के साथ काम करती है)

डब्ल्यूएचओ मुख्यालय, इसके क्षेत्रीय/देश के कार्यालयों तथा इसके गैर-समेकित सत्त्वों की वित्तीय, निष्पादन और अनुपालन लेखापरीक्षा करने के लिए छः लेखापरीक्षा दलों को तैनात किया गया था। ये लेखापरीक्षाएं अक्टूबर/नवम्बर 2020 के बाद एक असंबद्ध तरीके में प्रारंभ हुईं और मार्च 2021 में समाप्त हुईं।

9.1.3 खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को दिसम्बर 2020 में वित्तीय अवधि से शुरू होने वाली 2020-2025 की अवधि के लिए एफएओ के बाह्य लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। एफएओ, यूएन की एक विशेष एजेंसी है जो भूख को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है और इसका मुख्यालय रोम, इटली में है।

एफएओ मुख्यालय और इसके क्षेत्रीय/देश के कार्यालयों की वित्तीय, निष्पादन और अनुपालन लेखापरीक्षा करने के लिए पाँच लेखापरीक्षा दलों को तैनात किया गया था। ये लेखापरीक्षाएं अक्टूबर/नवम्बर 2020 के बाद असंबद्ध तरीके में प्रारंभ हुईं और जून 2021 में समाप्त हुईं।

9.1.4 इंटर-पार्लियामेंटरी यूनियन (आईपीयू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को दिसम्बर 2020 में समाप्त वित्तीय अवधि से शुरू होने वाली 2020 से 2022 तक तीन वर्षों के लिए आईपीयू के बाह्य लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। आईपीयू नेशनल पार्लियामेंट का वैश्विक संगठन है। यह संसदों तथा सांसदों को शांति, लोकतंत्र और संधारणीय विकास को प्रोन्नत करने की शक्ति देता है। आईपीयू की लेखापरीक्षा के लिए एक लेखापरीक्षा दल की तैनाती की गयी। लेखापरीक्षा फरवरी 2021 में एक असम्बद्ध तरीके में की गयी।

9.2 साई इंडिया की सक्रिय भागीदारी से जुड़ी प्रमुख घटनाएं

9.2.1 यूएनबीओए की बैठकें

बोर्ड के अन्य सदस्यों के साथ श्री राजीव महर्षि, तत्कालीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, श्री केय स्केलर, जर्मन फेडरल कोर्ट ऑफ आडिटर्स के अध्यक्ष और श्री जोर्ज बर्मुडेज सोटो, चिली गणराज्य के भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कोविड-19 महामारी के कारण 21 जुलाई 2020 को वर्चुअली आयोजित सत्र में वित्तीय वर्ष 2019 के लिए 25 यूएन लेखापरीक्षा रिपोर्टों को अनुमोदित किया। रिपोर्टों में संयुक्त राष्ट्र के महत्वपूर्ण निकाय शामिल थे, उदाहरणार्थ: यूनिसेफ, यूएनडीपी, यूएनएचसीआर, यूएन-वुमेन, यूएनओपीएस, यूएमओजेए (यूएन ईआरपी सिस्टम), आईसीटी

(यूएन-सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कार्यनीति) यूएनजेएसपीएफ और अन्य के साथ यूएन मुख्यालय खंड। इन सभी रिपोर्टों को संयुक्त राष्ट्र महासभा और अन्य शासी निकायों को प्रस्तुत किया गया है।

9.2.2 बाह्य लेखापरीक्षकों का यूएन पैनल

श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, वर्ष 2020 के लिए बाह्य लेखापरीक्षकों के यूएन पैनल के अध्यक्ष के पद पर रहे और वर्ष 2021 के लिए उन्हें यूएन पैनल के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया। पैनल में यूएनबीओए के सदस्य और यूएन की विशेष एजेंसियों और

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बाह्य लेखापरीक्षक शामिल हैं। पैनल का मुख्य उद्देश्य लेखापरीक्षाओं के समन्वय को आगे बढ़ाना है, जिसके लिए इसके सदस्य जिम्मेदार हैं, और लेखापरीक्षा पद्धति और निष्कर्षों पर जानकारी का आदान-प्रदान करना है।

योजनाबद्ध कार्यक्रम के अनुसार, यूएन पैनल के तकनीकी समूह और सत्र की बैठक मूल रूप से क्रमशः 25 से 27 नवम्बर, 30 नवम्बर तथा 1 दिसम्बर 2020 को पेरिस में आयोजित की जानी थी। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इसे स्थगित किया गया था। तथापि, तकनीकी समूह की एक वर्चुअल बैठक 27 नवम्बर 2020 को आयोजित की गई थी।

बाह्य लेखापरीक्षकों के यूएन पैनल के अध्यक्ष के रूप में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की

लेखापरीक्षा के क्षेत्र में मानकों, बेहतरीन कार्यप्रणाली और निर्देशन को कार्यान्वित करने में अपनी गतिविधियों के साथ सघनता से सम्बद्ध हैं। पैनल में एक महत्वपूर्ण भूमिका के माध्यम से साई इंडिया ने यह सुनिश्चित करना जारी रखा कि हमारे लेखापरीक्षा कार्य द्वारा हमारे क्लाइंट संगठनों के प्रबंधन की उपयोगिता को बढ़ाया गया है, जो उनकी वर्धित दक्षता और प्रभावकारिता में योगदान देकर किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि सूचित वित्तीय जानकारी यूएन तथा इसकी विशेष एजेंसियों द्वारा लिए गए वित्तीय निर्णयों के लिए एक पारदर्शी और सटीक आधार प्रदान करती है, पैनल का उच्च गुणवत्ता वाले लेखापरीक्षा आश्वासन को प्रदान करने का समर्थन करने के लिए एक विशिष्ट मंच के रूप में नेतृत्व किया है।

9.3 इंटोसाई

इंटोसाई बाह्य सरकारी लेखापरीक्षा समुदाय के लिए एक मुख्य संगठन के रूप में कार्य करता है। एमिलियो फर्नान्डेज केम्यूज, साई क्यूबा, के तत्कालीन राष्ट्रपति की पहल से, 1953 में संस्थापित हुई, इंटोसाई के 195 पूर्ण सदस्य तथा पांच सहयोगी सदस्य तथा एक संबंधित सदस्य है। इसने ज्ञान के विकास तथा अन्तरण को बढ़ाने, पूरे विश्व में सरकारी लेखापरीक्षण में सुधार करने तथा साई सदस्यों की उनके संबंधित देशों में व्यावसायिक क्षमता, प्रतिष्ठा तथा प्रभाव बढ़ाने के लिए साई हेतु एक संस्थागत ढांचा प्रदान किया है। इंटोसाई एक स्वायत्त, स्वतंत्र और गैर-राजनीतिक संगठन है। यह यूएन की आर्थिक तथा सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) के साथ विशेष परामर्शी प्रास्थिति वाला एक गैर-सरकारी संगठन है। इंटोसाई का सिद्धांत 'परस्पर अनुभव, सबका लाभ' है।

इंटोसाई की चार प्रमुख समितियां हैं जो इसकी चार नीतिगत लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम हैं। ये समितियां हैं:

1. व्यावसायिक मानक समिति (पीएससी)
2. क्षमता निर्माण समिति (सीबीसी)
3. ज्ञान सहभाजन तथा ज्ञान सेवा समिति (केएससी)
4. नीति, वित्त तथा प्रशासन समिति (पीएफसी)

9.3.1 इंटोसाई के साथ भागीदारी

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ज्ञान सहभाजन तथा ज्ञान सेवा-लक्ष्य 3 (केएससी) पर इंटोसाई समिति और इसकी संचालन समिति के अध्यक्ष है। इसके परिणामस्वरूप, भारत के

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक इंटोसाई के शासी बोर्ड के सदस्य भी हैं। केएससी के अंतर्गत बारह कार्यकारी समूह हैं। कार्यकारी समूह को विशेष क्षेत्रों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन और उत्तम पद्धतियों को तैयार करने के लिए गठित किया गया है। केएससी मुख्य समिति के 125 सदस्य और 2 पर्यवेक्षक हैं। केएससी संचालन समिति में केएससी के अंतर्गत सभी कार्यकारी समूह और परियोजना समूह के अध्यक्ष तथा पीएससी और सीबीसी के अध्यक्ष शामिल होते हैं। संचालन समिति में 5 पर्यवेक्षक हैं यथा इंटोसाई महासचिवालय, इंटोसाई विकास पहल (आईडीआई), सरकारी लेखापरीक्षण इंटोसाई जर्नल (आईजेजीए), इंटोसाई व्यावसायिक घोषणा के लिए मंच (एफआईपीपी) के अध्यक्ष और मलेशिया के साई।

- एफआईपीपी इंटोसाई की व्यावसायिक घोषणा की सामग्री और गुणवत्ता अर्थात् व्यावसायिक घोषणा के इंटोसाई फ्रेमवर्क के लिए जिम्मेदार है। साई इंडिया को इस मंच के सदस्य के रूप में नामांकित किया गया है और आईएफपीपी की सामग्री प्रदान करने और अनुरक्षित करने में इस मंच के साथ सक्रिय रूप से संलग्न है।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक आईटी लेखापरीक्षा पर इंटोसाई कार्यकारी समूह (डब्ल्यूजीआईटीए) के अध्यक्ष हैं। आईटी लेखापरीक्षा के क्षेत्र में साई के हितों को पूरा करने के लिए समूह को 1989 में सृजित किया गया था। डब्ल्यूजीआईटीए का लक्ष्य सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग और लेखापरीक्षा में साई के ज्ञान और कौशल के विकास में साई की सहायता करना है। वर्तमान में, डब्ल्यूजीआईटीए में साई इंडिया सहित 53 सदस्य और पांच पर्यवेक्षक हैं।

- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने लक्ष्य 1 के तहत इंटोसाई की अनुपालन लेखापरीक्षा उपसमिति की अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी भी संभाल ली है। इस उपसमिति की स्थापना 2004 में की गई थी, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र में अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए उच्च गुणवत्ता, विश्व स्तर पर स्वीकार्य मानकों और दिशा-निर्देशों का विकास और प्रसार करना था।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक विभिन्न इंटोसाई समितियों/उपसमितियों/कार्यसमूहों/कार्य बलों के सदस्य हैं।
- **ज्ञान साझा करने का मंच-इंटोसाई** समुदाय में निरंतर संपर्क को सुगम बनाने के लिए, केएससी अध्यक्ष के रूप में, साई इंडिया ने एक इंटोसाई कम्युनिटी पोर्टल विकसित किया है। पोर्टल में पद्धति की सामान्यता, ब्लॉग, चैट, पुस्तकालय, विडियो कांफ्रेंसिंग, चुनाव/सर्वेक्षण आदि जैसी सुविधाएँ हैं ताकि सदस्य साई के मध्य विचारों के बेहतर आदान-प्रदान और साझा करने में समर्थ बनाया जा सके। इंटोसाई कम्युनिटी पोर्टल को केएससी और इसके 12 कार्यकारी समूहों की वेबसाइट को समेकित करने के लिए पुनर्निर्मित किया गया है, जिससे यह एक ही स्थान पर सूचना प्राप्त करने का केंद्र और इंटोसाई के लिए जानकारी का केंद्र बन गया है। इसके अतिरिक्त, पोर्टल पर साई के प्रमुख के संदेश, समाचार और कैलेंडर पर अलग-अलग खंड भी दिए गए हैं, जिन्हें नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। पोर्टल वर्तमान में अभ्यास तथा ज्ञान केंद्रों के लगभग 18 सक्रिय समुदायों की मेजबानी करता है, जिसमें साई के क्षेत्रीय स्तर के लेखापरीक्षकों की सहायता के लिए अच्छी पद्धतियों की सामग्री सहित इंटोसाई में विकसित विभिन्न उत्पाद शामिल हैं। केएससी का उद्देश्य इस पोर्टल को नियमित पारस्परिक विचार-विमर्श और चर्चा का एक मंच बनाना है। पोर्टल को www.intosaicommunity.net अथवा www.intosaiportal.org पर एक्सेस किया जा सकता है।
- **ज्ञान संवर्धन-भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने ज्ञान संवर्धन का कार्य जारी रखा है।** केएससी ने पहले ही आईएफपीपी में पाँच घोषणाएं की हैं यथा क्षेत्राधिकार साई पर इंटोसाई पी-50, सूचना प्रणाली की लेखापरीक्षा पर निर्देशन (जीयूआईडी), आईटी लेखापरीक्षा पर जीयूआईडी, मुख्य राष्ट्रीय सूचक की लेखापरीक्षा पर जीयूआईडी और लोक ऋण लेखापरीक्षण पर जीयूआईडी और आपदा प्रबंधन लेखापरीक्षण पर जीयूआईडी। चार और घोषणाएं जिसमें निजीकरण लेखापरीक्षण पर जीयूआईडी, सार्वजनिक निजी भागीदारी लेखापरीक्षण, सार्वजनिक अधिप्राप्ति लेखापरीक्षा और सूचना प्रणाली सुरक्षा लेखापरीक्षा शामिल हैं, कार्यान्वयन अधीन हैं। इन दस्तावेजों के अतिरिक्त, केएससी आईएफपीपी तंत्र के

बाहर भी निर्देशन/शोध पत्र प्रकाशित करता है। 2019 में सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं की 23वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस (इंकोसाई) में विभिन्न लेखापरीक्षा क्षेत्रों, पर्यावरणीय लेखापरीक्षा, आईटी लेखापरीक्षा, साई और निष्कर्षण उद्योग के महत्व एवं लाभ पर 15 ऐसे निर्देशन/शोध पत्रों का अनुमोदन किया गया। पर्यावरणीय लेखापरीक्षा, आईटी लेखापरीक्षा, बिग डेटा और लोक ऋण पर 12 और निर्देशन एवं शोध सामग्री की प्रक्रिया चल रही है।

- **अनुसंधान परियोजनाएं-भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, केएससी अध्यक्ष के रूप में सार्वजनिक लेखापरीक्षा में आंतरिक और बाह्य अनुसंधान परियोजनाओं को प्रोत्साहित करते हैं।** केएससी इंटोसाई समुदाय के पारस्परिक हित के विषयों पर क्रॉस कटिंग अनुसंधान परियोजनाएं आयोजित करते हैं। 23वीं इंकोसाई में “सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के लिए आपदा तत्परता” पर शोध पत्र अनुमोदित किया गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने इस प्रथा को जारी रखा है और वर्तमान कार्य योजना के अंतर्गत, “साई की स्वतंत्रता” और “लेखापरीक्षा परिणामों का लेखापरीक्षा संसूचन और रिपोर्टिंग” पर दो शोध पत्र प्रक्रियाधीन हैं।

9.3.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सक्रिय भागीदारी से जुड़े प्रमुख इंटोसाई कार्यक्रम

9.3.2.1 इंटोसाई डब्ल्यूजीआईटीए की 29वीं सभा-16 अक्टूबर 2020 एवं 4 नवंबर 2020

मौजूदा कोविड-19 महामारी के कारण, इंटोसाई डब्ल्यूजीआईटीए की 29वीं सभा को आईटी लेखापरीक्षा से संबंधित मुद्दों पर साई सदस्य द्वारा वस्तुतः एक वेबिनार, जो 16 अक्टूबर 2020 को आयोजित किया गया था, के रूप में देश के दस्तावेज प्रस्तुत करने तक सीमित कर दिया गया था। इस सभा बैठक का हिस्सा होने के तहत साई हंगरी ने भी 4 नवंबर 2020 को “डिजिटल जागरूकता को मजबूत करने-आईटी लेखापरीक्षा-लेखापरीक्षा मार्गदर्शन सीखना” पर एक वेबिनार आयोजित किया था। डब्ल्यूजीआईटीए के अध्यक्ष के रूप में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने दोनों कार्यक्रमों का उद्घाटन किया।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने आईटी लेखापरीक्षा के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में डब्ल्यूजीआईटीए द्वारा किए गए कार्यों और भारत में प्रौद्योगिकी और डिजिटल रूप से संचालित शासन और सेवा प्रदान करने के रूप में किए गए कार्यों को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करते हुए पणधारकों के लिए प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए सार्वजनिक लेखापरीक्षक को लगातार कुशल बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

छः साई ने 16 अक्टूबर 2020 को अपने देश के दस्तावेज प्रस्तुत किए और छः साई ने 4 नवंबर 2020 को वेबिनार में अपने अनुभव प्रस्तुत किए।

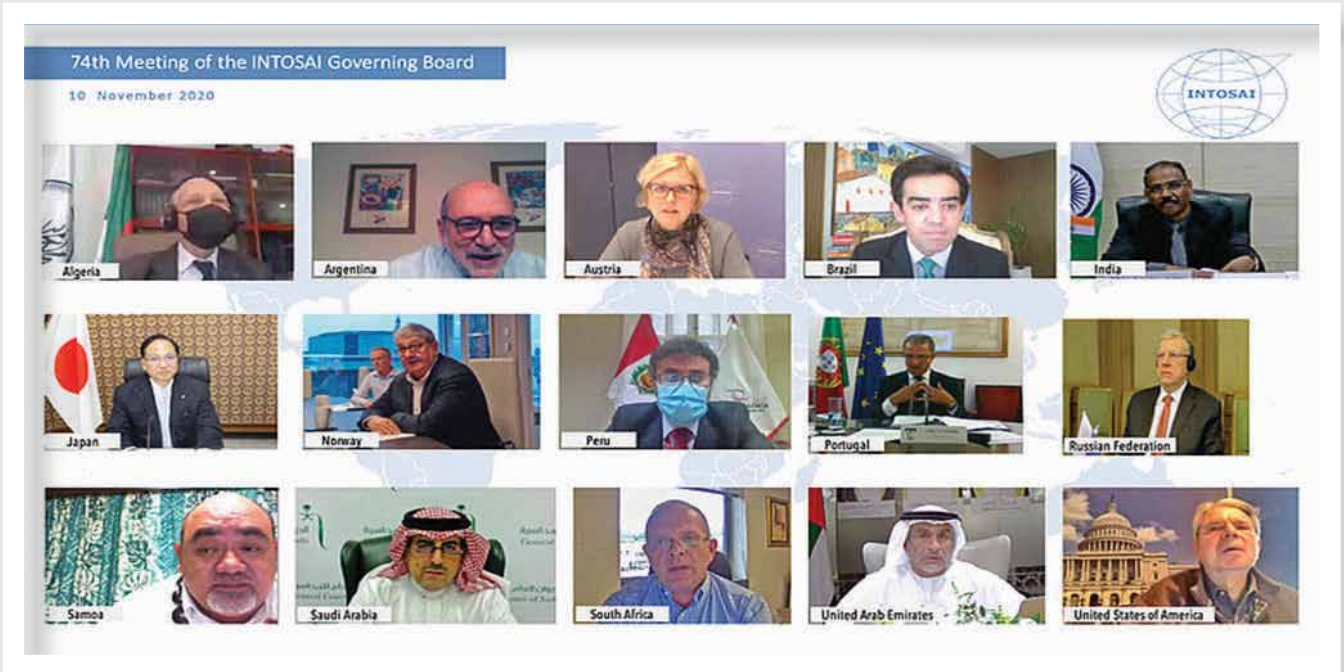


भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक 16 अक्टूबर 2020 को डब्ल्यूजीआईटीए वेबिनार के लिए उद्घाटन भाषण देते हुए।

9.3.2.2 इंटोसाई शासी बोर्ड की 74वीं बैठक-10 नवंबर 2020

10 नवंबर 2020 को इंटोसाई शासी बोर्ड की 74वीं बैठक के अवसर पर साई के 33 प्रतिनिधि मंडलों ने वर्चुअल मुलाकात की। इस बैठक की अध्यक्षता रूसी संघ के साई ने की और संचालन बैठक के मेजबान, इंटोसाई के महासचिवालय द्वारा किया गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने, इंटोसाई केएससी के गोल अध्यक्ष के रूप में, केएससी की आठ प्रमुख रणनीतियों और इंटोसाई की पांच क्रॉस कटिंग प्राथमिकताओं के तहत केएससी और इसके 12 कार्यदलों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जैसा कि इंटोसाई रणनीतिक योजना 2017-22 में परिभाषित किया गया है। उन्होंने शासी बोर्ड को सूचित किया कि कोविड-19 महामारी के बावजूद, केएससी कार्यकारी समूह ऑनलाइन माध्यमों और सोशल मीडिया

प्लेटफार्मों को अपनाकर अपनी ज्ञान प्रसार गतिविधियों को जारी रखे हुए हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस संबंध में इंटोसाई सामुदायिक पोर्टल <https://www.intosaicommunity.net/> की सुविधाएं उपयोगी साबित हुई। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने समावेशिता के पहलू पर भी प्रकाश डाला। केएससी अध्यक्ष के रूप में, ज्ञान साझा करने और सहयोगात्मक गतिविधियों में साई की भागीदारी बढ़ाने के लिए साई इंडिया द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से बताते हुए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने इस बात पर बल देते हुए कहा कि सफलता का कारक न केवल इस बात में निहित है कि साई को कैसे लाभ हुआ, बल्कि इस तथ्य से भी कि उनमें से कितनों लोगों को केएससी और इसके कार्यकारी समूहों के कार्य से लाभ हुआ।



शासी बोर्ड ने कोविड-19 महामारी के दौरान एवं उसके आगे के लिए इंटोसाई के परिचालन की सुरक्षा के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लिए। ये निम्नलिखित हैं:

- ब्राजील के साई द्वारा आयोजित किए जाने वाले 24वें इंटोसाई के निम्नलिखित विषयों का अनुमोदन:
 - विषय I - "सार्वजनिक आपदाओं के संदर्भ में सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों का कार्य" और
 - विषय II - "वैश्विक विचार, वैश्विक परिणाम, दूरगामी प्रभाव"
- विषय-I के अध्यक्ष के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के साई और विषय-II के अध्यक्ष के रूप में ब्राजील के साई का अनुमोदन
- रूसी संघ के साई द्वारा आयोजित इंटोसाई डिजीटल यूनिवर्सिटी (यू-इंटोसाई) के निर्माण पर ध्यान देना
- इंटोसाई के परिचालन की निरंतरता के संबंध में उभरते मुद्दों पर पर्यवेक्षी समिति (एससीईआई) की सिफारिशों पर विचार करना
- कोविड-19 महामारी के कारण जिन प्रक्रियाओं को बदलना पड़ा, उनकी पुष्टि करने के लिए शासी बोर्ड की बैठकों के लिए इंटोसाई हैंडबुक के संशोधनों को अनुमोदन
- आईएसएसआई 200 और 2000 और जीयूआईडी 4900, 5250, 5330 के पुष्टि संस्करणों का अनुमोदन
- एफआईपीपी के सदस्य के रूप में ट्यूनीशिया के साई से सुश्री आइचा बेनबेलहासेन की नियुक्ति का अनुमोदन
- विभिन्न सीबीसी उत्पादों के साथ अनियमित मार्गदर्शक "भविष्य-प्रासंगिक मूल्य-वर्धन लेखापरीक्षक" पर ध्यान देना
- भ्रष्टाचार और धन शोधन के विरुद्ध संघर्ष पर कार्यकारी समूह द्वारा निर्मित लोक धन के सामाजिक नियंत्रण के लिए मानकों के दिशानिर्देशों का अनुमोदन
- यूई के साई के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ दल का अनुमोदन जिसमें साई और ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी) के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- इंटोसाई की ओर से यूएनओडीसी के साथ यूई के साई के निरंतर सहयोग का अनुमोदन
- भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए राज्य दलों के 8वें सम्मेलन के अबू धाबी घोषणा 2019 पर ध्यान देना

9.3.2.3 इंटोसाई अनुपालन लेखापरीक्षा उपसमिति (सीएएस) की 17वीं बैठक-23 नवंबर 2020

इंटोसाई सीएएस की 17वीं बैठक 23 नवंबर 2020 को वर्चुअली आयोजित की गई। अंग्रेजी बोलने वाले सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के अफ्रीकी संगठन और इंटोसाई विकास पहल (एफरोसाई-ई और आईडीआई) के अलावा, 17 साई के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में भाग लिया। वर्तमान महामारी की स्थिति के कारण, जिसने नियोजित लेखापरीक्षा कार्यक्रमों को बाधित किया है और साई के लेखापरीक्षा अधिदेश के अनुपालन में चुनौतियां खड़ी की हैं, यह निर्णय लिया गया कि सीएएस सदस्यों द्वारा इस चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करने और उनकी सरकारों द्वारा कोविड-19 पहलों की लेखापरीक्षा के संबंध में अपनाए जा रहे दृष्टिकोण से संबंधित अनुभवों को साझा करने को सरल बनाने के लिए वार्षिक सीएएस की वर्चुअल बैठक आयोजित की जाएगी। इस आशय के लिए, वर्चुअल बैठक का विषय 'कोविड-19 के प्रयासों की लेखापरीक्षा-एक अनुपालन लेखापरीक्षा परिप्रेक्ष्य' था।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने सीएएस के अध्यक्ष के रूप में प्रतिभागियों का स्वागत किया और अपनी आरंभिक टिप्पणियां दीं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कहा कि साई को अप्रत्याशित स्वास्थ्य आपातकाल के कारण नए सुपुर्दगी मॉडल और लेखापरीक्षा उत्पादों की पहचान करनी

होगी और जिस तरह से लेखापरीक्षा की योजना बनाई जाती है, आयोजित की पहचान करनी होगी और परिणामों की सूचना दी जाती है, उसका पुर्ननिर्धारण करना होगा। इसलिए, उन्होंने महसूस किया कि सीएएस के सदस्यों के बीच लॉकडाउन में पिछले कई महीनों के दौरान किए गए कार्य और गतिविधि और कार्य परिवेश की बाधाओं, और पणधारकों के साथ जुड़ने के दौरान सीखे गए सबक के अनुभवों को साझा करने की आवश्यकता थी।

सुश्री वाणी श्रीराम अपर उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और सीएएस की कार्यवाहक अध्यक्ष ने सीएएस प्रतिनिधियों को 2019 में सीएएस की पिछली बैठक के बाद से उपसमिति की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। इस बैठक में अजरबैजान, ब्राजील, यूरोपीय कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स, भारत, नॉर्वे और रोमानिया के साई द्वारा बैठक के विषय पर विस्तृत प्रस्तुतियां दी गईं। आईडीआई ने पारदर्शिता, जवाबदेही और कोविड-19 (टीएआई लेखापरीक्षा) के लिए आपातक निधि के उपयोग की समावेशीता की लेखापरीक्षा पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी और सीएएस प्रतिनिधियों को इस अनुपालन लेखापरीक्षा की पहल के बारे में जानकारी दी। बैठक का समापन अपर उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और कार्यवाहक अध्यक्ष सुश्री वाणी श्रीराम द्वारा सदस्यों को 17वीं सीएएस बैठक को लाभप्रद और उत्पादक बनाने में सक्रिय भागीदारी और सहयोग के लिए धन्यवाद देकर किया गया।



सीएएस अध्यक्ष के रूप में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, 23 नवंबर 2020 को सीएएस बैठक की 17वीं बैठक में आरंभिक टिप्पणी देते हुए

9.3.2.4 “पर्यावरणीय लेखापरीक्षा का परिचय” पर आठवां अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम-7 से 11 दिसंबर 2020

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने “पर्यावरणीय लेखापरीक्षा की शुरुआत” पर 8वें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण

कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसे 7 से 11 दिसंबर 2020 तक आईसीईडी जयपुर में ऑनलाइन आयोजित किया गया था, जो पर्यावरणीय लेखापरीक्षण (डब्ल्यूजीईए) पर इंटोसाई कार्यकारी समूह की वैश्विक प्रशिक्षण सुविधा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 36 साई के 68 प्रतिभागियों ने भाग लिया।



भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक 7 दिसंबर 2020 को 8वें आईटीपी के लिए उद्घाटन संदेश पढ़ते हुए।

9.3.2.5 “उद्यम-व्यापी लेखापरीक्षा प्रक्रिया और ज्ञान प्रबंधन आईटी प्रणाली (ओआईओएस परियोजना)” पर वेबिनार-15 मार्च 2021

कार्य योजना 2020-22 के तहत आईटी लेखापरीक्षा विषय पर त्रैमासिक वेबिनार आयोजित करने के लिए डब्ल्यूजीआईटीए पहल के भाग के रूप में, साई इंडिया परियोजना सह-नेतृत्व के रूप में, 15 मार्च 2021 को “उद्यम-व्यापी लेखापरीक्षा प्रक्रिया और ज्ञान प्रबंधन आईटी प्रणाली(ओआईओएस परियोजना)” विषय पर दूसरी त्रैमासिक वेबिनार की मेजबानी की। डब्ल्यूजीआईटीए के अध्यक्ष के रूप में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से वेबिनार का उद्घाटन किया। सदस्यों को एक एप्लीकेशन “एक आईएएडी एक प्रणाली” (ओआईओएस), की विशेषताओं के बारे में जानकारी दी गई थी, जिसे लेखापरीक्षा योजना, क्षेत्रीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम बनाना और रिपोर्टिंग को समाविष्ट करने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रिया के शुरू से अंत तक वेब-आधारित कार्यप्रवाह स्वचालन प्रदान करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित किया जा रहा है।

9.3.3 साई इंडिया द्वारा भाग लिए गए अन्य महत्वपूर्ण इंटोसाई कार्यक्रम

9.3.3.1 केएससी संचालन समिति ने प्रतिबद्धताओं को कार्यवाही में बदलने का संकल्प लिया-21 सितंबर 2020

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन (इंटोसाई) ज्ञान साझाकरण और ज्ञान सेवा समिति (केएससी) की संचालन समिति ने 21 सितंबर 2020 को बैठक की। श्री कुलवंत सिंह, प्रधान निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय संबंधों) ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, जो केएससी के अध्यक्ष हैं, की ओर से बैठक की अध्यक्षता की।

इस कार्यक्रम में संचालन समिति के सदस्यों और पर्यवेक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 53 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रभाव पर कार्यकारी समूह और पर्यावरणीय लेखापरीक्षण पर कार्यकारी समूह के अध्यक्षों के रूप में संयुक्त अरब अमीरात और फिनलैंड साई ने पहली बार बैठक में भाग लिया। बैठक में केएससी रिपोर्टिंग डैशबोर्ड, जिसे 74वें इंटोसाई शासी बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए अनुमोदित किया गया था; इंटोसाई रणनीतिक योजना 2023-2028 के विकास में प्रगति और इंटोसाई समुदाय पोर्टल अद्यतनों की समीक्षा की गई।

सदस्यों को केएससी सुपुर्दगी पर प्रयोक्ता की संतुष्टि का आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षण करने के लिए केएससी



भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक 15 मार्च 2021 को आयोजित दूसरे डब्ल्यूजीआईटीए त्रैमासिक वेबिनार के लिए अपना वीडियो संदेश देते हुए।

अध्यक्ष के इरादे से अवगत कराया गया था। बैठक ने केएससी क्रॉसकटिंग प्राथमिकताओं, जैसे कि इंटोसाई सामुदायिक पोर्टल और अनुसंधान परियोजनाओं के साथ-साथ आईडीआई और एससीआईआई गतिविधियों पर चर्चा करने और सदस्य समर्थन प्राप्त करने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान किया। इंटोसाई सामुदायिक पोर्टल की अपार क्षमता को ध्यान में रखते हुए, सदस्यों ने त्रैमासिक आधार पर लेखों, ब्लॉगों और समाचारों का योगदान करने और कार्यकारी समूहों और साई के बीच पोर्टल को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की।

साई फ्रांस के नेतृत्व में “साई स्वतंत्रता”, और “लेखापरीक्षा संचार और लेखापरीक्षा परिणामों की रिपोर्टिंग” पर, सदस्य केएससी क्रॉसकटिंग अनुसंधान परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध रहे। बैठक में “मजबूत और प्रतिस्कंदी राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों की सहकारी लेखापरीक्षा” और एससीआईआई कोविड-19 पहल पर आईडीआई के कार्यक्रम के महत्व पर भी ध्यान दिया गया और दोनों कार्यक्रमों के बारे में व्यापक रूप से जानकारी का प्रसार करने, भाग लेने और योगदान करने पर सहमति व्यक्त की गई।

बैठक की समाप्ति सदस्यों से प्रतिबद्धताओं को परिणाम प्रदान करने वाले कार्यों में बदलने के दृढ़ संकल्प के साथ की गई।

9.3.3.2 उभरते मुद्दों पर इंटोसाई पर्यवेक्षी समिति द्वारा आयोजित वेबिनार-20 अक्टूबर 2020

उभरते मुद्दों पर इंटोसाई पर्यवेक्षी समिति ने 20 अक्टूबर 2020 को कोविड-19 विशेषज्ञ समूह के बीच कोविड-19 से संबंधित वेबिनार की श्रृंखला में “इंटोसाई ऑनलाइन ट्रांजिशन-

कोविड-19 : संगठन टेलीवर्किंग की नई सामान्य स्थिति के अनुकूल कैसे ढल सकते हैं” विषय पर अंतिम वेबिनार आयोजित किया।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य इंटोसाई के बीच रिमोट कार्य के लिए परिवर्तन के अनुभव का आंकलन करना था और इसमें 120 साई प्रतिनिधि शामिल हुए। जबकि इंटोसाई परिप्रेक्ष्य इंटोसाई महासचिवालय और पीएफएसी, पीएससी, केएससी और सीबीसी अध्यक्षों और उपाध्यक्ष प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत किया गया, साई इटली, चेक गणराज्य और पाकिस्तान ने महामारी के समय में बहुपक्षीय कार्यक्रमों में भाग लेने या आयोजित करने और साधारणतः नई परिस्थितियों के अनुकूल ढलने के अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा किया।

श्री कुलवंत सिंह, प्रधान निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) ने कोविड-19 महामारी के दौरान केएससी अध्यक्ष के रूप में और विभाग में साई इंडिया द्वारा की गई पहलों पर प्रकाश डालते हुए यह भी सविस्तर बताया कि हम संबंधित चुनौतियों, भविष्य के केंद्र बिंदु क्षेत्रों और अपनाई जाने वाली कार्यनीतियों से कैसे निपटते हैं।

सदस्यों ने नोट किया कि ज्ञान और अनुभव साझा करने के अलावा, इंटोसाई नेतृत्व प्रत्येक साई की विशेष आवश्यकताओं के बारे में निरंतर जागरूक रहे हैं। सबसे गंभीर तरीके से महामारी से प्रभावित साई को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, इंटोसाई आपातकालीन कोष बनाने का निर्णय परिचालनों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए लिया गया था।

एससीआई के कोविड-19 विशेषज्ञ समूह ने वेबिनार और अतिरिक्त परामर्शों की इस श्रृंखला के आधार पर इंटोसाई शासी बोर्ड के लिए सिफारिशों की एक सूची प्रस्तुत की।

9.3.3.3 केएससी द्वारा कोविड-19 महामारी पर प्रतिक्रियाओं का संकलन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने ई-इंटोसाई ज्ञान साझाकरण एवं ज्ञान सेवा समिति (केएससी) के अध्यक्ष के रूप में कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के लिए मार्च 2020 से फरवरी 2021 तक इंटोसाई समुदाय द्वारा किए गए प्रयासों पर एक एकल समेकित संसाधन दस्तावेज तैयार किया है। पेरु की सरकार की अंतर्राष्ट्रीय ऑबसरवेटरी के साई और कोविड-19 से संबंधित साई पहलों के साथ, यह दस्तावेज कोविड-19 महामारी निरीक्षण कार्य पर एक मूल्यवान संसाधन के रूप में काम करेगा।

दस्तावेज - “कोविड-19 महामारी-इंटोसाई के भीतर संगठनात्मक प्रतिक्रियाओं का संकलन” - एससीआई की सिफारिश पर संकलित किया गया था और साई रूस द्वारा महामारी पर साई की प्रतिक्रियाओं पर प्रारंभिक दस्तावेज के आधार पर बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय संबंध डिवीजन जो केएससी सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है, ने विभिन्न स्रोतों जिसमें इंटोसाई की नीति, वित्तीय और प्रशासन समिति (पीएफएसी), एससीआई, आईडीआई, क्षेत्रीय इंटोसाई संगठन और व्यक्तिगत साई की वेबसाइटें और दस्तावेज शामिल हैं, से दस्तावेज के लिए जानकारी एकत्र की।

इस दस्तावेज का उद्देश्य है:

- अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को महामारी से संबंधित प्रमुख विषयों जैसे कि परिचालनों की निरंतरता, रिमोट रूप से कार्य करना, लेखापरीक्षा और क्षमता निर्माण पर तत्काल जानकारी प्रदान करना;
- संस्थागत मेमोरी को संरक्षित करना और सर्वोत्तम पद्धतियों का एक ऑनलाइन संग्रह प्रदान करना;
- साई को भविष्य में इसी तरह की आपदा से निपटने और परिचालन की निरंतरता बनाए रखने में मदद करने के लिए एक संसाधन के रूप में कार्य करना;
- हमारी क्षमता निर्माण की वृद्धि के लिए कोविड-19 से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों पर भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग के भीतर जागरूकता पैदा करना और विभिन्न साई द्वारा अपनाई गई लेखापरीक्षा, रिमोट कार्य पद्धतियों की हमारी समझ में सुधार करना।

- चूंकि केएससी चल रही महामारी के दौरान इंटोसाई समुदाय से कई और प्रयासों की उम्मीद करता है, इसलिए दस्तावेज का आशय क्रियाशील रहना है। यह दस्तावेज इंटोसाई सामुदायिक पोर्टल, <https://www.intosaicommunity.net/> के अच्छी पद्धति खंड के तहत उपलब्ध है।

9.3.4 अन्य कार्यक्रम

- लेखापरीक्षण में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रभाव पर इंटोसाई कार्य समूह (डब्ल्यूजीआईएसटीए) की पहली वार्षिक बैठक 16 सितंबर 2020 को वर्चुअली रूप से आयोजित की गई थी, जिसमें कार्यकारी समूह में साई इंडिया के प्रतिनिधियों श्री के.आर. श्रीराम, उप नियंत्रक और महालेखापरीक्षक और मुख्य तकनीकी अधिकारी और श्री ए. दासगुप्ता, महालेखाकार ने भाग लिया था।
- आईडीआई ने साई में युवा नेताओं के विकास के लिए साई युवा नेता (एसवाईएल) कार्यक्रम 2019-2020 शुरू किया और साई इंडिया से भागीदारी आमंत्रित की गई। आईडीआई द्वारा उचित चयन के बाद, सुश्री स्टेफी सोफी, उपनिदेशक और सुश्री प्राची पांडे, प्रधान निदेशक, क्रमशः साई युवा नेता और साई कोच बन गए। सुश्री स्टेफी सोफी ने आईडीआई के साई युवा नेता पहल 2019-2020 के तहत सफलतापूर्वक साई युवा नेता की उपाधि प्राप्त की। कार्यक्रम के अनुसार, सुश्री स्टेफी सोफी ने 11 दिसंबर 2020 को आईडीआई कार्मिकों और अन्य एसवाईएल के लिए एकीकृत परिवर्तन योजना और परिवर्तन रणनीति पर ऑनलाइन प्रस्तुति दी।
- आईसीडी जयपुर ने इंटोसाई कार्यकारी समूह के अध्यक्ष साई युगांडा के परामर्श से निष्कर्षण उद्योग (डब्ल्यूजीआईआई) की लेखापरीक्षा पर 15 से 19 मार्च 2021 तक वर्चुअल मोड के रूप में “निष्कर्षण उद्योग की लेखापरीक्षा” (इंटोसाई-डब्ल्यूजीआईआई) पर पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी) आयोजित किया। ये सत्र साई इंडिया सहित विभिन्न साई के संकाय द्वारा लिए गए थे। सुश्री नमिता सेखों, उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (एचआर) ने 15 मार्च 2021 को आईटीपी के लिए उद्घाटन भाषण दिया।

9.4 एसोसाई

1978 में स्थापित, एसोसाई, इंटोसाई के सात क्षेत्रीय कार्यकारी समूहों में से एक है। इसने नई दिल्ली में अपनी पहली सभा के साथ 1979 में कार्य करना आरंभ किया था। भारत एसोसाई का एक चार्टर सदस्य है। इसकी मौजूदा सदस्य संख्या 47 है।

एसोसाई के उद्देश्य हैं:

- सार्वजनिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र में विचारों और अनुभवों के आदान-प्रदान के माध्यम से सदस्य संस्थानों के बीच समझ और सहयोग को बढ़ावा देना।
- गुणवत्ता और निष्पादन में सुधार के उद्देश्य से सरकारी लेखापरीक्षकों के लिए प्रशिक्षण और निरंतर शिक्षा के लिए सुविधा प्रदान करना।
- सार्वजनिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र में विश्व के अन्य भागों की संस्थाओं के साथ सूचना के एक केन्द्र के रूप में और क्षेत्रीय कड़ी के रूप में कार्य करना।
- संबंधित सदस्य संस्थाओं की सरकार में सेवारत लेखापरीक्षकों और क्षेत्रीय समूहों के बीच में सहयोग और भाईचारे को बढ़ावा देना।

सरकारी लेखापरीक्षा के एसोसाई जर्नल के संपादक मंडल के अध्यक्ष के रूप में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को एसोसाई के शासी मंडल की पदेन सदस्यता प्रदान की गई है। एसोसाई जर्नल का संपादक होने के नाते, हम वर्ष में दो बार एसोसाई जर्नल प्रकाशित करते हैं। साई के सदस्यों द्वारा एसोसाई जर्नल की सामग्री दी जाती है। लोक ऋण प्रबंधन की लेखापरीक्षा के विषय पर अप्रैल 2020 का अंक और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन की लेखापरीक्षा पर अक्टूबर 2020 का अंक www.asosaijournal.org वेबसाइट पर अपलोड और होस्ट किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जर्नल की वेबसाइट की पुनर्रचना करने, जर्नल की गुणवत्ता और सामग्री में सुधार करने और जर्नल को ट्विटर पर सोशल मीडिया उपस्थिति देने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एसोसाई जर्नल के पुनर्निर्माण के लिए रोडमैप को अनुमोदित किया गया था। साई इंडिया ने एसोसाई जर्नल के संपादक बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते, एसोसाई जर्नल वेबसाइट के पुनर्निर्माण के लिए एसोसाई शासी बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने का महत्वपूर्ण मील का पत्थर प्राप्त किया। जर्नल की कायाकल्प की गई वेबसाइट एसोसाई के लिए बेहतर संबंध बनाने, बेहतर साझा करने और बेहतर नेतृत्व करने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

9.4.1 एसोसाई के कुछ प्रमुख कार्यक्रम, जिसमें साई इंडिया की सक्रिय भागीदारी शामिल है

- **संकट और आपदा पर प्रतिक्रिया देने में साई की भूमिकाओं पर एसोसाई सचिवालय का संयुक्त वेबिनार - 26-28 जनवरी 2021**
- द बोर्ड ऑफ ऑडिट एंड इंस्पेक्शन, दक्षिण कोरिया, (बीएआई) ने 26 से 28 जनवरी 2021 तक “संकट और आपदाओं प्रतिक्रिया देने में साई की भूमिकाओं” पर 3 दिवसीय विशेष समिति-एसोसाई सचिवालय संयुक्त वेबिनार आयोजित किया। वेबिनार के दौरान, एसोसाई के सदस्य देशों ने अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ, संकट और आपदाओं के संबंध में अपने अनुभवों को साझा किया, और संकट के समय में सामरिक रूप से उन्हें मजबूत करने के लिए साई की भूमिका पर चर्चा की।
- श्री कुलवंत सिंह, प्रधान निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) ने वेबिनार में “पुनः अभियान्त्रिकरण के माध्यम से प्रतिरोध क्षमता का निर्माण-लेखापरीक्षा की भूमिका-विस्तारित सेंडाई उत्तरदायित्व फ्रेमवर्क में साई की भूमिका बताते हुए” विषय पर एक प्रस्तुति दी। कोविड-19 महामारी के दौरान विशेष रूप से साई इंडिया और साधारण रूप से अन्य साई की पहलों पर प्रकाश डालते हुए, श्री सिंह ने महामारी के दौरान सीखने की प्रमुख प्रक्रिया पर भी विस्तार से बताया।
- “एसडीजी के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा: एसडीजी की प्राप्ति करने के लिए डिजिटल या बिग डेटा का लाभ उठाना” पर 12वीं एसओएसआई अनुसंधान परियोजना के लिए तीसरी बैठक अप्रैल 2020 में वर्चुअल रूप से आयोजित की गई थी और इसमें सुश्री नर्मधा आर, वरिष्ठ उप महालेखाकार और सुश्री वर्सिनी आरुन, उपमहालेखाकार ने भाग लिया था।
- **एसोसाई की 55वीं शासी बोर्ड की बैठक (जीबी) 25 जुलाई 2020 को वर्चुअल रूप से आयोजित की गई थी-** सीएजी ने एसोसाई जर्नल पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जर्नल की प्रगति, इसका 2016 में ई-संस्करण में परिवर्तन, विषयगत दृष्टिकोण आदि के बारे में जीबी सदस्यों को अवगत कराया गया था। रिपोर्ट में जर्नल के संपादक के रूप में साई इंडिया की पहल पर भी प्रकाश डाला गया है, जो एसोसाई जर्नल की वेबसाइट को सुधारने की दिशा में है, जो पत्रिका की गुणवत्ता और

सामग्री में सुधार पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। उपर्युक्त के अलावा, प्रधान निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) द्वारा इंटोसाई अनुपालन लेखापरीक्षा उप-समिति, आईटी लेखापरीक्षा (डब्ल्यूजीआईटीए) पर इंटोसाई कार्यकारी समूह और इंटोसाई ज्ञान साझाकरण समिति (केएससी) पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थीं, जो इंटोसाई में साई इंडिया के प्रयासों और पहलों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। जीबी द्वारा एसोसाई जर्नल पर रिपोर्ट और अन्य रिपोर्टों को अपनाया गया था। बैठक में एसोसाई की क्षमता विकास गतिविधियों, एसोसाई रणनीतिक योजना 2016-2021 की मध्यावधि आंकलन रिपोर्ट को शामिल करते हुए एसोसाई रणनीतिक योजना और अगले एसोसाई रणनीतिक योजना 2022-2027 का मसौदा तैयार करने, इंटोसाई क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग, वित्त वर्ष 2019 के लिए एसोसाई वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट और इंटोसाई के साथ एसोसाई सहयोग पर भी चर्चा की गई। जीबी ने एसडीजी पर कार्यकारी समूह पर भी ध्यान केंद्रित किया और एसोसाई के लिए विशेष समिति के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की-एसडीजी पर एसोसाई कार्यकारी समूह की स्थापना पर संभाव्यता अध्ययन। यह सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में इंटोसाई रणनीतिक उद्देश्यों को लागू करने के लिए इंटोसाई क्षेत्रीय कार्यकारी समूहों के बीच एसोसाई का एक अग्रणी निर्णय है। जीबी ने क्षेत्रीय उभरते मुद्दों को संबोधित करने में संगठन एवं उसके सदस्यों की जिम्मेदारी, क्षमता और भूमिका की पुनः पुष्टि करने के लिए कोविड-19 महामारी पर प्रतिक्रिया देने के लिए विभिन्न पहलों और कार्यवाहियों पर भी चर्चा की।

- **ब्रिक्स साई नेताओं की दूसरी बैठक में भागीदारी-** साई रूस द्वारा समन्वित बैठक 25 अगस्त 2020 को वर्चुअल रूप से आयोजित की गई थी। श्री गिरीश चन्द्र मुर्मू, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, ने साई इंडिया के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया जिसमें सुश्री सरोज पुनहानी, उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, श्री कुलवंत सिंह, प्रधान निदेशक और श्री पी. बी. विष्णुकांत, निदेशक शामिल थे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कोविड-19 के प्रति साई इंडिया की प्रतिक्रिया को पेश किया, जिसमें सख्त राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को लागू करने और चिकित्सा उपकरणों और दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए साई इंडिया के प्रयासों को व्यक्त किया गया था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने यह भी साझा किया कि कैसे साई इंडिया ने, जहां भी हमारे लेखापरीक्षा केंद्रित क्षेत्रों में संभव हो सका, न्यूनतम कर्मचारियों के साथ

लेखापरीक्षा करके और वर्चुअल/दूरस्थ लेखापरीक्षा को अपनाकर अपनी प्रतिक्रिया दी।

- इसके अतिरिक्त, प्रधान निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) ने भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा पर आपदा के प्रभाव पर सामान्य परिचय पर साई इंडिया रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कोविड-19 महामारी के प्रति प्रतिक्रिया को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करने के लिए इन क्षेत्रों में सरकार की पहलों का संक्षिप्त विवरण शामिल है।
- सदस्य साई ने अपनी नीतियों और समय पर उपायों के माध्यम से महामारी के फैलाव को रोकने में भारतीय अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। सदस्यों ने इस कठिन समय के दौरान अपने कार्यों को जारी रखने और अपनी सतर्कता को कम नहीं होने देने के लिए साई इंडिया के प्रयासों की भी सराहना की।

ब्रिक्स साई प्रमुखों की दूसरी बैठक के अन्य प्रमुख पहलु इस प्रकार थे: (i) ब्रिक्स साई सहयोग कार्य योजना 2020-2022 का अनुमोदन जो व्यापक तौर पर सतत विकास के लिए 2030 के कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर केंद्रित था। साई इंडिया ने स्वास्थ्य और शिक्षा विषय का नेतृत्व करने और (ii) साई के प्रमुखों की दूसरी बैठक की संयुक्त घोषणा को अपनाने की पेशकश की। घोषणा पत्र में ब्रिक्स सहयोग के प्रति साई सदस्य की प्रतिबद्धता, ब्रिक्स सहयोग के महत्व और इंटोसाई में ब्रिक्स साई की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। संयुक्त घोषणा के लिए साई इंडिया द्वारा प्रदान की गई जानकारी को अपनाए गए संयुक्त घोषणा पत्र में पूरी तरह से शामिल किया गया था।

- **एसोसाई संगोष्ठी, 1 से 4 दिसंबर, 2020:** “एसडीजी के कार्यान्वयन पर लेखापरीक्षा” और “कोविड-19 के लिए साई की प्रतिक्रियाओं” पर एक एसोसाई ज्ञान सहभाजन संगोष्ठी 1 से 4 दिसंबर 2020 तक ऑनलाइन आयोजित की गई थी। संगोष्ठी का उद्देश्य एसडीजी के कार्यान्वयन पर लेखापरीक्षा पर अनुभव और ज्ञान और कोविड-19 पर साई की प्रतिक्रियाओं को साझा करना था। श्री मनीष कुमार, महानिदेशक और सुश्री कीर्ति तिवारी, महानिदेशक ने एसोसाई संगोष्ठी में भाग लिया।
- **“शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित सार्वजनिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा” पर ब्रिक्स साई विशेषज्ञ स्तर की वर्चुअल बैठक की मेजबानी और नेतृत्व:** ब्रिक्स साई नेताओं की दूसरी बैठक में अपनाई गई ब्रिक्स साई कार्य योजना 2021-2022 के भाग के रूप में, साई इंडिया ने 10 और 11 मार्च, 2021 को



“शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित सार्वजनिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा” विषय पर ब्रिक्स साई विशेषज्ञ स्तर की वर्चुअल बैठक की मेजबानी की। सुश्री नमिता सेखों, उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने ब्रिक्स साई की वर्चुअल बैठक का उद्घाटन किया।

- साई इंडिया ने विषय चर्चा का नेतृत्व करके “शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित सार्वजनिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा” पर ब्रिक्स साई विशेषज्ञ स्तर की वर्चुअल बैठक की सफलतापूर्वक मेजबानी करके ब्रिक्स साई सहयोग में अपनी अग्रणी भूमिका का प्रदर्शन किया। सदस्य साई ने “शिक्षा से संबंधित सार्वजनिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा” पर श्री सुनील श्रीकृष्ण दाढे, महानिदेशक द्वारा की गई प्रस्तुति की प्रशंसा की, जिसमें भारत में शिक्षा की स्थिति और भारत में सार्वजनिक शिक्षा

के परिदृश्य और उसके बाद शिक्षा के लिए सार्वजनिक कार्यक्रमों की लेखापरीक्षा पर बुनियादी तत्व को प्रदर्शित किया गया था, और श्री अशोक सिन्हा, प्रधान निदेशक द्वारा प्रस्तुत “स्वास्थ्य से संबंधित सार्वजनिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा” जिसमें उन योजनाओं और कार्यक्रमों को रेखांकित किया गया जो भारत सरकार गरीब, कमजोर और सामान्य आबादी के कल्याण के लिए संचालित करती है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की सराहना की। इसमें स्वास्थ्य योजनाओं/कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी विभिन्न विभागों, सार्वजनिक अस्पतालों, कल्याण केंद्रों, स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थानों और चिकित्सा परिषदों की लेखापरीक्षा के दौरान साई इंडिया द्वारा की गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर भी ध्यान केंद्रित किया।

9.5 साई इंडिया द्वारा आयोजित एवं भाग लिए गए अन्य महत्वपूर्ण द्विपक्षीय कार्यक्रम

- पर्यावरणीय लेखापरीक्षा पर भारत-कुवैत संयुक्त संगोष्ठी 2020 - साई कुवैत ने कोविड-19 महामारी के कारण 24 और 25 नवंबर 2020 को "पर्यावरणीय लेखापरीक्षा" के विषय और "वर्चुअल पर्यावरण-अवसरों और चुनौतियों में लेखापरीक्षण" उप-विषय पर संगोष्ठी की मेजबानी की। साई इंडिया से सुश्री पी.माधवी, प्रधान निदेशक, श्री मनीष कुमार, महानिदेशक के नेतृत्व में और श्री पवन कुमार कोंडा, निदेशक को शामिल करते हुए एक दल ने संगोष्ठी में भाग लिया।
- साई दक्षिण अफ्रीका ने रेलवे लेखापरीक्षा के क्षेत्र में अपने लेखापरीक्षकों को प्रशिक्षित करने में हमारे समर्थन का

अनुरोध किया था। साई दक्षिण अफ्रीका के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण का पहला चरण सफलतापूर्वक 2 फरवरी, 2021 से 19 फरवरी, 2021 तक आयोजित किया गया। इन प्रशिक्षणों को महानिदेशक (रेलवे), आरटीआई कोलकाता के महानिदेशक, प्रधान निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और उनके दलों और संकायों द्वारा समन्वित किया गया था। ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का अगला चरण जल्द ही महानिदेशक (रेलवे) और महानिदेशक, आरटीआई कोलकाता के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा।



